Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ४१वां दिवस [संख्या २५

शनिवार, २८ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य सलाहकार समिति

७०२. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Will the Civil Supplies Minister be pleased to state:

(a) On what date the Food Consultative Committee, as announced during the last Session, was formed? Who are the members of the Committee?

(b) Since its formation till date how may times the Committee met to consider the food problem in the State?

(c) What specific action or steps the committee has so far suggested to ease the food situation in the State and to bring down prices of food-grains?

(d) What are the prevailing prices of foodgrains in the open market in various towns, having a population of 20,000 and over?

(e) How many fair price grain shops have so far been opened by the State Government and in which town and what is the quantity of grains supplied to each individual per day from the fair price shop? Is it correct that only 4 oz. of grain per day are supplied to each individual from these shops?

(f) Is it correct that the Government banned the import of foodgrains in the cities of Jaipur and Ajmer from the adjoining villages? Is this ban on import is still in force or it has been lifted?

(g) How many licensed foodgrains dealers are there in the State? And what is their volume of turn

Page No.2

(श्री पी० के० चौधरी)

over during the months of Dec. 1958 and Jan. 1959 ?

(h) What quantity of foodgrains have so far been requisitioned by the State Government from various dealers and producers during the months of Dec. 1958 and Jan. 1959 ?

(i) Has the State Government received any supplies of foodgrains from the Centre ? If so, how much and how it has been distributed ?

(j) What effective steps the State Government proposes to take to bring down the foodprices ? Has the Government any dynamic scheme ?

(k) Is the Government ready with its scheme of State Trading in foodgrains ? If so, from what date it wants to launch this venture ?

मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (a) As announced in the last session of the Assembly, the Government appointed a Food Advisory Committee on 16.12.58. under the Chairmanship of Chief Minister of Rajasthan, with the following as its members:—

1. Minister for Civil Supplies.
2. Shri Mathura Das, M. P.
3. Shri Ramesh Chandra Vyas, M. P.
4. Shri Ram Chandra Chaudhary M. L. A.
5. Shri Bhairon Singh, M. L. A.
6. Shri Jwala Prasad, M. L. A.
7. Shri Man Singh, M L. A
8. Shri Raghubir Singh, M.L.A.
9. Commissioner Food Supplies-Cum-Secretary Food.
10. Secretary Agriculture.
11. Director of Food Supplies-cum-Dy. Secretary Food. Member-Secretary.

(b) The Committee has met twice namely on 12.12.58. and on. 7.2.59.

(c) (i) The Food Advisory Committee recommended that Wheat Zone III of which Rajasthan was a part and which comprised of the State of Bombay, Madhya Pradesh and Rajasthan including greater Bombay should be recast to exclude Bombay. This has since been accepted by the Government of India and Rajasthan now forms a Zone by itaelf.

(ii) The Committee also recommended that ban should be placed on the export of coarse grains outside Rajasthan. This matter has been taken up with the Government of India and their final decision is awaited.

(iii) The Committee recemmended that use of maize by starch mills should be prohibited till the country product was adequate. This matter has also been taken up with the Government and their final decision is still awaited.

Page No.3

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(iv) Regarding the policy in Kharif grains the Committee recommended that for Bajra in which scaricity was likely to be experienced a controlled price should be fixed and buffer stocks built up. The matter for fixing controlled price has been taken up with the Government of India after which buffer scheme would be finalised. For Maize since the ruling prices in Maize growing area were already reasonable no controlled price was recommended to be fixed but the Committee recommended building up of buffer stock details for which are being finalised.

For Jowar the production in Rajasthan and South India being bumper the Committee did not at this stage consider any necessity of either getting a controlled price or for building up buffer stocks.

(v) For distribution of imported wheat through fair price shops the committee recommended that in important towns identity cards system should be introduced and as far as possible shops should be allotted to Consumere Co-operative Societies. This is being done. The Committee also recommended setting up All Party Avidsory Committee at District level atleast in important cities and towns which is also being done.

There are some of the important decisions on policy matters. Other decisions relate to details which will not be of general interest and too by lenghthy to be discussed.

(d) Statement has been placed on the table of the House.

(e) A statement of Fair Price Shops opened in various towns has been placad on the table of the House.

Supplies from the Fair Price Shops vary according to demand and supply position. In the important cities Rs. 5 worth of wheat is being supplied per family on identity cards which works out to an average of 6 Chhts. per head per day. In other places supplies are being made between Rs. 5/- anp Rs. 2/- per head per day.

It is not correct that 4 oz. of foodgrains per day is supplied to each individual from these shops.

(f) It is not correct.

(g) There are 6134 license holders in 12 districts of the State for the rest the information is not immediately available. Information of Turnover is not readily available and can not be replied.

(h) Month wise figures of requisition are not immediately available. The total requisition made in the State from November,' 58 to date is 2,04.887 mds. as under :—

Page No.4

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

Wheat—42872 mds.
Barley—31517 mds.
Gram and Gramdal 91.105 mds.
Maize 421 mds.
Other foodgrains Jowar 38. 202 mds.
Bajra Gnjick 770 mds.

(i] Yes. The State Government has received supplies of imported wheat. maize and milo from time to time. The month-wise details of which are as follows :—

Wheat.

May, 58	50 tons.
June,58,	869 tons.
July, 58.	3545
August, 58.	6872
September, 58.	9149
Octo., 58.	6985
Nov., 58.	7465
Decr. 58.	20,000
Jany. 59.	25300
Feby. 59.	30300

The imported wheat and other foodgrains received from the Government of India are distributed to the consumers through the Fair Price Shops opened in the State.

(j) All measures so far taken have been to achieve the same objective i. e. bring down the prices to a reasonable level. Disclosure of all the details of policy likely to be taken up in future at a premature stage is likely to lead further speculation and hoarding which will be unl esirable. In brief the measures which have been adopted and are being further taken up are:–

1. Sale of imported grains at reasonable price through fair price shops.

2. Building up of buffer stocks of grains.

3. Controlling the foodgrains trade through licensing of dealers.

4. Cordoning off certain areas from exporting their produce to conserve stocks for making them available according to necessity.

5. Price control to a limited extent.

6, Getting Rajasthan declared a separate Zone for wheat.

7. Undertaking State Trading in foodgrains in accordonce with the decision of the national development Council.

(k) The Scheme for State Trading in foodgrains is being finalised by the Central Government in consultation with all the State Government and its details and date of enforcement are all India matters which are being decided by the Government of India and Rajasthan Government is not to follow any independent and

(श्री ब्रद्रीप्रसाद् गुप्ता)

disconserted policy of its own.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : Why no sitting after the first meeting of the Committee till 7th of February ?

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता : Because the recommendations of the Committee were sent to the Government of India and replies thereto were awaited.

श्री पी० के० चौधरी : When were the recommendations in part 'C' of the reply were referred to the Government of India ?

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता : Pardon ?

श्री पी० के० चौधरी : I wanted to know when were the recommendations of this Committee as given in para 'c' of the reply first referred to the Government of India ?

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता : Immediately after the Committee decided.

श्री पी० के० चौधरी : The recommendations were as given in para (1) parts (2) and (3)—

(2) the committee also recommended that ban should be placed on the export of course grains outside Rajasthan.

(3) The committee recommended that use of maize by starch mills should be prohibited till the country product was adequate.

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता : This is not with me.

श्री पी० के० चौधरी : Could not follow ?

श्री अध्यक्ष : डेट की याद नहीं है। कमेटी की मीटिंग के बाद में भेजा था।

श्री पी० के० चौधरी : दिसम्बर में भेजा या जनवरी में ?

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता : We met on 22nd December, 58. हम दिसम्बर में मिले थे, उसके बाद में भेज दिया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Hon'ble Minister make it clear whether the Government is going to enter into the whole market or what......

श्री बद्रीप्रसाद् गुप्ता : I am sorry. I have already stated in my reply that it is on the Government of India...

श्री श्रीभानसिंह : I may draw attention of the Hon'ble Minister to the "Times of India," dated 18th of this month in which it is given that the State Trading will be confined to the State. I wanted to know whether the Government is creating buffer stocks in the State or entering into the wholesale market....

Page No.6

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am only in a position to say that we have received a scheme from the Government of India for comments and we have sent it. But we have not yet received any final reply....

श्री पी० के० चौधरी : In reply to question 'C' it has been said that in important towns indentity cards system should be introduced for distribution of imported wheat through Fair Price Shops, so I wanted to know which are those important cities and towns ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Jaipur, Jodhpur, Bikaner.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister in a position to state that since the grain is coming to the market now, how the State is going to take these stocks either through co-operative societies or..

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The Government of India is taking final decision in this respect early in the first week.

श्री श्रीभानसिंह : Till the decision of the Govt. of India, will the Hon'ble Minister state, whether they will continue to have buffer stocks ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: We are not taking any stocks and the decision will be taken when decision of the Govt. of India is received.

श्री श्रीभानसिंह : The Committee has rcommended that buffer stocks should be built up. Will the Hon'ble Minister say that they will persue the recommendation ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The recommendation is about the cours grain and we are following it. We wanted to have some prices fixed and the Govt. of India themselves is bringing some scheme. We have not yet taken any steps to fill any stocks.

श्री पी. के. चौधरी : आपने इम्पोर्टेन्ट शहरों के नाम बताये, उनमें ५) रू० पर फेमिली के हिसाब मे दिया और in other cities Rs. 2/-per head per day, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसद गुप्ता : हमने जहां पर कार्ड इश्यु कर दिये, वहां पर ५) प्रति फेमिली के हिसाब से बाकी सभी दूसरी जगह ओपिन था कि दो रूपये के ले ।

श्री पी. के. चौधरी : The committee recommended for the places which are most affected, वहां पर कम दिया गया और दूसरी जगह ज्यादा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : How can you say, they are least affected ?

श्री पी. के. चौधरी : Yes, Sir, because Cities which are least affected there, it is five per family and in other places it is between Rs. 5/- and 2/- per head per day .

Page No.7

श्री अध्यक्ष : It must be Rs.2/-per family.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The supply was limited and it was according to the scheme. The stocks were also limited but somebody took and somebody not...

श्री पी० के० चौधरी : But whereas in the most affected cities, only Rs5/-per family was given. I wanted to know what is the justification in adopting this scheme.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The information drawn by the Hon'ble member is not correct.

श्री पी० के० चौधरी : This is correct.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Not correct because there is no question of its...

श्री पी० के० चौधरी : I am referring to the statement, you can say so but I know it personally from my experience.

श्री अध्यक्ष : जहां पर पूरे कार्ड वितरण नहीं किये गये वहां ऐसा हो सकता है । जहां पर बड़े बड़े शहरों में कार्ड दे दिये गये वहां पर ऐसा किया गया कि ५) प्रति फेमिली और दूसरी जगह दो रुपये का रखा गया ।

श्री पी० के० चौधरी : उन्होंने कहा कि ४ औंस का हिसाब किया, जिनके चार सदस्य हैं उनके लिये, that is false. Every body was given on a sale basis. It was not on the basis of per head membership of the family, four ounce per day.

श्री अध्यक्ष : It is not rationing.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फुल स्केल राशनिंग नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Next question please.

श्री पी० के० चौधरी : I have another supplementary, Sir.

श्री अध्यक्ष : Please hurry up then.

श्री पी० के० चौधरी : There is a varied disparity in the rates and prices in different cities. In some cities it is 16 and in other cities it is 20 and in some cities it is 25 and in some other cities it is 20/-. What particular action the Government has taken to equalise the prices.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइसेज़ में जो डिफ्रेन्स मालूम पड़ता है वह स्केयर्सिटी एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़ में कम प्रोडक्शन हुआ था और उसको डाउन करने के लिए फेयर प्राइस शोप्स खोली गई ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने बताया कि जयपुर और अजमेर में फूड ग्रेन्स लाने पर बान था । आपने इन्कार किया है पार्ट 'एफ' में । 'एफ' है : "Is it correct that the Government banned the import of foodgrains in the cities of Jaipur and Ajmer from the adjoining villages ?" In reply to it you have

Page No.8

(श्री पी० के० चौधरी)

replied that it is not correct, whereas it is correct that people are...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Government has not passed any orders.

श्री पी० के० चौधरी : Then who passed the orders ? As a matter of fact, the Hon'ble Minister told that he will enquire into the matter. In this house he promised to enquire, and I would like to know now what is the result of the enquiry in this connection ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The Government has not banned. The Collector has done it under the Act.

श्री पी० के० चौधरी : Is not the Collector a part of the Government ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is a difference between the Government order and that of an officer.

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir, this question was raised previously. It is very difficult to follow whether the Collector is doing it on his own initiative or what ? This information was imparted to the Hon'ble Minister in this House and he promised that he will enquire into the matter and now he has...

श्री अध्यक्ष : What the Hon'ble Minister has said was that some restriction might have been imposed for the regulating the entry of wheat... but there was no ban as such.

श्री पी. के. चौधरी : It amounted to....

श्री अध्यक्ष : I think the position is quite clear now.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लाने के लिए बान तो है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is no ban from one district to another district.

श्री मुरलीधर व्यास : गंगानगर से बीकानेर में गेहूं लाने का प्रतिबन्ध है। वहां से गेहूं नहीं ला सकते।

श्री पी० के० चौधरी : But in the last the Hon'ble Minister had promised to enquire into the matter...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : But the question is very clear, and in reply to it I said that Government has not passed any order.

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know what action you have taken not to restrict the import ? Have you instructed the Collector ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is no question of issuing instructions. The Government can pass orders and we have not passed the orders.

Page No.9

श्री मुरलीधर व्यास : किस तारीख से हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि गवर्नमेन्ट ने ऐसा बान कभी नहीं लगाया ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : चूरू से बाजरा आने में प्रतिबन्ध लगा रखा है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके लिए एक्ट है और उसके अधीन लगा रखा है ।

श्री पी० के० चौधरी : It was also asked last time and the Hon'ble speaker also intervened in that question, but still no clear repley is forthcoming.

श्री अध्यक्ष : Next question please.

श्री मुरलीधर व्यास : इतना तो हम चाहते हैं कि सरकार अब भी राजस्थान में अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने लाने के लिए कलेक्टरों को हिदायत करेगी कि इसमें रोक टोक न हो ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सप्लाइज़ को रेगुलेट करने के लिए पॉवर्स हैं और कलेक्टर चाहे तो फ्रीज़ कर सकता है, सीज़ कर सकता है, गवर्नमेन्ट की ओर से ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है और एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की कोई रोक नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक जिले में एक भाव और दूसरे में भिन्न भाव हैं, इसलिए ऐसी हिदायतें सरकार को देनी चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाजरे के बारे में हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या सरकार [illegible] मालूम है कि अजमेर जिले से हजारों मन चना बाहर जा [illegible] है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी० [illegible]० चौधरी ।

हड्डियों के संग्रह सम्बन्धी ठेके

७०३ **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Local Self Government Minister be pleased to state:-

(a) Is it correct that Tehsil Panchayats are authorised to give contract for collecting unclaimed bones lying in the panchayat areas ? If so, to whom the contract for collecting bones was given in Phulera Tehsil in the year 1958 and at what rate ?

(b) Is it correct that in the year 1958 the contract for collecting bones in Phulera Tehsil was given at Rs. 3,000 only by the Sarpanch of the Tehsil without taking the Panches into confidence by auctioning the bones in their absence ? If so, on what date the auction took place and in whose presence ?

(c) Is it also correct that the earnest money of 750 received on the day of auctioning the bones has not yet been deposited in treasury by the

Page No.10

(श्री पी० के० चौधरी)

Sarpanch Tehsil Panchayat Phulera ? If not, on what date the money has been deposited and in which treasury ?

मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (अ) जी हां । सन् १६५७-५८ का ठेका ८०००) रुपये में श्री मोहम्मद इब्राहिम ठेकेदार, जयपुर को दिया गया था ।

(ब) जी हां । नीलाम दिनांक २५-४-५८ को किया गया । नीलाम के समय ठेकेदार व उपसरपंच उपस्थित थे ।

(स) जी हां । क्योंकि तहसील पंचायत को कर्मचारियों का वेतन चुकाना था और पंचायतों की आय की पंचात प्रतिशत रकम काट कर शेष द्रव्य पंचायतों को भेजना था ।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि यह नीलाम किया गया था उसमें उप-सरपंच प्रेजेन्ट थे लेकिन Is the Hon'ble Minister aware that the Upsarpanch is himself working as a Sarpanch and he has done it without taking any other Panchas into confidence.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस वक्त उप. सरपंच सरपंच का काम कर रहा था और उसीने ठेका नीलाम किया था ।

श्री पी० के० चौधरी : उसने दूसरे पंचों को कान्फिडेन्स में नहीं लिया, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके लिए हमने पूछा है कि दूसरे पंचों को क्यों नहीं रखा ।

श्री पी० के० चौधरी : अरनेस्ट मनी क्यों नहीं जमा किया ?

श्री अध्यक्ष : कारण बता दिया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि तहसील पंचायत को कर्मचारियों का वेतन चुकाना था और पंचायतों की आय की पंचायत प्रतिशत रकम काटकर शेष द्रव्य पंचायतों को भेजना था ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम ।

वासणा ग्राम में लगान की वसूली

७०४ **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम वासणा तहसील सोजत सेटल्ड गांव था और सन् १६४८ में जागीर में दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि भूतपूर्व जोधपुर सरकार के यह आदेश थे कि सेटल्ड जागीर में लटाई न की जाय व नकद लगान ही वसूल किया जाय ?

(३) क्या यह सही है कि गांव वासणा में सन् १६४८ व १६४६ में नकद लगान ही वसूल किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि वासणा की जागीर केवल उसके अनसेटल्ड होने के नाते

(श्री तेजाराम गहलोत)

अवाप्त करने के बाद वापिस रिलीज़ की गई है ?

(५) क्या यह बात सही है कि सोजत तहसील के दूसरे गांव जिनका बन्दोबस्त भी वासणा गांव के साथ हुआ था व १९४८ में जो जागीर में दिये गये थे जैसे घीनाबास अटबड़ा आदि गांव उसी बन्दोबस्त के आधार पर ही अवाप्त किये गये हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है इसलिए अगली टर्न पर इसका उत्तर दे दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या ७०५

श्री अध्यक्ष : राव राजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७०६

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

बीकानेर शहर में हड्डियों का ठेका

७०७ श्री **गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर शहर में हड्डियों का ठेका इस साल नगरपालिका ने किस व्यक्ति व किस संस्था को दिया और कितने में ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ठेके का कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं निकाला गया ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस तारीख को नोटिस निकाला गया व किस तारीख को ठेका नीलाम किया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) नगरपालिका, बीकानेर ने इस साल बीकानेर शहर में हड्डियों का कोई ठेका नहीं दिया ।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री गिरधारीलाल : इस साल ५९-६० में या ५८-५९ में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस साल के लिए पूछा उसका जवाब दिया ।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने सन् ५८-५९ के बारे में पूछा था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो साल ३१ मार्च को समाप्त हो रहा है उसके बारे में है ।

श्री मुरलीधर व्यास : हड्डी उठाने का काम कोई न कोई तो करता ही होगा ?

श्री बद्रीदसाद गुप्ता : केटल लिफ्टिंग का ठेका दिया है, मरे हुए जानवरों को उठाने का ठेका दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वही सवाल है । ठेका किसको दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हड्डियों के ठेके के बारे में पूछा था और मैंने उत्तर दिया था कि किसी को नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : हड्डियां तो मरे हुए जानवरों की ही होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मृत पशुओं को उठाने का ठेका बीकानेर हड्डी उत्पादन सहकारी समिति को दिया गया जिसका नोटिस ७।५ को निकाला गया था और नीलाम १०।५ को दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सहकारी समिति के सदस्य कौन कौन है? मेघवाल है, हरिजन हैं या और कोई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूची मेरे पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : इस समिति का चैयरमैन कौन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने हड्डियों के कलेक्शन के बारे में पूछा था । मैंने बता दिया था कि [illegible] ओं को उठाकर ले जाने का ठका दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल : हड्डियों का मतलब मृतक पशुओं की हड्डियों से है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मृतक पशुओं का ठेका दिया गया जो कि उनका चमड़ा निकालते हैं। हड्डियों का नहीं दिया गया।

प्रश्न संख्या ७०८

श्री अध्यक्ष : श्री हज़ारीलाल बाकोलिया

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तोड़ मरोड़ कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न साफ नहीं था।

श्री गिरधारीलाल : मैंने और ढंग से पूछा था और जवाब दूसरे ढंग का दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह भी जवाब दिया गया था। मैंने यह भी बताया था कि इसका नोटिस भी निकाला गया था।

श्री गिरधारीलाल : कितने व्यक्तियों ने बोली लगाई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिटेल्स मेरे पास नहीं है लेकिन ठेका नीलाम किया गया था और नोटिस भी जारी किया गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

कल्याण केन्द्रों पर व्यय

७०९. [illegible]ी **मुरलीधर व्यास** : (बीकानेर [illegible]), क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर [illegible]ने की कृपा करें

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को मजदूरों के हितार्थ (वैलफेयर [illegible]टीज़) के लिये सन् ५६-५७ में

Page No.13

(श्री मुरलीधर व्यास)

कितनी धनराशि दी गई व वह कहां कहां किस तरह खर्च में लगाई गई ?

(२) सन् ५६–५७ में राजस्थान द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में कुल कितना धन खर्च हुआ ?

(३) यह खर्च कहां कहां किस किस कार्य पर हुआ ? कृपया विगतवार बताइये ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) कुछ नहीं।

(२) ५०१६ रू.

(३) वह निम्न स्थानों पर किया गया: जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक बून्दी, चम्बल बान्ध, लाखेरी, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, व्यावर, व विजयनगर।

खर्च का विवरण इस प्रकार है :

वेतन तथा अलाउन्स पर : ३२८७८

श्रम कल्याण विभागों पर, खेलकुद, दूध बाटना ट्रेनिंग आदि पर : २४२१६

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार ने ऐसी कोई योजना बनायी हैं क्या कि यहां पर पैसा खर्च किया जाना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो वैलफेअर सेन्टर्स बने हुए हैं वहां पर जो खर्च किया गया है वह बताया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : वैलफेअर सेन्टर्स किन किन स्थानों पर होने चाहिये, इस सम्बन्ध में कोई योजना थी क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाइव ईयर प्लान के अन्तर्गत डिसाइडेड थे उन्हीं स्थानों पर खोले गये हैं; जैसे जयपुर, सवाईमाधोपुर अलवर, टोंक, बूंदी, चम्बल बान्ध, लाखेरी, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, व्यावर, व विजयनगर।

श्री अध्यक्ष : आप कहीं खुलवाना चाहें तो बता दें।

श्री मुरलीधर व्यास : श्रम कल्याण केन्द्र वहां होने चाहिये जहां श्रमिकों के स्थान हो। आखिर आपने केन्द्र खोलने के पहले कोई क्राइटेरिया तो सामने रखा होगा या यों मान लिया जिन स्थानों पर आपने केन्द्र खोले हैं उन्हीं स्थानों पर श्रमिक है अन्य स्थानों पर नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रमिकों की सुविधा के लिये ही तो ये खोले गये हैं जैसे जयपुर, सवाई माधोपुर आदि आदि।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि सब से ज्यादा आवश्यकता, इसप्रकार के केन्द्र खोलने की, जामसर में है, जहां दो हजार मजदूर काम करते हैं वहां की हालत को देखते हुए वहां पर इस प्रकार का खर्च क्यों नहीं किया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपसे अर्ज करूं जहां जहां खोले गये हैं वे भी तो श्रमिक केन्द्र है जैसे जयपुर, सवाई माधोपुर,

Page No.14

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अलवर, टोंक, बून्दी, चम्बल बान्ध, लाखेरी, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, व विजयनगर। ये सब इन्डस्ट्रियल सेन्टर्स हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जामसर के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयन्दा जब सेन्टर्स खोले जायेंगे इसका भी ध्यान रखा जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इस बात की जांच कर ली जाय कि सब से ज्यादा और पिछड़ी हुई जाति के लोग इस जामसर में ज्यादा हैं वहां भी।खोला जाय, यह मेरा मकसद था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेबर वैलफेअर की दृष्टि से सभी जगह हालत खराब है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा मतलब प्राथमिकता किसको दी जाय, इसको देखा जाना चाहिये।

राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों में नर्सों की कमी

७१०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Health be pleased to state : (a) What is the total number of trained nurses required for the State Hospitals and Dispensaries ?

(b) If there is a deficiency, what steps the Government contemplate to take to remove this shortage and by what time will it be done ?

उप मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (a) The sanctioned posts in Nursing Cadre and the vacancies at present are as under:—

Cadre	No. of sanctioned posts	Vacancies
Sisters	75	27
Staff Nurses	415	140
Midwives.	560	236
Nurse Dais.	128	60
Dais.	156	54

(b) In order to solve the problem and to abtain the required technician staff traning is being imparted at the following training centres of the cadres mentioned below under second Five year Plan.

Staff Nurses.

The training is being imparted at Jaipur, Jodhpur and Ajmer. 20 admissions are being made every year at each centre. We will require time to make good the deficiency in tnis cadre as the duration of the training is 4 years and so the required number of candidates will not be available during the current second five year plan.

Midwives

The training of Auxilliary Nurse,

Page No.15

(श्री भीखाभाई)

Midwives is being imparted at Alwar, Kotah, Jodhpur, Bikaner Udaipur and Ajmer. 30 students are to be admitted at each training centre and so the defficiency will be made good by the end of the second five year plan.

Dais.

The training is being imparted at Sikar, Partabgarh Dausa, Dungarpur. Dholpur and sanswara. 30 admissions are made at each training centre and it is hoped that the defficiency will be made good during the II nd five year plan.

तहसील लूणकरणसर के काश्तकारों की शिकायत

७११. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर के किस किस गांव के किसानों ने सरकार के समक्ष शिकायत की है कि संबंधित जागीरदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से राजस्व अधिकारियों से मिलकर जमीन फर्जी तौर पर काश्तकारों के नाम से दर्ज करा दी ?

(२) क्या यह सही है कि पूर्व तहसीलदारों में से एक ने उन शिकायतों की जांच की और सही पाने पर उक्त जमीन कैन्सल कर दी लेकिन बाद में पुनः दर्ज करने के आदेश दे दिये गये ?

(३) उक्त शिकायतों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) ग्राम ओडसर तहसील लूणकरणसर के कुछ वाशिन्दगान श्री गुलाराम इत्यादि द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस बारे में प्रस्तुत हुआ कि जागीरदारान ग्राम ओढसर ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की गर्ज से राजस्व अधिकारियों से मिलकर फर्जी तौर पर काश्तकारों के नाम दर्ज कर दिये अन्य किसी ग्रामवासी की ओर से ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ।

(२) जी हां । श्री अजीतसिंह साबिक तहसीलदार लूणकरणसर ने अपनी आज्ञा दिनांक ६-११-५७ द्वारा बहुत से खेतों के इन्द्राज गिरदावरी सम्वत् २०१३ व २०१४ इस ग्राम की मन्सूख कर दी परन्तु उन्हीं खेतों की गिरदावरी श्री एम० एम० कौल, एस० डी० ओ० नॉर्थ ने राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १२५--२६ के तहत अपनी आज्ञा दिनांक १-२-५८ द्वारा बहाल की ।

(३) यह शिकायत दिनांक १६-१-५६ को कमिश्नर के कार्यालय से भी खारिज कर दी गई। अतः राज्य सरकार की ओर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, गोचर भूमि को वहां के एक जागीरदार ने फर्जी तौर पर दूसरे काश्तकारों को अलॉट करके अधिक मुआवजा प्राप्त करने की दृष्टि से उन काश्तकारों के नाम से दर्ज करा दी। इस

Page No.16

(श्री भीमसेन)

बात की शिकायत वहां के काश्तकारों ने की है कि वह अधिक मुआवजा प्राप्त करने के लिये ऐसा कर रहा है फिर भी गवर्नमेन्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया ?

श्री सम्पतराम : तहसील स्तर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार ऐसा है कि खास जगह की खसरा गिरदावरी तय नहीं हुई थी, दोनों पार्टीज में लिटीगेशन चला, तहसीलदार ने बहुत से खेतों के इन्द्राज गिरदावरी सम्वत् २०१३ व २०१४ इस ग्राम की मन्सूख कर दी। जब उसकी अपील एस० डी० ओ० को की गई तो उसने तहसीलदार की आज्ञा को कैन्सिल कर दिया। हारी हुई पार्टी कमिश्नर के यहां गई उस कार्यालय से भी वह शिकायत खारिज कर दी गई। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि किस उद्देश्य से यह कार्यवाही जागीरदार ने की है इस प्रकार की बात होती तो स्पष्ट तौर से देखा जा सकता था। राजस्व अधिकारियों के जो अधिकार थे उसी के तहत कार्य किया गया। अगर दूसरी पार्टी सन्तुष्ट नहीं है तो आगे कोर्ट में वे जा सकते हैं।

श्री भीमसेन : इसमें सरकार का भी तो इन्ट्रेस्ट था एक जागीरदार फर्जी तौर पर जमीन अलॉट करके उसका मुआवजा ले रहा था वैसी हालत में सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सवाल तो जमीन पर हक का था जब इस बारे में जुडिशियल फैसला हो चुका है तो हम उसका क्या कर सकते हैं।

श्री भीमसेन : क्या वहां के तहसीलदार ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी थी क्या कि अधिक मुआवजा लेने की दृष्टि से जागीरदार इस प्रकार कर रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार की तो कोई रिपोर्ट नहीं थी। जो अख्त्यारात लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत हासिल थे उसके अनुसार गश्त गिरदावरी के संबंध में एपीलेन्ट ऑथोरिटी एस० डी० ओ० होते हैं, जब उन्होंने उनके अधिकार को वापिस मन्जूर कर लिया तो गवर्नमेंट को पॉवर्स नहीं हैं कि गश्त गिरदावरी वापिस कैन्सिल कर सके।

श्री भीमसेन : क्या गलत कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकार एक्शन नहीं ले सकती ? आज भी वह भूमि बन्जर पड़ी है ? काश्त क्यों नहीं की जाती !

श्री दामोदरलाल व्यास : गोचर भूमि है, यह तो सूचना आप दे रहे हैं।

श्री भीमसेन : वहां के काश्तकार काफी अर्से से उसको गोचर भूमि की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्ऑक्युपाइड जो लैन्ड होती है वह अक्सर गोचर भूमि के लिए काम आती है। जब तक प्रोपर्ली डिमार्केटेड चरागाह नहीं हो जाता उसको हम गोचर भूमि नहीं कह सकते। यह बात सही है कि इस बारे में अलबत्ता शिकायत जरूर थी कि अनऑक्युपाइड लैंड है और आय ज्यादा प्राप्त करने की गरज से दूसरे काश्तकारों के नाम अलॉट कर दी है। इसको

Page No.17

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तहसीलदार ने जब ठीक पाया तो उसने उस प्रकार के आॅर्डर्स दे दिये लेकिन जब यह मामला एस० डी० ओ० के पास गया तो उसने तहसीलदार के केन्सिलेशन को कैन्सिल कर दिया। आपकी शिकायत है कि एस० डी० ओ० ने ठीक नहीं किया। It is judicial way, we can't help.

प्रश्न सं० ७१२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

नगरपालिका चाक्सू द्वारा हाई स्कूल के लिए बनाए गए कमरे

७१३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नगरपालिका चाकसू के द्वारा हाई स्कूल के लिए बनाये गये तीन कमरे पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह कमरे नगरपालिका ने स्वेच्छा से बनाये थे या सरकारी के आदेश से ?

(३) कमरे पूर्ण न होने से सरकार भवन की जो हानि हो रही है उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं। कमरे पूरे नहीं हुये, अब होने वाले हैं।

(२) स्वेच्छा से।

(३) सरकारी भवन की किसी प्रकार हानि न होने से उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता।

धौलपुर नगरपालिका के एग्ज़ीक्युटिव आॅफिसर पर नगरपालिका का कर्जा

७१४. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) धौलपुर नगरपालिका ने एग्ज़ीक्युटिव आॅफिसर को कितना कर्ज़ा कब और किस कार्य के लिये दिया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि जो कर्ज़ा उन्होंने जिस कार्य के लिये लिया था, वह उसमें प्रयोग न कर अन्य कार्य में प्रयोग किया गया है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त एग्ज़ीक्युटिव आफीसर पर दूसरी नगरपालिकाओं का भी कर्ज़ा बाकी है ? यदि हां, तो फिर धौलपुर नगरपालिका ने वसूली की क्या व्यवस्था की है ? शर्तनामा की एक प्रति सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) एग्ज़ीक्युटिव आॅफिसर, धौलपुर को नगरपालिका द्वारा दिनांक १०-१०-५८ को १४००) रुपयों का कर्ज़ा मोटर साइकिल खरीदने के वास्ते दिया गया था।

(२) यह सत्य नहीं है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(३) जी हां। नगरपालिका को आदेश दिये गये हैं कि यह रकम एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के वेतन में से क्विक इन्स्टॉलमेन्ट्स में काट ली जाय और काटी हुई रकम सम्बन्धित नगरपालिकाओं को भेज दी जावे। शर्तनामा की प्रति सदन की मेज़ पर रखवा दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह: तो क्या यह मान लिया जावे कि उसने मोटर साईकिल खरीद ली है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: नहीं, खरीदी तो नहीं है, पर और किसी काम में भी रुपया नहीं लिया है।

डॉ० बहादुरसिंह: तो क्या रुपया बैंक में किसी में जमा है, या दूसरी जगह कर्ज़ पर दे रक्खा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: उन्हीं के पास है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): इस शर्तनामे में कहीं यह उल्लेख है क्या कि इतने समय में मोटर गाड़ी खरीद ली जावेगी

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह शर्तनामे की कॉपी माननीय सदस्य को दे दी गई है। इस तरह का कोई टाइम लिमिट तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: कर्ज़ा किस तारीख को लिया गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १०-१०-५८ को।

श्री भैरोंसिंह: शर्तनामे में इस बात का जिक्र नहीं रखा गया कि कितने समय में खरीद ली जानी चाहिये?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मुझे तो इसमें तारीख मुकर्रर नहीं मालूम पड़ी। अदायगी के बारे में है कि २५) रुपये माहवार में अदा कर देगा।

डॉ० बहादुरसिंह : फिर सरकार किस आधार पर कहती है कि रुपये का दुरुपयोग नहीं हुआ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: वे कहते हैं कि मेरे पास जमा हैं।

श्री भैरोंसिंह: उनका जो उत्तर आया है वही इस बात का आधार है कि इसका दुरुपयोग नहीं हुआ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: और क्या हो सकता है, इसका मिसएप्रोप्रियेशन तो नहीं हुआ। उसने अपने पास जमा कर रक्खा है।

श्री भैरोंसिंह: यह जमा ही तो कहां कर रक्खा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अपने पास कर रक्खा है।

डॉ० बहादुर सिंह: सरकार किस आधार पर कहती है कि रूपया उसके पास जमा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: वे कहते हैं मेरे पास हैं।

(हंसी)

Page No.19

डॉ० बहादुरसिंह : वह कहते हैं कि मोटर साइकिल खरीद ली तो क्या सरकार भी यह कहने लग जावेगी कि हां खरीद ली।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: खरीदी, नहीं खरीदी, यह तो प्रकट है। सामने आवेगी, but the money is there and is not lost. वह कहता है, मैं खरीद लूंगा।

श्री पी. के. चौधरी: (फुलेरा) : रुपया किस जगह जमा रक्खा है, बैंक में ड्राफ्ट में या किस जगह ? आपने कैसे मान लिया। What proof he has given tc you? Whether he has shown to you his pass book or any bank draft to establish that the money it is there with him?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: Because there is no proof that the money has been misappropriated.

श्री पी.के.चौधरी: जब रुपया उसके पास है तो सरकार जमा कराने के लिये दूसरों को क्यों कहती है ? क्यों नहीं खुद उससे वसूल कर लेती है और २५) रु० की किश्तों की क्यों कहती है ? जब काम में नहीं लिया तो सारा ही क्यों नहीं एक साथ वसूल कर लेती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: हमें नहीं लेना है म्युनिसिपल बोर्ड को लेना है और उसी को हमने कह दिया है कि उससे जल्दी रिकवर कर लिया जावे। शर्तनामें में २५) रु० की किश्त की बात थी इसलिये यही कहा।

डॉ० बहादुर सिंह : यह रुपया उसको कब तक खर्च कर लेना था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कोई जिक्र नहीं है शर्तनामे में।

डॉ० बहादुरसिंह : एक प्रश्न यह है कि और भी म्युनिसिपल कमेटियों की रकमें उसमें बाकी हैं, उसकी वसूली के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और जो म्युनिसिपेलिटियों का रुपया है उसकी वसूली के लिये भी आदेश दे दिया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : कितनी म्युनिसिपेलिटियों का बाकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह बताया है, उस पर करौली म्युनिसिपेलिटी का बाकी है ७६६. ५४ न. पै., रामगंज मंडी म्युनिसिपेलिटी का बाकी है ७०)।

श्री अध्यक्ष : तो यही करते रहे हैं हमेशा ये !

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर): मोटर साइकिल के लिये लिया है तो वह रुपया किस में से चुकावेंगे, या तो इसमें से चुकावेंगे या तनख्वाह में से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिये तो कहा है कि जल्दी से जल्दी वसूल करने की कार्यवाही की जाय।

श्री भैरोंसिंह : जमानत ली गई इस रुपये की या यों ही दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जमानत तो तनख्वाह है ऑलरेडी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस तनख्वाह में से काटने के बारे में करौली से जब लिया था तब उस जगह के एग्रीमेन्ट में भी था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी तो जानकारी मेरी नहीं है । पर फिर भी लिखा है कि २५) रु० माहवार काट लिया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि धौलपुर नगरपालिका को चिट्ठी लिखी है । करौली की म्युनिसिपेलिटी ने कि यह रुपया उससे वसूल कराया जावे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो प्रीज़म्शन है ।

श्री भैरोंसिंह : यह फैक्ट है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो सकता है, मैं डाउट नहीं करता । पर वह रुपया वसूल करने के भी आदेश दे दिये हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ): पर नौकरी छोड़कर अगर चला जावेगा तो यह रुपया कैसे वसूल होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो म्युनिसिपेलिटी के देखने की बात ।

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know whether the Hon'ble Minister is aware that an Hon'ble member has suggested that the gentleman concerned is misusing the money and the Hon'ble Minister has placed reliance only on the statement of the Officer concerned, rather than on the suggestipn of the Hon'ble member....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्रिमिनल कोड में डिफाइन्ड है । आप प्रूव कैसे करेंगे इस बात को ?

श्री अध्यक्ष : He has simply suggested.

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि मोटर साइकिल खरीदने के नाम से पैसा लिया १४००) रु० और खरीदी नहीं, ५ महीने हो गये । इसी प्रकार करौली नगरपालिका का भी देखा । इसी तरह और जगह की भी बात हुई, तो आप इन सब के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is not a case of misapporpriation. I am prepared to hold an enquiry.

लोन का मिसएप्रोप्रियेशन हो नहीं सकता ।

डॉ० बहादुरसिंह : ५ महीने हो गये और नहीं खरीदी साइकिल तो फिर मिसयूज़ हुआ नहीं तो क्या हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is a case of non-utilization of money...... and now we are going to recover the whole amount from him.

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : यह बतलाने का कष्ट करेंगे क्या कि धौलपुर नगरपालिका कमेटी चुने हुए लोगों की है या ऑफिसर्स रखे हुए हैं और चुने हुए हैं तो क्या चुने हुए लोगों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनी हुई है और ज़िम्मेदारी उन्हीं की है, सरकार की नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद : फिर आप इतना जवाब देकर सारी ज़िम्मेदारी अपने सिर पर कैसे ले रहे हैं ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सवाल का जवाब तो देता ही हूँ । जवाब देने से मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं आती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस व्यक्ति ने अपने शर्तनामे में यह लिखा है कि इस व्यक्ति में अन्य किसी नगरपालिका का कर्जा नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास कॉपी है शर्तनामे की, उसमें तो ऐसा दर्ज नहीं है । वह कॉपी माननीय सदस्य को भी दे दी गई है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Executicve officer is a government servant, यह सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

ग्राम ब्रजपुरा तहसील दीगोद में कृषि योग्य पड़त भूमि

७१५. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम ब्रजपुरा तहसील दीगोद में कितनी कृषि योग्य भूमि पड़त पड़ी हुई है ?

(ख) क्या उक्त भूमि की प्राप्ति हेतु ग्राम के किसानों ने मांग की थी ?

(ग) यदि हां, तो यह भूमि वहां के किसानों को अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग(श्री सम्पतराम) : (क) १३४ बीघा ८ बिस्वा ।

(ख) जी हां । ग्राम के दो किसानों ने मांग की थी ।

(ग) उक्त दोनों प्रार्थना पत्र नियत अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये, ये जिन पर दिनांक ६-२-५६ को विचार किया जाना था, परन्तु उस दिन उप जिलाधीश कोटा, द्वारा तहसीलदारान की मीटिंग आयोजित कर लेने के कारण उक्त भूमि के वितरण का कार्य नहीं हो सका ।

प्रश्न संख्या ७१६

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

Page No.22

जैन (गुरुकुल) हाई स्कूल, छोटी सादड़ी के रैगर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति

७१७. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन सु): क्या मन्त्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के छोटी सादड़ी कस्बे के जैन (गुरुकुल) हाई स्कूल में कक्षा आठवीं के पास विद्यार्थी रमेशचन्द्र रैगर को गत साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली ?

(२) क्या यह सही है कि इस विद्यार्थी के उक्त बारे में लिखने पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक, उदयपुर ने लिखित सूचना दी कि तुम्हें आठवीं में फेल हो जाने से छात्रवृत्ति नहीं दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि यह विद्यार्थी कक्षा आठवीं में पास हुआ और पास होने का प्रमाणपत्र हैडमास्टर जैन (गुरुकुल) हाई स्कूल, छोटी सादड़ी का भी उक्त उप संचालक के पास भेजा गया था ?

(४) यह छात्रवृत्ति नहीं देने का कारण क्या है ?

उप मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) प्रार्थी के आवेदनपत्र के साथ सूची नहीं प्रस्तुत करने के कारण ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : तो क्या सूची न मिलने पर ही कह दिया कि आठवीं में फेल हो गया है ?

श्री भीखाभाई : प्रार्थनापत्र में साथ संलग्न नहीं होने के कारण, जो कि अपेक्षित था, यह नहीं मालूम कर सकते कि पास है या फेल है।

श्री जयचन्द्र मोहिल : अब क्या कार्यवाही की गई ? अभी तक छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली जब कि हैड मास्टर से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट पेश कर दिया ?

श्री भीखाभाई : छात्रवृत्ति मिलने का यही ठीक कारण नहीं है। उसमें प्राप्तांक के हिसाब से प्राथमिकता दी जाती है। जिसको ज्यादा ऊंचे नम्बर मिलते हैं उनको क्रम से प्राथमिकता मिलती है और दूसरे भी कारण थे, तीन सौ, चार सौ केसेज थे जिनमें से नहीं मिली !

श्री जयचन्द्र मोहिल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्बन्धित मन्त्री महोदय को यह सूचना करना चाहता हूं कि जिस समय छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे गये हैडमास्टर ने इन विषयों को उस फॉर्म में दर्ज किया है। यह जो उत्तर दिया गया है यह सही नहीं है।

श्री भीखाभाई : जो सूचना विभाग से प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैंने सदन को सूचना दी है। अगर माननीय सदस्य बता

(श्री भीखाभाई)

रहे हैं तो उसकी और जांच करवा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

खरीफ–१९५८ के जिन्सवार नक्शे

७१६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या लूणकरणसर तथा बीकानेर तहसीलों के पटवारियों द्वारा खरीफ सन् १९५८ के नक्शे जिन्सवार समय पर प्रस्तुत कर दिये गये हैं ? अगर हां, तो गांव मोटीलाई व खियेरां तहसील लूणकरणसर तथा गांव सेरेरां, नापासर के नक्शेजात की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों में पैदावार बिल्कुल नहीं हुई ? वहां की सम्बन्धित स्वायत्त शासन संस्थाओं की इस संबंध में क्या रिपोर्ट्स हैं ?

(ग) उपरोक्त गांवों के लिए इस वर्ष लगान वसूली की रकम में कितनी कितनी छुट दी गई है ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम : (क) जी हां सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं। इन गांवों की स्वायत शासन संस्थाओं द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ग) ग्राम खीमेरा तहसील लूणकरणसर तथा ग्राम नापासर तहसील बीकानेर के लिए छूट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भीमसेन : यह कौन से महीने में दी जानी चाहिए तहसील से, तहसील में ?

श्री सम्पतराम : यह तो लैण्ड रेकॉर्ड मैनुअल में ही दिया हुआ है। लेकिन जब फसल तैयार होती है उसके बाद में यह पटवारी का काम है कि वह गिरदावरी तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दें।

श्री भीमसेन : मैंने पूछा था कि क्या लूणकरणसर तथा बीकानेर तहसीलों के पटवारियों द्वारा खरीफ सन् १९५८ के नक्शे जिन्सवार समय पर प्रस्तुत कर दिये गये हैं, तो इसका उत्तर आपने दिया, "जी हां" और इसके बारे में दूसरा प्रश्न पूछा कि कौन से महीने में दिये, तो इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो यह कैसे मान लें कि रूल्स में तो है लेकिन पटवारी ने किया नहीं और शहर में ही बैठे अपने मन से बना कर प्रस्तुत कर दी और वहां की पंचायत की भी यह शिकायत है कि वहां पर फसल नहीं हुई है और फर्जी तौर पर इन्द्राज़ किया है। वहां पंचायत ने भी कहा है कलेक्टर को कि कोई फसल नहीं हुई।

श्री सम्पतराम: मेरे पास निश्चित तारीख तो नहीं है, लेकिन ज्यों ही गिरदावरी

(श्री सम्पतराम)

का पीरियड खत्म होता है और चैकिंग पीरियड के एक्सपायर होने के बाद में १५ दिन के अन्दर वह मामला तैयार हो जाये। इसमें हो सकता है कि इस पीरियड को थोड़ा एक्सटेण्ड कर दिया हो। हां, वहां की सारी खतौनी बनकर पेश हो गई थी और यह कहना गलत है कि समय पर नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: गिरदावरी के समय तो पंच और सरपंच भी तो साथ में होते हैं।

श्री भीमसेन: यही तो मेरी शिकायत है कि वहां पर फसल ही नहीं हुई और फर्ज़ी तौर पर इन्द्राज़ करते हैं। वहां की पंचायत ने भी शिकायत की है कि फसल नहीं हुई है और यह गलत जवाब दिया जाता है। क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है? अक्टूबर महीने में पंचायत ने कलेक्टर को यह शिकायत की है कि फसल बिल्कुल नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: मगर पंच और सरपंच के बिना तो गिरदावरी हो ही नहीं सकती।

श्री भीमसेन: यही तो मेरी शिकायत है कि पंच और सरपंच को बिना लिए ही गिरदावरी कैसे तैयार करदी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): इसकी तारीख की इत्तला दे दी जाती है कि किस दिन गिरदावरी होगी और पटवारी हर पंचायत को सूचना दे देता है कि फलां फलां गांव की गिरदावरी करेंगे और अब पटवारी की सूचना दे देने के बाद में पंच और सरपंच का काम है कि वह पटवारी के साथ जाये और अगर नहीं जाते हैं तो फिर पटवारी को उनके बिना भी काम करना ही पड़ता है। इसकी तो सूचना माननीय सदस्य मुझे दे रहे हैं कि पंच और सरपंच नहीं गए तो नहीं गये इसके लिए तो उन्हीं की गलती है कि जब सूचना दी गई थी तो क्यों नहीं गए। हां, अगर पटवारी ने सूचना नहीं दी तो इसके लिए एक्शन लिया जा सकता है।

श्री भीमसेन: उनको कोई सूचना नहीं दी गई और फर्ज़ी तौर पर पटवारी ने जैसा चाहा मनमाने ढंग से गिरदावरी की। इसके लिए वहां की पंचायत ने कलेक्टर को भी शिकायत की कि यहां पर कोई फसल नहीं हुई है और जो कुछ पटवारी इन्द्राज किया है वह गलत किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: सूचना नहीं दी गई तो उसकी कार्यवाही करेंगे। पर आपने तो पूछा कि कागज़ात कब पेश किये गए तो वह तो समय पर कर दिये थे। अब किसी स्वायत्त शासन संस्था ने रिपोर्ट दी तो इसके लिए कोई उनसे रिपोर्ट मांगी तो जाती नहीं है। पर हां, कुछ शिकायतों के बारे में पंचायत ने जरूर लिखा है। वहां पैदावार नहीं हुई इसका तो जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री वली मोहम्मद।

खड़ाला के पंच की पुलिस द्वारा इमदाद

७२०. **वली मोहम्मद** (छोटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:-

(१) क्या सरकार को विदित है कि दिनांक ३-८-५८ को खड़ाला का पंच श्री कलाराम पंचायत की कांजी हाउस में से

(श्री वली मोहम्मद)

जानवर निकाल लिये जाने पर पुलिस की इमदाद लेने के लिए गुड़ामालाणी थाने गया था ?

(२) यदि हां, तो पुलिस ने उसकी क्या इमदाद की ?

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) जी हां।

(२) पुलिस स्टेशन पर पहुँचने पर उसी रोज़ धारा ३७९ में मुकदमा दर्ज किया गया गया—और तफतीश चालू की गई।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

ग्राम हरिपुरा व गेशोटा में गोचरभूमि

७२१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गांव हरिपुरा और गेशोटा तहसील देवली में ११०० बीघा ज़मीन गोचर भूमि के निमित्त लम्बे अर्से से चलती आ रही है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस ज़मीन को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो यह किस कानून के अन्तर्गत बेची गई है ?

(ग) क्या ग्रामीणों ने इस ज़मीन को बेचने का विरोध किया था ? यदि हो, तो कब किया और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उपमंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (क) जी हां। मगर जागीरदार इस भूमि को अपनी खुदकाश्त बताता है जो गलत मालूम होता है।

(ख) जी हां। मगर भूमि का विवरण प्राप्त नहीं हो सका है।

(ग) कलेक्टर टोंक ने जागीर कमिश्नर को जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट की धारा २३ (२) के तहत जागीरदार के खिलाफ कार्यवाही करने को लिख दिया है तथा जागीर कमिश्नर ने आयन्दा जमीन न बेचने के लिए जागीरदार को आज्ञा जारी कर दी है। यह मामला अभी जागीर कमिश्नर के यहां विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास: कब से विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : तारीख का तो पता नहीं है, लेकिन हां, करीब छः-सात महीने हो गए।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकरण सिंह।

तहसील कोटपूतली की पंचायतों के पंच

७२२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या स्वायत्तशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत एक्ट के अनुसार कितनी आबादी पर १ पंच चुना जाना चाहिए ?

(ख) तहसील कोटपूतली में कौन कौन से ग्रामों में आबादी के हिसाब से पंचों की संख्या नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No.26

मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) राजस्थान पंचायत एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रत्येक पंचायत के पंचों की संख्या निर्धारित है, उनको जनसंख्या के हिसाब से बराबर बांटने की कोशिश की जाती है। इसलिए सारी पंचायतों के लिए एक आबादी का आधार नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या किसी आबादी पर पंच चुने जायें, इसके लिये सरकार ने कोई आधार बना रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि पंचायतों के गांव मुकर्रर हैं और उनके पंचों की संख्या भी मुकर्रर है और जनसंख्या के हिसाब से बराबर बांटने की कोशिश की जाती है कि इस गांव के इतने होंगे और उस गांव के उतने होंगे। वैसे सारी तहसीलों का एक आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

चेयरमैन नगरपालिका झालावाड़ को सफर खर्च एवं दैनिक भत्ता

७२३. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा—सु.) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नगरपालिका झालावाड़ के चेयरमैन ने १ जनवरी सन् १९५७, से ३० मार्च सन् ५८, तक नगरपालिका से कितना सफर खर्च व दैनिक भत्ता, भोजन खर्च आदि किस किस तारीख को कहां से कहां तक का प्राप्त किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मंत्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : कोई सफर खर्च, दैनिक भत्ता व भोजन खर्च वगैरह नहीं लिया गया है। अत : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

मंडार अस्पताल में वार्डों की कमी

७२४. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मंडार, तहसील रेवदर, ज़िला सिरोही के अस्पताल में रोगियों के ठहरने के वार्ड नहीं हैं ? यदि हां तो सरकार वहां कब तक वार्ड बनाने का विचार रखती है ?

मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां, यह तृतीय श्रेणी की डिस्पेन्सरी है जिसमें बैड्स नहीं हैं। इस प्रकार के दवाखानों में कोई बैड्स नहीं होते।

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : क्या इस श्रेणी के अस्पतालों में बैड्स नहीं होते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तृतीय श्रेणी की डिस्पेन्सरी में नहीं होते। क्लास वन, क्लास टू और थ्री के हॉस्पिटल्स में होते हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : फिर तीसरी श्रेणी की कौन सी डिस्पेन्सरी होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हॉस्पिटल के ३ डिविज़न्स हैं और ३ ही डिस्पेन्सरीज़ हैं और यह तीसरे दर्जे की डिस्पेन्सरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

तहसील जसवन्तपुरा के हरिजनों को मुफ्त जमीन का वितरण

७२५. **श्री मंगलसिंह** (रानीबाड़ा—श्री श्रीमानसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील जसवन्तपुरा में किन किन हरिजनों को गांवों में रहने तथा खेती के हेतु कितनी कितनी जमीन कहां कहां मुफ्त दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उप मंत्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : हरिजनों को इस तहसील में कहीं पर भी भूमि मुफ्त में नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

तहसील कोटपूतली में बेसिक स्कूल

७२६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या तहसील कोटपूतली में कोई बेसिक मिडिल स्कूल है ?

(ख) यदि नहीं, तो पूरी तहसील में बेसिक स्कूल न होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि दांतल में बेसिक प्राइमरी स्कूल बनाई गई है ?

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(ङ) क्या यह सही है कि उसमें सामान तक भी नहीं पहुंचा है ?

(च) क्या इसका निरीक्षण बेसिक स्कूल बनने के बाद में किसी अधिकारी ने किया ?

(छ) यदि हां, तो क्या उनकी निरीक्षण रिपोर्ट से प्रगति संतोषप्रद प्रकट होती है ?

मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार की योजनानुसार पहले प्राइमरी स्कूल को बेसिक स्कूल बनाया जाता है उसके पश्चात उसे उन्नत किया जाता है। अभी तक किसी भी प्राइमरी स्कूल को बेसिक स्कूल में उन्नत नहीं किया गया है जैसे जैसे सरकार बेसिक पाठशालायें बनायेगी तहसील कोटपुतली की पाठशालाओं पर भी विचार किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या तहसील कोटपूतली में कोई बेसिक प्राइमरी स्कूल है ही नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: कोई नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या राजस्थान में बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें बहुतों में कोई भी बेसिक प्राइमरी स्कूल नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां। ऐसी कई तहसीलें हैं जहां नहीं हैं।

श्री रामकरणसिंह : यह आदर्श स्कूल हर एक तहसील में सरकार के खोलने का इरादा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार का प्लान है। इस समय भी ५०० बेसिक स्कूलें बनानी हैं उनमें इसका भी नम्बर आ जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): दूसरे स्थानों में जो भी बेसिक स्कूलें खोली गयी हैं तो क्या दूसरे स्थानों पर भी इस प्रकार का प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया था या वैसे ही खोल दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो प्लान बनाया गया उसके मुताबिक खोली गई।

प्रश्न संख्या ७२७।

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

(अनुप॰)

श्री रामधन।

तहसील बोली में काश्तकारों की बेदखली

७२८. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम गैरोट, तहसील बोली, ज़िला सवाईमाधोपुर के काश्तकारों को हाल ही में भूमि से बेदखल किया गया है ?

(ख) अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अगले टर्न पर दूंगा।

प्रश्न संख्या ७२६

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम बासोतिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३०

श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवादें।

जयपुर शहर की हरिजन बस्तियां

७३०. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर सु) (डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर में हरिजनों की पुरानी बस्तियां कहां कहां से हटाई जाकर कहां कहां बसाई जा रही हैं ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(ख) क्या यह सही है कि पोलो विक्ट्री के पास वाली हरिजन बस्ती तथा चांदपोल और न्यू कॉलोनी आदि की हरिजन बस्तियों को वहां से हटाये जाने की कोई योजना चल रही है ?

(ग) क्या सरकार हरिजनों को उनकी पुरानी बस्तियों को ही आदर्श बस्तियां बना कर उन्हें बसा देने में कोई हानि समझती है ? यदि नहीं, तो फिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जयपुर शहर की विभिन्न हरिजन बस्तियों तथा अन्य गंदी बस्तियों....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सुनाई नहीं दिया कि क्या कहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर शहर की विभिन्न हरिजन बस्तियों तथा अन्य गंदी बस्तियों को हटाने का अथवा उन्हें उनके वर्तमान स्थानों पर ही सुनियोजित रूप से बसा देने का सरकार का विचार अवश्य है और इस विषय में योजनाएं बनाई जा रही हैं पर अभी तक समुचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है ।

(ख) इस प्रकार की कोई निश्चित योजना सरकार के विचाराधीन अभी नहीं है ।

(ग) इस विषय में निश्चित योजना बन जाने पर ही कहा जा सकेगा ।

डॉ० चन्द्रकला : यह योजनाएं कब से बनाई जा रही हैं और कब तक बनकर सामने आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसकी कोई योजना नहीं है ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्लम्प क्लियरेन्स का जो काम है वह आजकल प्लानिंग डिपार्टमेंट कर रहा है । पहले भी मैंने एक प्रश्न के उत्तर में अर्ज़ किया था कि प्लानिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है इसलिए इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): बजट में स्लम्प क्लीयरेन्स के लिए पैसा पहले ले लिया जाता है और योजना बाद में बनाई जाती है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्लानिंग डिपार्टमेंट डील करता है, इसलिए आपका मुझसे सवाल करना....

श्री मुरलीधर व्यास : स्लम्प क्लीयरेन्स के लिए रुपया पहले से ले लेते हैं और योजना बाद में बनाते हैं तो रुपया किस लिए लिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे डिपार्टमेंट में इनकी जानकारी नहीं है । प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको डील करता है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि पोलो विक्ट्री के पीछे हरिजन बस्तियों को

(डॉ० चन्द्रकला)

हटाकर बस स्टेन्ड बनाने की योजना है और वहां बसें खड़ी भी होने लगी हैं और वहां के हरिजनों को और कहीं बसाने की योजना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि तोपखाना के हरिजनों को यह कहा गया था कि तुम अपने मकान गिरा दो और अच्छी तरह से मकान बनाकर वहां बस जाओगे तो सरकार वहां बसाना पसन्द करेगी। इस आश्वासन पर कुछ ने अपने मकान गिरा दिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो सकता है कि स्लम्प क्लीयरेन्स की स्कीम के अन्दर ऐसा हुआ हो।

डॉ० चन्द्रकला : बिना किसी योजना के आश्वासन कैसे दे दिये जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कब कहा। मैंने तो यह कहा कि जानकारी इसकी मेरे पास नहीं है। स्लम्प क्लीयरेन्स की स्कीम प्लानिंग डिपार्टमेंट से डील होती है। वहां से कोई आदेश दिये गये होंगे। हमारे डिपार्टमेंट से कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से आश्वासन किसने दिया ? आप (डॉ० चन्द्रकला) बताइये।

डॉ० चन्द्रकला : वहां के लोग कहते हैं कि कमिश्नर, नगरपालिका, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने और मंत्री महोदय, हर बार कह देते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। क्या अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और नगरपालिका आपके विभाग नहीं है ? क्या इनसे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्लम्प क्लीयरेन्स का जहां तक सम्बन्ध हैं वह सारा प्लानिंग डिपार्टमेंट देखता है। जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ताल्लुक है वहां अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड या म्युनिसिपेलिटी में कोई स्कीम इस तरह की नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय कहते हैं कि इस प्रकार की योजना बनी और खर्चा नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अमृतपुरी की योजना राज्य सरकार ने बनाई है वहां पर लोगों को क्यों नहीं बसाया जा रहा है ? वहां पर कुछ क्वार्टर्स भी बन चुके हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री वली मोहम्मद।

सरपंच पंचायत को साथ लेकर गश्त गिरदावरी के सम्बन्ध में

७३१. श्री वली मोहम्मद (छोटन) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गश्त गिरदावरी करते समय पटवारी को अपने क्षेत्र की पंचायत के सरपंच को साथ में चलने के लिए सूचना देनी जरूरी है ?

(२) यदि हां, तो मेहलू के पटवारी श्री देवीसिंह द्वारा गिरदावरी करने जाने से पहले मेहलू पंचायत के सरपंच को सूचना न देने पर मेहलू पंचायत के सरपंच श्री द्वारका-दास द्वारा दिनांक ९-१०-५८ को कलेक्टर, बाड़मेर के पास शिकायत करने पर क्या

(श्री वली मोहम्मद)

कार्यवाही हुई ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (१) जी हां ।

(२) एस. डी. ओ. बाड़मेर, जांच कर रहे हैं ।

श्री वली मोहम्मद : कब तक यह जांच पूरी हो जायगी ।

श्री सम्पतराम : पटवारी का जवाब तलब किया है । उनका उत्तर आने के बाद में कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : There is a list,

श्री अध्यक्ष : अब समय समाप्त हो चुका है ? लेजिस्लेटिव बिज़नेस ।

(स्थगित प्रश्न संख्या ४२०, ४२७, ४४६ व ४४७ के लिए परिशिष्ट संख्या देखिये ।)

१२.२३. म०प०

स्थगन प्रस्ताव लिये जाने विषयक वादविवाद

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एड्जोर्नमेंट मोशन दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव आया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री पी.के. चौधरी : एड्जोर्नमेंट मोशन लाया जाता है अर्जेन्सी के लिए और विचार मन्त्री महोदय करते रहते हैं तो मोशन का मतलब खत्म हो जाता ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव बहुत लेट आया था, करीब १० बज कर ५५ मिनट पर उसके बारे में जानकारी करने का समय नहीं रहा ।

श्री पी.के. चौधरी : अकॉर्डिंग टू रुल्स जो एड्जोर्नमेंट मोशन है, मैं समझता हूं कि, सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व अगर डिलीवर कर दिया जाय तो वह लेट नहीं कहा जा सकता है । उस आधार पर मोशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है । सदन की कार्यवाही के प्रारम्भ होने से पूर्व उसकी कॉपी डिलीवर कर दी गई थी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह सच है, परन्तु पूर्व का यह मतलब नहीं कि ५ मिनिट पूर्व । इसको अस्वीकार नहीं किया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मेरा प्रस्ताव २४ घण्टे पूर्व पहुँच चुका है, उसके बारे में क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रस्ताव है ?

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में बिजली व पानी की स्थिति बिगड़ी हुई है उसके बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : रजिस्ट्री से भेजा है । वह बराबर आया है ।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं आया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो क्या यह मान लिय जाया कि आज तक नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : जी हां मेरे सामने नहीं आया है ।

१२.२५. म०प०

सदन में सदस्यों पर लगाये गये आरोपों का स्पष्टी करण ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, इस सदन में स्टेट एक्साइज़ की डिमान्ड पर जब बहस चल रही थी तो अजमेर से आने माननीय सदस्य ने उपमन्त्री और माननीय ज्वालाप्रसादजी पर भीषण आरोप लगाये थे कि उन्होंने राज्य कर्मचारियों को साथ लेकर अलवर के कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए पैसा इकट्ठा किया। आज दोनों माननीय सदस्य उपस्थित हैं सदन में। उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाय तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है इस बात का कि इस तरह के आरोप मेरी अनुपस्थिति में किसी सम्माननीय सदस्य ने लगाये थे। मैं इसके बारे में एक अपील सदन को आपके मार्फत करना चाहता हूं कि इस तरह के आरोप. निराधार आरोप बोलने के पहले, कहने के पहले वह सदस्य सोच लें और इस हाउस में तभी उसके संबंध में उनको आरोप लगाने चाहिए। इस बात में सदन की प्रतिष्टा रहेगी जिस तरह से जो आदमी सदन में नहीं हो उसके बारे में एक बात नहीं कई बातें इस तरह की कह दी जाती हैं कि जिसके बारे में गलतफहमी होने का अन्देशा रहता है जनता के अन्दर। इसलिए आप बोलें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सदस्य अपने आप यह नियम बना लें आपस के अन्दर। हम बराबर के सदस्य हैं। इसलिए एक दूसरे के बारे में जब हम यहां टीका करते हैं तो यह देख लें कि सदन में वह सदस्य मौजूद है।

इसलिए अब मैं अपने उन दो आरोपों पर आता हूं। जहां तक चन्दे का सवाल है यह सब निराधार है, कतई गलत है। जहां तक मेरे से उसका ताल्लुक है मैं यह कह सकता हूं कि चन्दे के लिए, हां, मैं एक आदमी को जानता हूं जिन्हें ज़रूर मेरे को कहने का मौका मिला। वह राजपूताना आटोमोबाइल के एक सज्जन थे जिनका कि कोई काम सरकार से नहीं है, न कोई ऐसे आदमी थे। मेरे सामने किसी ने भी किसी को किसी तरह का लालच देकर चन्दे की बात की हो, यह नहीं है। न मिनिस्टर महोदय ने की है और न मैंने। मैं कह सकता हूं कि यह बिल्कुल निराधार और गलत है। इस असत्य के लिए उनसे सबूत लिया जाना चाहिए, नाम पूछना चाहिए। कम से कम जब कि इस तरह से कुछ चीजों के लिए दूसरे सदस्यों के ऊपर आरोप लगाये जायं तो नाम जानना चाहिए इस सदन के अन्दर। नाम, प्लेस और टाइम कम से कम इन तीन चीजों को उन सदस्यों को बराबर उनके लिए कहना चाहिए जिसके आधार पर प्रेलीमिनेरी एन्क्वायरी कराई जा सके। सदन के अन्दर इस तरह से किसी के लिए कुछ भी कह देना कहां तक मौजू है? यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। यह सदन के बारे में कुछ नियम बनाये। मैं समझता हूं कि इस तरह से एक स्वीपिंग रिमार्कस को भी सदस्य सदन में किसी के बारे में कर देता है उसके लिए मैं समझता हूं कि प्रिविलेज मोशन मूव हो सकता है तो इन्क्वायरी होनी चाहिए। उनको नाम, प्लेस, टाइम, तारीख, ये सब चीज़ें, मिनिमम जो कि एक इलेक्शन पिटीशन में नेसेसरी हैं, कानूनी ढंग से नेसेसरी हैं, नहीं दें तब तक आरोप यहां पर नहीं लगाने देना चाहिए। हमारी रक्षा जरूर चेयर करेगी। मेरी अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना है कि जब तक वे ये

(श्री ज्वाला प्रसाद)

प्रेलीमिनेरी चीज़ें नहीं दें जिससे कि प्रिलीमिनेरी इन्क्वायरी हो सके तब तक किसी सदस्य को किसी सदस्य के खिलाफ आरोप नहीं लगाने देना चाहिए।

दूसरी बात और कह दूं। मेरे बारे में कहा गया। मैं महसूस करता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा और सदन की इज्ज़त हम सब की इज्ज़त है। मैं उस सिलसिले में कहना चाहता हूं, परन्तु मेरे दोस्त यहां पर नहीं हैं जिन्होंने कि आरोप लगाये हैं जिससे मालूम हो जाता कि सच्चा कौन है? मैं आज भी कहना चाहता हूं, २-३ बातें मेरे माइन्ड में आई हैं। एक और बात कहना चाहता हूं कि किसी सब इन्सपेक्टर को उनकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी ज्वालाप्रसाद ने। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसके सारे कागज़ात मौजूद हैं, और उन कागज़त में रिपोर्ट ली गई है। रिपोर्ट लेने के बाद एन्क्वायरी करके अपनी रिपोर्ट दी है। जिन सज्जन के बारे में बात की है उनके बयान मौजूद हैं। पुलिस की रिपोर्ट मौजूद है। मेरे पर जो आरोप लगाये गये हैं उनकी एन्क्वायरी स्टेण्ड करने को तैयार हूं चाहे मुझे कुछ भी सज़ा दी जाय। उसमें यह भी है कि वे सज्जन पैर लड़खड़ाते हुए शराब के अन्दर कोतवाली के अन्दर पहुंचे थे। यह मैं बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कागज़ पर लिखी हुई रिपोर्ट मौजूद है सब इन्सपेक्टर की और वह मसला ऐसा था कि जिसमें पूरी इन्क्वायरी की जाय और अगर मेरी गलती हो तो मुझे सजा मिलनी चाहिये मैंने यदि पुलिस वालों को कुछ कहा है तो, राजस्थान पुलिस वालों से तो न मेरी जान पहचान है न बात। उन माननीय सदस्य से मेरी कुछ व्यक्तिगत बात थी, वे वहां का चेयरमैन बनना चाहते थे लेकिन उनको मेरा आशीर्वाद नहीं मिल सका (हंसी) इसलिये वे ऐसी बातें करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: (जौहरी बाज़र जयपुर) आनरेबल डिप्टी मिनिस्टर भी यहां पर मौजूद हैं। अगर वे स्पष्टीकरण करना चाहें...

श्री अध्यक्ष: Yon cannot force him to reply.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: No Ser, I am just requesting. I am not forcing.

श्री अध्यक्ष: जिन्होंने आरोप लगाया है वे यहां पर मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह: On a point of order Sir अध्यक्ष महोदय, एक सदस्य ने यहां पर चार्जेज़ लगाये, जिन्हें दूसरे सदस्य ने इन्कार किया। मैं समझता हूँ, यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस तरह से चार्जेज़ लगाना गलत प्रेक्टिस है। यह हो सकता है कि गलत चार्जेज़ लगाये गये हों और यह भी हो सकता है कि चार्जेज़ का गलत डिनायल किया गया है। जब तक इन्क्वायरी कमेटी नहीं बनेगी तब तक फेक्ट्स सामने नहीं आयेंगे। नसीराबाद के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का सुझाव रखा है उन्हें चाहे प्रिविलेजेज़ के रुप में लिया जाय या इन्क्वायरी के रूप में लिया जाय, यह स्वीकार करने योग्य है, इससे सदन की प्रतिष्ठा बचाई जा सकती है, इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे भी व्यवस्था चाहूँगा कि इस प्रकार के चार्जेज़ लगाने के बारे में क्या व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष: I may inform the Hon' ble Member and the House that I am already considering the matter because this is of very serious nature and I will shortly announce what I propose to do in this matter.

(करतल-ध्वनि)

१२.१७ म. प.

विधायी कार्य

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल आफ रेन्ट एंड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १६५६

(पुरःस्थापन)

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एंड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामकिशोर व्यास: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२.१८ म. प.

राजस्थान यात्री तथा माल–कर विधेयक, १६५६

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री संपत्तराम (उपमंत्री आबकारी विभाग): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पेसेन्जर्स एंड गुड्स टैक्सेशन बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: Motion moved.

(विराम)

श्री मनोहर कोठारी।

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) अध्यक्ष महोदय, इनका प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी को सौंपने का है, लेकिन जो प्रिन्सिपली इसका विरोध करते हैं कि इस बिल को लाया ही नहीं जाय, उनको बोलने का मौका पहले देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: एक प्रस्ताव आया है उसके अमेन्डमेन्ट के रूप में दूसरे आये हैं। पहले वे मूव हो जाय, उसके बाद आप प्रिन्सिपल को ऑपोज कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : निगेटिव फॉर्म के जो सजेशन्स हैं उनको पहले लेना चाहिये। मैं इस बिल का विरोध प्रिन्सिपली करता हूँ और हाउस उसको एक्सेप्ट करता है तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने की या पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित करने को बात नहीं रह जाती। इसलिये प्रिन्सिपल का जो विरोध करते हैं वे पहले करलें और फिर पब्लिक ओपीनियन या सिलेक्ट कमेटी की बात कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष: संशोधन अगर पहले लाये जायेंगे और वे गिर जायेंगे तो मूल वैसा ही रहेगा इसलिए पहले संशोधन लाने उचित रहेंगे।

श्री श्रीभानसिंह: (बयाना) संशोधन तो है, लेकिन it is always the right

(श्री श्रीमानसिंह

and privilege of the opposition to start debate on such motions. So if they want to exercise that privilege they should be allowed. I think it is the privilege of the opposition to start debate.

श्री अध्यक्ष: We are not starting the debate on the motion. There is one amendment from the Hon' ble Member that it should be circulated for eliciting public opinion and another that it should be referred to a Select Committee. These amendments come to the House, Then the Hon' ble Member will have an opportunity to start the debate.

श्री मनोहर कोठारी: (कुम्भलगढ़) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, १६५६, सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। मैंने इस संबंध में एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसके ज़रिये मैंने यह मांग की है कि क्योंकि इस विधेयक के पास होने के बाद जो यात्रियों पर और माल पर कर लिया जायगा उसका असर आम जनता पर, जो कि यात्रा करने वाली है या जिनका माल ढोया जायगा उन पर असर पड़ने वाला है, इसलिये इस बिल को जनमत संग्रह के लिये प्रसारित किया जाय ....

श्री श्रीमानसिंह: One thing is not clear to me, Sir, how can this Bill be circulated for public opinion at this stage when we have agreed to this very tax in the Budget. After having ...eed to the Budget, the Hon. Mem- . is moving a motion at this stage that this Bill be circulated for public opinion. This is rather contradictory to its acceptance in the Budget. So I would like this point to be made clear by the Hon'ble Member. I feel this motion is not befitting at this stage. That is what appears to me, Sir.

श्री मनोहर कोठारी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो विधेयक हमारे सामने आज आया है यद्यपि यह ठीक है कि हमने बजट में एक विधेयक के संबंध में केवल जानकारी दी है और उसके साथ ही यह बतला दिया है कि मोटर यात्रियों पर या माल पर कुछ टैक्स लगाया जायगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो विधेयक का प्रारूप आया है वह इस स्टेज पर मांग कर सकता है, मैं समझता हूँ कि वह आज पैदा होता है जब कि विधेयक प्रस्तुत होता है....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) On a point of information. The point raised by the Hon'ble Member from Bayana is quite relevant because while accepting the Budget....

श्री अध्यक्ष: What is the point of information ? The Hon' ble Member is replying this point.

श्री पी.के. चौधरी : No, Sir, he is not replying to the point. After accepting the principle of the bill he can make an amendment about the quantum of the taxation but not on the principle of taxation.

Page No.36

श्री अध्यक्ष: But you should listen to him first. He has not spoken even for a minute and you have sprung up. Let him reply.

श्री मनोहर कोठारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय के सामने हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल ६६ सब क्लॉज (२) (ए) को पढ़कर सुनाता हूँ, जिसमें पब्लिक ओपीनियन या जनमत संग्रह के लिए किस स्टेज पर प्रस्ताव पेश किया जाता है यह बताया है: (a) if the member-in charge moves that his Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the bill be referred to a Select Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion; or. ."

और इस समय बजट में चाहे उसका रेफरेन्स दे दिया गया हो लेकिन क्योंकि यह बिल कंसीडरेशन स्टेज पर आज पेश किया है, ऐसी स्थिति में मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं जनमत संग्रह के लिये प्रस्ताव पेश करूं इसलिये पेश किया है।

श्री भैरोंसिंह: प्रिन्सिपल को आप एडमिट करते हैं टैक्सेशन के ?

श्री मनोहर कोठारी: प्रिन्सिपल को एडमिट करता हूँ या नहीं, यह तो आप बाद में समझ सकेंगे....

श्री पी. के. चौधरी: Did you vote for the Budget ?

श्री मनोहर कोठारी: तो मैं समझता हूँ, बीच में जो दलील प्रस्तुत की गई थी उसका इस स्टेज पर कोई असर नहीं हो सकता। तो मेरा जो संशोधन प्रस्ताव है उसके ज़रिये मैंने यह मांग की है कि पब्लिक ओपिनियन के लिये इस बिल को प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है, उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं यह महसूस करता हूं।

पहली बात यह है कि हालांकि इस बिल में यह कहा गया है कि राज्य सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये और विकास कार्य जो शुरू किये जा रहे हैं, उनके लिए ३० लाख रुपयों की आवश्यकता है। इस कमी की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को यहां प्रस्तुत किया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं तो सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। कि आज जो कच्चे रूट पर सफर करने वाले यात्री से १४ पाई एक मील के लिए वसूल की जा रही है। मैं समझता हूँ यदि आज हम रेल्वे के किराये की इन मोटरों के किराये से तुलना करने बैठते हैं तो निश्चित तौर पर मालूम पड़ेगा कि यदि यह टैक्स बढ़ जायगा तो उसका कच्चे रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा ? उनकी टूटी-फूटी मोटरों में सफर करना पड़ता है और कच्चे रास्ते की धूल में सना हुआ अपने आपको पाना पड़ता है। उसके बादमें, मैं समझता हूँ यदि रेल्वे के फर्स्ट क्लास के मुकाबले में पैसा उन्हें देना पड़े तो यह सोचने की बात है कि आम यात्रियों पर, आम जनता पर कितना असर पड़ने वाला है ?

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय मैं आपके

(श्री मनोहर कोठारी)

जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान पहले से ही यातायात के सम्बन्ध में पिछड़ा हुआ इलाका रहा है। खास तौर से, रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी प्रदेशों में, जहां पर भूतपूर्व रियासतें अच्छी सड़कें नहीं बना सके, वहां पर कच्ची सड़कें हैं। वहां पर कुछ लोग गाड़ियां चला लेते हैं, उन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से १४ पाई एक मील की वसूल की जाती हैं, जब कि अच्छी सड़क पर, डामर की सड़क पर गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से ६ पाई, ८ पाई ली जाती है, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि कानून के द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिये कि कम से कम जिस आदमी को ज्यादा सुविधा मिले, उस आदमी पर ज्यादा बोझ पड़ना चाहिये और जिस आदमी को कम सुविधा मिलती है, उस पर कर का बोझ उतना नहीं पड़ना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ, जब हम इस सम्बन्ध में विचार करने बैठते हैं तो इसके साथ ही हमारे सामने एक बात और आ जाती है कि जब राज्य सरकार को पैसे की आवश्यकता है, जब कि इन्कम बढ़ाने के कुछ जरिये यहां पर हमारे सामने पेश किये जाते हैं, उस समय, मैं सोचता हूँ कि ऐसा लगता है कि आज भी मोटर विहिकल्स टैक्स हमारे यहां है, वह दूसरी रियासतों के मुकाबले में, मैं एक आध स्टेट की बात नहीं कहता, राजस्थान में बहुत ज्यादा है और इसका असर वास्तव में हमारे यहां के यातायात और व्यवसाय पर पड़ता है। लेकिन एक बात और निश्चित है कि जिस टैक्स को लगाने की हम बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि अभी राज्य सरकार भी स्पष्ट मालूम नहीं होती कि यह टैक्स किस तरह से वसूल किया जायगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट किस तरह का होगा। आज तक हमारे सामने इस तरह की कई बातें उपस्थित हुई हैं। वैसे मैं एक बात का बराबर हामी रहा हूँ कि अगर हम जनता से टैक्स लेना चाहते हैं, तो उसका उपयोग जनता के हित के लिए ही होना चाहिये लेकिन उस टैक्स को इकट्ठा करने की मशीनरी में ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है और उस टैक्स को इकट्ठा करके उसे एस्टेब्लिशमेंट की तनख्वाह चुकाने में खर्च कर दिया जाता है। मैं समझता हूं इस प्रकार जनता पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। यह निश्चित बात है कि आज जिस तरह के एस्टेब्लिशमेंट की बात बताई जाती है, मैं समझता हूँ, एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जरिये टैक्स वसूल करने की बात है। आज मोटर यातायात के व्यवसाय को करने वाले व्यवसायिकों को मालूम है कि उन पर दो तरह की हुकूमतें हैं, एक तो यातायात विभाग की हुकूमत है, दूसरी पुलिस विभाग की हुकूमत है। अब आप एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तीसरी हुकूमत डालना चाहते हैं।

इसके बाद, इस विधेयक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें कई खामियां हैं, वे खामियां ऐसी हैं कि जिनका बोझ काफी लोगों पर पड़ने वाला है। इसलिए जनता में प्रचारित किये बगैर, उन लोगों की राय लिये बगैर अगर यह टैक्स आरोपित करते हैं, तो मैं समझता हूँ जनता के प्रति न्याय नहीं होगा। इसमें कई ऐसे क्लॉजेज हैं, उदाहरण के तौर पर क्लॉज १३ है। उसमें लिखा गया है :

"यात्री यात्रा के दौरान में या उसके तुरन्त पूर्व या पश्चात, किसी भी निर्धारित

(श्री मनोहर कोठारी)

प्राधिकारी के समक्ष, मांगे जाने पर, अपनी यात्रा के सम्बन्ध में या अपने माल ले जाये जाने के सम्बन्ध में, टिकट, वाउचर या दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा।"

मेरी समझ में नहीं आता कि एक यात्री के सम्बन्ध में भी इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, यह किस तरह न्यायसंगत हो सकती है। आप मोटर मालिकों के सम्बन्ध में व्यवस्था रखते हैं, तो वह समझ में आ सकती है कि आप मोटर मालिक से अकॉउन्ट्स लेना चाहते हैं, रिटर्न लेना चाहते हैं, और जो काउन्टरफाइल होती है, उसको लेने की बात समझ में आ सकती है। लेकिन एक पुलिस सब इन्सपेक्टर एक भले यात्री से जिसने पैसा दिया है, और जो पैसा देकर सफर करता है, उससे टिकट की मांग करें, मैं समझता हूँ, यह न्याय संगत बात नहीं हो सकती। यह न्यायसंगत इसलिए भी नहीं हो सकती कि इसके आगे जाकर आपने कहा।

"ऐसा करने में असफल होने पर, उससे बतौर शास्ति दुगना किराया वसूल किया जा सकेगा।"

राज्य सरकार दुगना किराया वसूल करने की बात कैसे सोचती है, यह समझ में नहीं आता। आज सिनेमा के सम्बन्ध में विचार करते हैं, सिनेमा में भी एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगा हुआ है, उसके अन्दर एक व्यवस्था है कि अगर कोई सिनेमा मालिक किसी व्यक्ति को बिना पैसे लिए पिक्चर दिखाता है तो गवर्नमेंट के एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल करने की बात है, इसलिए वह फ्री पास के साथ उस व्यक्ति से एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल कर लेता है। मैं समझता हूँ कि जो मोटर यातायात के व्यवसाय करने वाले हैं, उनके सामने भी इस तरह की समस्या आ सकती है, उनके भी रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनसे किराया वसूल नहीं कर सकते। जब कि आपने यह व्यवस्था रखी है कि कोई व्यक्ति, जो कि ट्रान्सपोर्ट आपरेटर या एम्पलाई नहीं है, या कन्डक्टर या ड्राइवर नहीं है, वह बगैर टिकट लिये यात्रा नहीं कर सकेगा, इसी तरह सामान भी बिना टिकट लिये लाया, ले जाया नहीं जा सकेगा। मैं समझता हूँ कि इससे आम जनता को हरेस करने की बात होगी, इससे राज्य सरकार को ज्यादा लाभ नहीं है।

मैं एक बात और बराबर महसूस करता हूँ कि आज हमारे यहां पर कस्टम ड्युटी, या सेल्स टैक्स लागू किया गया है, उसके बारे में राज्य सरकार सम्भवतः यह अनुभव करती है कि सेल्स टैक्स की जितनी आमदनी का अन्दाज़ लगाया था, उससे आमदनी बढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें बहुत ज्यादा लीकेज भी होता है, उस लीकेज को रोकने के लिए हमारे पास अच्छे पर्सन नहीं हैं। अगर हम एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट से टैक्स के लीकेज को रोकने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ, यह हमारी भ्रान्ति है क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि अगर इस डिपार्टमेन्ट में अच्छे आदमी हों जो ठीक असेसमेंट कर सकते हों, ऐसा नहीं है। आज आप इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को देखें, उसमें अच्छे आदमी हैं, ट्रेन्ड पर्सन हैं, जो इन्कम टैक्स का सही अन्दाज़ लगा कर टैक्स बचा सकते हैं, उसे संरक्षण दे सकते हैं। मैं समझता हूँ सेल्स टैक्स आफिसर्स में से अधिकांश ऑफिसर ऐसे हैं, जिन्हें असेसमेंट करने का प्रारम्भिक तरीका

Page No.39

(श्री मनोहर कोठारी)

मालूम नहीं है। उन लोगों के हाथ में इस टैक्स के असेसमेंट का काम दें तो इसका आम जनता पर असर पड़ने वाला है। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति बिना टिकट लिए सफर नहीं कर सकता, उसको टिकट लेना ही चाहिए। लेकिन इस विभाग में ऐसे ऑफिसर हों और टैक्स की वसूली ऐसे लोगों के हाथ में हो, जो समझते नहीं, जिन्होंने आज तक असेसमेंट किया नहीं, उनके हाथ में इस टैक्स को सौंप कर आप यह समझते हों की गवर्नमेंट की इन्कम सुरक्षित रह सकेगी। यह इन्कम सुरक्षित नहीं कर सकेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि आज जब दो डिपार्टमेंन्ट्स हैं यातायात की देख रेख करने वाले, मोटर, मालिकों के सामने एक पुलिस डिपार्टमेन्ट है और दूसरा मोटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट और जब कि माननीय सदस्य बार बार इस सदन में मांग करते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी पुलिस ऑफिसर्स बिना दिये मोटों में सफर करते हैं। उनसे पैसा वसूल होना चाहिए तो हमारे माननी गृह मन्त्री की ओर से बार बार इस तरह का जवाब मिला है कि यह हमारे सोचने की बात नहीं है, यह मोटर मालिकों के सोचने की बात है कि वे बिना टिकिट लिये क्यों यात्रा करते हैं। मैं समझता हूं आज इससे हमारे यहां पर और करप्शन बढ़ाने की गुजाइश है। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि एक तो एस्टेब्लिशमैंट में ज़्यादा खर्च होगा, आप जनता की गाढी कमाई का पैसा लेकर केवल लोगों की तनख्वाह चुकाने में खर्च करेंगे, मैं समझता हूं इससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। वैसे मैं इस बात का सैद्धान्तिक तौर पर विरोध नहीं करता हूं कि विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है, उस पैसे के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा लेकिन मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वह रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो गरीब हैं. उन्हें और गरीब न बनायें और जो ज़्यादा सुविधायें लेकर सफर करते हैं, पक्की, डामर की सड़कों पर सफर करते हैं, उनसे जो ६ पाई, ८ पाई किराया वसूल होता है, उसके लिए राज्य सरकार इस प्रकार का कानून बनाये कि उनसे १४ पाई किराया एक मील का वसूल करे। इन १४ पाई में से ६ पाई ८ पाई मोटर मालिक अपने पास रखें और बाकी के पैसे को गवर्नमेंट टैक्स के रूप में मोटर मालिक से वसूल करे। अगर कच्ची सड़क पर धूल से सनते हुए जो यात्री यात्रा करते हैं, उनको फर्स्ट क्लास पैसेन्जर से ज़्यादा पैसा देना पड़े तो यह बात हमारी समझ में आ नहीं सकती ....

इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो रेटस यहां पर रखी गई हैं, १।६ हिस्सा, टिकट का छठा हिस्सा, यहां रखा गया है एक बात की इसमें दिक्कत आ रखा सकती है, वह यह है कि आप यह नया टैक्स लगाने जा रहे हैं, वहां १।६ हिस्सा यात्री से लेना, यह एक बहुत बड़ी रकम होगी, इससे बसेज़ में जो सफर करते हैं उन पर ज्यादा भार आता है। एक बात मैं यह अनुभव करता हूं कि एक इसमें व्यवस्था की गई है कि यात्रा करने वाले से टिकट मांगा जायगा यात्रा करने वाला टिकट के लिये जिम्मेदार नहीं हो सकता। गांव के रहने वाले किसान से मोटर मालीक कहे कि बिना टिकट के ही बैठ जा और फिर रास्ते में जो अधिकारी चैकिंग के लिये रखा हुआ है वह आता है

(श्री मनोहर कोठारी)

और उससे टिकट पूछता है तो वह बेचारा कहां से टिकट दिखायेगा, इसमें रखा है कि :–

"यात्री, यात्रा के दौरान में या उसके तुरन्त पूर्व या पश्चात्, किसी भी निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष, मांगे जाने पर, अपनी यात्रा के सम्बन्ध में या अपने माल ले जाये जाने के सम्बन्ध में टिकट, वाउचर या दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा। ऐसा करने में असफल होने पर, उससे बतौर शास्ति दुगुना किराया वसूल किया जा सकेगा।"

यह जो इसमें रखा गया है, यह उचित नहीं है। क्योंकि हम यात्रा करते हैं तो देखते है कि टिकट मोटर मालिक इश्यू ही नहीं करते हैं। तो इस तरह का प्रोविज़न रखना आम जनता के लिये ठीक नहीं हो सकता। अत: इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये और इसमें जो किराये का १।६ हिस्सा लेने का रखा है, यह बहुत ही ज्यादा रखा है।

जहां तक गुड्स का सवाल है इसमें कहा गया है कि लमसम से वसूल कर सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता कि लमसम से कैसे वसूल करेंगे। अगर लमसम से वसूल करते हैं तो किसी मोटर मालिक की गाड़ी कई दिनों तक खराब पड़ी रहती है तो उससे उन दिनों का भी टैक्स वसूल किया जायगा और इस तरह जिन दिनों में उसकी गाड़ी नहीं चली है उन दिनों का भी पैसा देना पड़ेगा। वह उतने माइल्स कवर नहीं करता है तो भी उसको पैसा देना पड़ेगा।

खास तौर से पिछड़े हुए इलाकों पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि आप यह टैक्स लगाना ही चाहते हैं तो इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित करें।

एवरेज आदमी पर जो कच्चे रूट पर कच्ची सड़कों पर सफर करें उसका फर्स्ट क्लास के किराये के पैसे देने पड़े, यह कतई ठीक नहीं है। कच्चे रूट पर चलने वाले को तो इससे बिल्कुल माफ किया जाना चाहिये और पक्की सड़क पर चलने वाले हैं वहां उनसे आप ८ पाई की बजाय १४ पाई लीजिये। ऐसा करने से आप इससे जो ३० लाख का अन्दाज़ लगाते हैं उससे भी ज्यादा मिलेगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई मोटर मालिक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, आप उनसे रिटर्न मांगते हैं, रिटर्न वे दे नहीं सकेंगे। फिर इसमें एक तरह की व्यवस्था है कि उसे लाग बुक रखनी पड़ेगी। गैरेज की लाग बुक्स के बारे में हम जानते हैं कि वहां किस तरह की बातें होती हैं, तो ऐसे बिना पढ़े लिखे आदमी लाग बुक्स कैसे रखेंगे। क्लॉज़ १२ के सब क्लॉज़ ३ में दिया हुआ है कि ऐसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर के पास रहने वाली लाग बुक का निर्धारित अधिकारी निरीक्षण कर सकेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो उसे जब्त कर लेगा और जब तक लाग बुक ड्राइवर को लौटाई नहीं जाय उस समय तक के लिये उसे अस्थायी प्राप्ति रसीद देगा।

इसका मतलब यह हुआ कि आज तक

(श्री मनोहर कोठारी)

ड्राइवरों के पास लाग बुक्स रहती आई हैं, उनका निरीक्षण किया जा सकेगा यह मेरी समझ में नहीं आया । जहां तक मेरी जानकारी है आज तक तो किसी प्रकार की लाग बुक का इनके लिये रखे जाने का नियम ट्रान्सपोर्ट विभाग की ओर से नहीं है । तो इससे लोगों को काफी परेशानी होगी, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो बहुत अधिक परेशानी होगी और इस तरह जो हम पैसा वसूल करना चाहते हैं उससे आम जनता को बड़ी भारी परेशानी होगी ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा इस बिल में और भी कई तरह की खामियां है एक्साइज़ टैक्सेशन विभाग के ऊपर इस प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी रखना मैं कतई अनुचित समझता हूं, इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित किया जाना चाहिये । सेल्स टैक्स का जो पैसा हमें कम मिलता है, उसका कारण भी यही है कि हमारा स्टाफ पूरी तरह ट्रेन्ड नहीं है तो इसके लिये मिक्दार हमें तय कर देनी चहिये क्योंकि सेल्स टैक्स में जो एग्जेम्शन्स हैं उनको भी अधिकारियों द्वारा वसूल कर लिया जाता है, वकील तक अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो गांवों के रहने वाले किसानों को, बिना पढे लिखे लोगों को जानकारी हो, यह संभव हो नहीं सकता ।

इस लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग हैं कि दो महीने के लिये इसका सर्कुलेशन किया जाय, आखिर यह भी सोचना है कि किस प्रकार के रूल्स बनाने चाहिये, दूसरी स्टेट्स में क्या है ?

मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि १ अप्रेल को एक्साइज़ टैक्सेशन वाले गाड़ियां चैक करना शुरू करदें, इस प्रकार का सर्कुलर निकाला गया है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह ऐसा सर्कुलर निकाला जा सकता है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकाला गया है । ऐसा सर्कुलर कैसे निकाल सकते हैं ?

श्री मनोहर कोठारी : तो बहुत अच्छी बात है तो मेरी यह मांग कि दो महीनों के लिये इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित किया जाय ।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं निवेदन करता हूं कि जैसा कि बिज़नेस एड्वाइज़री कमेटी ने तय किया है कि इसे आज पास कर दिया जाय तो इसके लिये टाइम फिक्स कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : पास तो आज करना है ।

श्री भैरोंसिंह : बिज़नेस एड्वाइज़री कमेटी ने यह तय नहीं किया कि आज ही इसको पास किया जाय । कल का बिज़नेस है वह इतना इम्पोर्टेन्ट नहीं है इसको भी कल तक पास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : दो बिल थे उनको भी माननीय सदस्य के कहने पर रोका गया था ।

श्री भैरोंसिंह : तीनों बिल एक दिन में पास कर देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, इस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार रखने की आवश्यकता महसूस करते हैं।

श्री अध्यक्ष: विचार रखने का तो है। पर उस दिन इस पर और दो तीन बिल और हैं उन पर विचार हो नहीं सकेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : इसे आज ही पास करना है ?

श्री अध्यक्ष : पास करने का प्रश्न नहीं समय निर्धारित करने का प्रश्न है, अभी कितना समय इस बिल पर विचार करने के लिये रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : ये तीनों बिल एक दिन में पास कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : तीन चार बिल्स हैं, एक दिन में हो नहीं सकेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा तीन बिल्स और हैं, उसमें दो दिन लगेंगे। उसमें अगर यह तीन रोज़ में पूरे कर देंगे, मगर आज के दिन को गिनना होगा। वह पूरा नहीं होगा। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने सोच कर यह समय निर्धारित किया है। एक भाषण होकर ही चेन्ज कर देते हैं तो हमें सारा बिज़नेश रेगुलराइज़ करना मुश्किल हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह बिल बहुत इम्पोर्टेन्ट है। इस लेजिसलेचर की इम्पोर्टेन्स को देखते हुए इस बिल पर समय देना बहुत आवश्यक है। कल इतवार है और कल बैठक बुला ली जावे और जितना डिस्कशन इस पर हो थोरोली किया जावे और जो बोलना चाहें बोलें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप भी बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के सदस्य हैं। एक ही भाषण के बाद इतना महत्व पड़ गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उस समय नहीं था। लेकिन जो भी बिज़नेश एडवाइज़री कमेटी ने तय कर लिया हैं उसके लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। एक यह बिल है और दो बिल और हैं और चौथा सैल्स टैक्स का रहता है। यह तो एक ही बात है। सरकार हर हालत में एक ही दिन में इनको पास कराना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : बजट की इतनी बहस के बाद इन बिलों में इतना समय देना उचित नहीं रहता। तीन चार बिल्स हैं, उनको पास करने में तीन दिन हैं। कई माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन रखे हैं और बोलना चाहते हैं। कोर्ट फीस का बिल है उसको सदन के बाद एक दिन में पास नहीं कर सके आपकी सलाह थी कि कई सदस्यों को बोलना है। अगर आज इसको कर लें तो फिर तीन बिल रह जाते हैं, वे पास हो जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : बाकी के बिलों में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि उनमें दो तो बिल्कुल फोर्मल हैं। तीसरा स्टाम्प ड्यूटी का है।

श्री अध्यक्ष : यही मैंने निवेदन किया

Page No.43

(श्री अध्यक्ष)

था। मगर आपने कहा था कि कई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस पर सहमत होंगे कि यह बिल और दो और बिल कल समाप्त कर लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, जो कार्यक्रम बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने रखा है वह सोच-विचार कर रखा है और जो कुछ बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने तय किया है इसमें किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे, इसलिये उनकी ज़िम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है कि उसके डिसीशन को कैरी आउट करावें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभी सदस्य चाहते हैं तो कल इतवार को भी बैठक बुला ली जाए।

श्री अध्यक्ष : कल इतवार को बैठक बुलाना ठीक नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतवार को हम मिल नहीं पावेंगे। सोमवार को तीन बिल्स हैं। अगर यह ही माननीय सदस्य चाहते हैं और सारा सदन चाहता है और कहते हैं तो फिर कल बैठने की क्या ज़रूरत है?

श्री भैरोंसिंह : हम तीनों पर परसों विचार कर लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह: The opposition is giving you an assurance.

श्री अध्यक्ष : दो दिन में चार बिल कर देंगे। अगर ऐसी सदन की अनुमति हो तो इसमें कुछ हेरफेर किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की सभी लोगों की राय बनती है तो उस दिन हम गुलेटिन लगा कर पास कर देंगे। सोमवार और आज दो दिन में इस पर विचार कर लेंगे। सोमवार को ज़रूर पास करना है।

श्री सोहनलाल भटनागर : फिर भी स्टेजेज़ तो तय करनी ही होंगी।

श्री भैरोंसिंह : आखिर में गुलेटीन से पास हो जावेंगे। इसलिये इस पर क्या स्टेजेज़ तय करना है?

श्री अध्यक्ष : सोमवार को एक बजे तक सारी कार्यवाही समाप्त होगी और उसके बाद माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे। इसके पहले माननीय सदस्य ज्यादा समय लेते हैं तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर समय नहीं रहेगा। दो तीन घन्टे तो इस स्टेज पर निर्धारित कर दें ताकि क्लॉज बाई क्लॉज पर बोलने का मौका मिले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, अगर तीन बिल्स हैं, उन पर गुलेटीन लगा कर पास कर देते हैं तो यह उचित नहीं होगा। कुछ आस्पेक्टस ऐसे होने चाहिये जिन पर एक रोज़ पूरी तरह डिस्कशन हो सके। अगर कुछ ज़रूरत हो तो ३० तारीख को। मैं समझता हूं कि गुलेटीन लगा कर पास करना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : गुलेटीन नहीं रखेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई हर्ज

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं कि एक घन्टे में तीन बिल पास कर दें।

श्री अध्यक्ष : इन तीन बिलों पर तीन घन्टे तो हमें देने ही पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह : दो बिल तो फोर्मल बिल्स ही हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर यह निश्चित करते हैं कि दो बिल्स के लिये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : संशोधन नहीं हो तो एक घंटे में पास हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो निश्चित हो गया कि सोमवार को एक बजे समाप्त कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आज ५ बजे से ६ बजे तक एक घन्टा ज्यादा हाउस चलाया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक दिन का और समय दिया गया है तो आज एक घन्टा और आप चाहते हैं, आप बता दें कि आपके लिये कितना समय चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपने दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। मैं तो आप चाहें तो नहीं बोलूं। मगर हाउस एक घन्टे ज्यादा मिल जाता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिये। आखिर हम अलाउन्स लेते हैं तो ६ घन्टों से ज्यादा भी बैठना पड़े तो उससे परेशान नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तीन बजे तक जो प्रस्ताव हैं उस पर बहस करेंगे, उसके बाद क्लॉज बाई क्लॉज़ पर कन्सीडरेशन कैसे करेंगे? क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर भी समय देना आवश्यक है। संशोधन कई सदस्यों के आये हैं वे सुझाव ऐसे हो, शायद सरकार उनके सुझावों को मंजूर करने के लिये तैयार हो जावे। इसलिये यह निश्चित रहा कि तीन बजे तक इस प्रस्ताव पर बहस होगी और उसके बाद क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने भी एक प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : हमारे पास नहीं आया है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैसेन्जर एन्ड गुड्स टैक्सेशन बिल, १६५६, सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। मैंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये अपना संशोधन पेश किया है और सदन के समक्ष मांग की है। अध्यक्ष महोदय, जो टैक्स लगाने का प्रश्न है, निश्चय है कि जब किसी राज्य में विकास करना होता है तो उसे टैक्स लगाना आवश्यक होता है इसमें कोई दो रायें नही हो सकती। लेकिन जहां तक टैक्स लगाने का प्रश्न है उसमें मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य दूसरी राय नहीं रखता होगा कि टैक्स उन पर लगाना चाहिये, जिनकी आमदनी अच्छी हो। इस बिल के अनुसार हमको यह देखने को मिलता है कि इस प्रकार के टैक्स से ३० लाख रुपये की वार्षिक आय होगी और वह उस तबके से होगी जिसकी सालाना या माहवारी आमदनी बिल्कुल नहीं के बराबर हो। वह तबका बिल्कुल गरीब किसानों और मजदूरों का होगा जो शहरों और कारखानों में काम करने वाला है। यह किसी से छुपा हुआ

(श्री सूबेदारसिंह)

नहीं है कि जिसकी आमदनी ज़रा भी अच्छी हो वह व्यक्ति या तो रेलवे द्वारा सफर करता है या अपनी मोटर कार से सफर करता है उस पर कोई इसका असर नहीं होता है। यह बोझा उन्हीं गरीब किसानों पर, जो निश्चय ही अपने काम से या सरकारी काम पर मोटर से इधर उधर आते हैं उसके सर पर पड़ने वाला है। एक ओर तो राजस्थान में अब तक बस सर्विसेज़ का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ उसके कारण राजस्थान की बसों की हालत सोचनीय है। जब हम अन्दर जाते हैं तो राजस्थान की जितनी बसें चलती हैं वे किस प्रकार से ओवरलोडेड चलती हैं और जो भी सदस्य उसमें सफर करते हैं उनको मालूम होगा कि सीटों के बीच में गेलेरी होती है, उसमें भी लोग भर जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी दूर जाकर छतों पर भी सवारी को बिठा लेते हैं। इस प्रकार से इस बिल में जो प्रावधान रखा है कि किसी पेसेन्जर के पास टिकट नहीं होगा उसको सरकारी अधिकारी जुर्माना कर सकता है और टिकट चैक कर सकता है।

१ म० पु०

अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब हमारे प्रान्त में हम देखते हैं कि बस ओनर्स गाड़ियों को ओवर लोड चलाते हैं और गाड़ियों इस प्रकार पेसेन्जरों से भर कर ले जाते हैं जैसे गुड्स ट्रक भरे हुए जा रहे हों, यह नहीं देखा जाता है कि बस की कितनी केपेसिटी है, सिटिंग केपेसिटी क्या है, तब फिर इस प्रकार भर कर जाने वाली ओवर लोड़ेड बसेज़ में किस प्रकार चैक किया जायगा कि वाकई पूरा टैक्स जो उन पैसेन्जर्स से लिया गया है वह सरकार को दिया गया है। इसमें निश्चय ही चोरी करेंगे, छिपावा करेंगे। इस प्रकार इससे सरकार को जो आमदनी होनी चाहिये वह नहीं होने वाली है। राजस्थान में जो बसेज़ चलती हैं उनके लिए सब का ही यह अनुभव है कि राजस्थान में कोई भी ऐसी बस नहीं है जो कि समय पर चलती हो और किसी भी बस में यह नहीं मालूम हो सकता कि जिसमें चार पांच सरकारी कर्मचारी बिना टिकट के न हो, पुलिस वाले और उनके मुलाकाती भी इस प्रकार से चलते हैं, वे बगैर टिकट के चलेंगे। जन साधारण में यह आम धारणा है कि बस ओनर्स को पर्मिट बसेज़ का किस प्रकार से मिलता है। पांच छः महीनों पहले की बात है जयपुर से देहली का पर्मिट बसेज़ का दिया जा रहा था, यह गरम अफवाहें थी लोगों में कि कोई भी पर्मिट बिना दस दस हज़ार की बस के लिये नहीं मिल सकता है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): दस हज़ार रुपया किस को दिये जाते हैं।

श्री सूबेदारसिंह : यह तो इस प्रकार की बात है, नाम तो मेरे पास नहीं है और न ही मुझे मालूम है, एक आम धारणा थी।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : यह सवाल उठाया था यह तो इर्रिलेवेन्ट बात है। इस तरह की चंडूखाने की बातें यहां कहना....

श्री श्रीभानसिंह : वे खुद ही पार्लियामेन्टरी लैंगवेज नहीं बोल रहे हैं। यहां सदन में कहीं हुई बातों को चन्डूखाने की बातें कहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : लैंगवेज़ से कम्पेयर करते हैं....

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Member is comparing the deliberations here with the talks in Chandu Khana.

श्री अध्यक्ष : He only says that things are being said here which are said in the Chandn Khana. It is not proper for him to say so.

श्री श्रीमानसिंह : Does the Hon'ble Member mean that what the Hon'ble Member is stating here is a thing that should have been stated in "Chandu Khana"

श्री अध्यक्ष : It is not proper for him to say so.

श्री ज्वालाप्रसाद : If Itranslate it in English, it means Sweeping remarks on baseless rumours. ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये। "चन्डूखाना" आम शब्द है।

श्री सूबेदारसिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ उस रूट का ही नहीं है किन्तु जनसाधारण में यह आम धारणा थी कि कोई बस ओनर्स अपनी गाड़ी को बेचता है परमिट के लिए तो तीन चार हज़ार रुपया तो मामूली बात है। परमिट की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब उतना रुपया देगा तो उसको वसूल भी करेगा। इससे परमिट की कीमत और भी बढ़ने वाली है। उन बसेज़ में पैसेन्जर्स को तो बैठना ही पड़ेगा, और उनसे टैक्स भी वसूल होगा इस बिल के द्वारा, लेकिन बस ओनर्स की जो ओवर लोड करने की आदत बन गई है, उसको सरकारी कर्मचारी रोकने के लिए बाध्य भी नहीं है, न रोकते ही हैं और न ही चालान होता है, इससे बस सर्विसेज़ की एक तरफ तो आमदनी बढ़ जावेगी और ओवर लोड जो करते हैं पैसेन्जर्स को अधिक भर कर, फिर उसकी पूरी लिस्ट भी पेश नहीं करेंगे तो फिर राज्य को पूरा पैसा भी पेमेन्ट नहीं करेंगे जब कि गरीब जनता से तो वे पैसा टैक्स का वसूल कर लेंगे, इससे राज्य सरकार को जो आमदनी होने वाली है वह नहीं हो सकेगी। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जब तक हमारे राजस्थान में बस सर्विसेज़ का ट्रान्सपोर्टेशन का राष्ट्रीयकरण न हो जाय तब तक यह व्यवस्था अपने प्रान्त में लागू नहीं हो सकती है। इस बिल में यह लिखा है कि कुछ प्रान्तों में ऐसी व्यवस्था है और वहा टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है लेकिन वहां तो राष्ट्रीयकरण हो गया है और सुविधा हो गई है। जो टिकट दिया जाता है उसके साथ ही टैक्स वसूल कर लिया जाता है। वहां बसेज़ ओवर लोड नहीं होती। चोरी भी टैक्स की नहीं होती, वहां जो गरीब जनता से पैसा आता है वह सरकारी खज़ाने में जाता है। इस पैसे को यहां वसूल करने जा रहे हैं, उसमें कितना करप्शन होगा, सरकारी कर्मचारियों की मनमानी होगी, आज यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि ट्रान्सपोर्ट का इन्स्पेक्टर आज किस प्रकार रहता है।

श्री अध्यक्ष : इन बातों से सम्बन्ध नहीं है। कृपया आप सीमित रखें ताकि दूसरे

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य भी बोल सकें। आपको ट्रान्सपोर्ट के बारे में कई बातें कहनी होगी लेकिन वह यहां उचित नहीं है इस प्रसंग में।

श्री सूबेदारसिंह : मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि इस के द्वारा एक और करप्शन का ज़रिया पैदा कर रहे हैं। वह इन्सपेक्टर किस तरह पैसेन्जर को चेक करेगा। हमने माइनिंग डिपार्टमेन्ट में देखा है कि हथोड़े का सिस्टम दे दिया। वहां १० हथोड़ों का नाम लिख दिया और १०० हथोड़े काम करते रहे। इसलिए किस प्रकार इसकी जांच होगी जो कि सम्भव नहीं है, कोई ताल मेल इसका नहीं बैठेगा। जो जनता से कलेक्शन आवेगा वह राज्य के खज़ाने में नहीं जावेगा और इससे बस ओनर्स को आमदनी अधिक होगी और करप्शन भी फैलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब तक राष्ट्रीयकरण न हो तब तक यह लागू न किया जाय और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

दूसरा सुझाव है गुड्स के बारे में। पब्लिक का जो माल है, गुड्स है उसको ढ़ोने के लिए टैक्स लगाया जावेगा, यह बिल में है। हम अपने प्रान्त का विकास करना चाहते हैं और डवेलप्मेंट का वर्क हम जगह जगह पर चलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसके लिए माल डवेलप्मेंट के लिये खरीद कर लाता है, कोई व्यक्ति कुंआ बनाता है, मकान बनाता है, मकान को तो फरनिश करने के लिए सामान लाता है, ट्रक में भर कर लाता है, या उसको बाहर भेजता है। उस पर भी आप टैक्स लगाते हैं, यह तो एक प्रकार से इनजस्टिस होगा। इसलिए इस प्रकार के गुड्स पर जो कि ट्रक्स के द्वारा लाया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बेचने के लिए माल लाता है और उससे फायदा उठाना चाहता है तो उस पर टैक्स लगाना चाहिये।

हमारे यहां मेन सड़कों के अलावा कच्चे रोड्स ज्यादा हैं। जहां पर किराया अधिक देना पड़ता है. और मुसाफिर धूल भी खाते हैं। उनको काफी परेशानी होती है, उनसे टैक्स लिया जावेगा। जो गरीब तबका है, जो कच्ची सड़कों के किनारे पर रहते हैं उन पर इस टैक्स का भार पड़ेगा। उनकी क्या स्थिति होगी ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये जहां इस पर विचार किया जा सके कि जन साधारण को किस प्रकार फायदा पहुँच सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

श्री भैरोंसिंह : मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, २ मार्च सन् १६५६ को माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण के द्वारा सदन में यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार ३० लाख रुपये का टैक्स यात्रियों पर या ट्रान्सपोर्ट के ज़रिये जो माल इधर उधर जाता है, उस पर टैक्स इम्पोज़ करने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन से लेकर अब तक इस घोषणा की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया जनता पर हुई है उससे मैं ऐसा मानता हूं, कि किसी प्रकार इसको एन्करेजिंग

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

कहा जाय, इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं थी। एक ओर जितने भी बस ओनर्स थे उनको इस बात की चिन्ता हुई कि टैक्स चाहे माल ले जाने वालों को देना पड़े, चाहे सवारी गाड़ी पर बैठने वाले को देना पड़े, लेकिन उसका अकॉउन्ट हमें मेन्टेन करना पड़ेगा। वह किस प्रकार किया जायगा, कौन मेन्टेन करेगा और मेन्टेन करवाने के लिये सुपरवाइज़र गवर्नमेन्ट के किस प्रकार के रहेंगे ? इन तीन चार प्रश्नों को लेकर बस ओनर्स के अन्दर ज़बरदस्त चिन्ता थी उसके साथ साथ जिन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा या माल के मालिक को टैक्स देना पड़ेगा उनके सामने भी इसी प्रकार की चिन्ता हुई है, अब हमारे सामने प्रश्न आता है एक कन्वीनियेन्स, दूसरा कन्वीनियेन्ट होने का और तीसरा रेलवे के मुकाबले का। गाड़ी में बैठा जाय तो किसमें किस गाड़ी में बैठने से सफर जल्दी तय होगा कम्पेरिज़न के आधार पर इसको देखा जाय तो सुविधा किस में ज्यादा रहेगी। आज दिन तक इस स्थिति में नहीं है कि जो यह कह सके कि सरकार ने जिस प्रकार का टैक्स प्रस्तावित किया है वह टैक्स राज्य में लागू किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह बार बार कहा जाता है और कहा जाता रहेगा कि हमारे सामने डवेलपमेंट के प्लान्स है, हमारे सामने विकास योजनायें हैं, उसमें हमें धन की आवश्यकता है। जहां तक इस प्रकार कहने का प्रश्न आता है वहां कहा जा सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिये धन प्राप्त करना चाहिये और वह भी टैक्स के ज़रिये। एक बात यह भी हो सकती है कि सेकन्ड फाइव ईयर प्लान को पूरा करने का जो दृष्टिकोण है उसकी पूर्ति के लिये हमें धन का जुटाना आवश्यक है। अगर धन जुटाया जाय तो किस प्रकार से जुटाया जाय और किन लोगों द्वारा जुटाया जाय ? जिससे हम धन जुटाना चाहते हैं क्या वे इस प्रकार के टैक्स देने को समर्थ भी हैं या नहीं। अगर वे समर्थ हैं तो ऐसा निर्णय भी लिया जा सकता है कि उनसे टैक्स लिया जाय। लेकिन जब तक हम इस बात की छानबीन नहीं करते और बिना छानबीन किये ही टैक्स इम्पोज़ कर देते हैं और यह ध्यान में नहीं रखते कि गाड़ी में बैठने वाले लोगों की इकोनोमिक कन्डीशन कैसी है। इस पर बिना विचार किये ही जब चाहे टैक्स इम्पोज़ कर देते हैं। यह उचित नहीं है। सरकार इस पर यह कह सकती है कि हमने इतनी माइलेज़ सड़कें तैयार की, लेकिन सरकार यह नहीं कह सकती कि पहली पंच वर्षीय योजना खत्म हो गई द्वितीय पंच वर्षीय योजना का आधा समय खत्म हो गया, आप यह नहीं कह सकते कि इन सारे डेवलपमेन्ट्स प्लान्स में जितना एक्सपेन्डीचर किया, उसके मुकाबले में प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी बढ़ी है। इस प्रकार के स्टेटिसटिक्स के बारे में पूछा जाता है तो यही उत्तर मिलता है कि तैयार नहीं लेकिन इसके मुकाबले एक आदमी पर कितना टैक्स का भार बढ़ा है इसके स्टेटिस्टिक्स हमने तैयार किये हैं जितने टैक्स बढ़े हैं उसके मुकाबले में इनकम बढ़ाने का सवाल है वह बहुत कम है। राजस्थान सरकार इस प्रकार के आंकड़े देती नहीं, वह बनाती नहीं। इसका मूल कारण यही है कि यदि इस प्रकार के आंकड़े जनता के सामने आते हैं तो जनता यह समझ सकती है कि जन साधारण की कितनी आमदनी बढ़ी है और उस पर कितना टैक्स लगा है। जन साधारण को यह स्थिति न

(श्री भैरोंसिंह)

बताकर उनको अन्धकार में रखते हुये सरकार टैक्स के ज़रिये अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, मोटर ट्रान्सपोर्ट के विषय में जब हम देखते हैं, तो, इसके बैक्ग्राउन्ड में जाना हमारे लिये आवश्यक हो जाता है। सब से पहले भारत में १९१४ में इन्डियन मोटर विकिल्स पर कुछ टैक्स इम्पोज़ किया था। वह इसलिये था कि मोटर विहिकल्स के ट्रेफिक को रेगुलेट करने का प्रश्न था, मोटर रजिस्ट्रेशन के पैसे लिये जा ते थे। रेगुलेशन्स संबन्धी जितनी भी बातें थी उसमें फीस ली जाती थी। इसके बाद में १९१४ में जब ट्रान्सपोर्ट में रोड्स की कमी नज़र आयी, जितने भी रोड्स का निर्माण हो रहा था उस पर ट्रान्सपोर्ट टैक्स मिल रहा है उस टैक्सेशन में कमी है, तो उन्होंने एक रोड डवेलपमेंन्ट बोर्ड की स्थापना की। उसके अनुसार इस बात की कोशिश की कि रोड्स पर जो खर्चा होता है उस खर्चे की पूर्ति मोटर ट्रान्सपोर्टेशन पर टैक्स लगा कर की जाय। १९२७ के अन्दर मोटर स्पिरिट पर टैक्स लगाया गया और मोटर विहिकल्स पर भी टैक्स लगाया गया। इसके बाद ज्यों ज्यों खर्चा बढ़ता रहा मोटर ट्रान्सपोर्ट के ज़रिये आमदनी का ज़रिया निकाला गया। सन् १९४३ में नागपुर के अन्दर चीफ इन्जीनियर्स की एक कौन्सिल हुई। वहां पर रोड्स के डवेलपमेंट के बारे में विचार किया गया, उस बारे में दस वर्ष का प्लान भारत सरकार के सामने रखा गया। जो नागपुर प्लान के नाम से मशहूर है वह १९४७ में बना और उसी वर्ष देश आज़ाद हुआ। उस समय भी यह प्लान भारत सरकार के सामने पेश हुआ था, चूंकि पंचवर्षीय योजना के लागू करने का प्रश्न था इसलिये उस समय नागपुर प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने का निर्णय न लेकर किस प्रकार प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्दर इसको लिया जाय, यह तय हुआ उसी के आधार पर जो ७४४ करोड़ रुपये की खर्चे की व्यवस्था थी उसको घटाकर ९७. ६. खर्चे की व्यवस्था की गई, जब कि भारत सरकार के सामने रोड डवेलपमेन्ट के लिये ७४४ करोड़ का प्लान था उसको पूरा करने के लिये मोटर विहकिल्स पर और फ्युअल पर टैक्स बढ़ाया गया और आज जो सरकार मोटर स्पिरिट पर ले रही है टैक्स वह उसी की वजह से ले रही है। इम्पोर्ट के नाम से सेन्ट्रल एक्साइज़ के सामने, राजस्थान सेल्स टैक्स के नाम से राजस्थान मोटर विहिकल्स के नाम पर जितने भी टैक्स इम्पोज़ कर रखे हैं वे सारी प्रस्तावित योजना के अनुसार जितनी सारी आमदनी थी वह उन सारे खर्चे से कितना हो गुना अधिक है इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं। १९५० के अन्दर भारत सरकार ने एक कमेटी अपोइन्ट की मोटर टेक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी। वह प्लान के मोटे मोटे सिद्धान्त थे उसको यस रूप में स्वीकार किया, जहां कहीं छोटो मोटे टैक्सेज़ का सवाल है उसको हटाकर नागपुर प्लान के अन्दर जिन टैक्सेज़ पर विचार किया था मोटर विहिकल्स पर फ्युअल टैक्स इम्पोज़ किया वह सब हटा दिया जाय। उस समय मद्रास सरकार ने, और भी दूसरे राज्यों ने जिन राज्यों में टैक्स ऑलरेडी ज्यादा था उन्होंने इसका अपोज़ किया। उस विरोध के कारण जिस प्रकार की परिस्थिति थी उस पर विचार करने के लिये टैक्सेशन इन्क्वायरी

Page No.50

(श्री भैरोंसिंह)

कमेटी ने जब इस परिस्थिति को जाना, इस टेक्निक पर विचार करने के लिये कि किस प्रकार टैक्स इम्पोज़ किया जाय जब कि कुछ स्टेटों के अन्दर मतभेद है, उस पर विचार करने के लिये इन्डियन ट्रान्सपोर्ट एडवाइज़री कमेटी के अन्दर यह मामला प्रस्तुत किया गया। फिर भी वहां से किसी भी प्रकार की अन्तिम सम्मति प्राप्त नहीं हो सकी तो यह मामला टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के सामने पेश हुआ। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने इस पर विचार किया और जो अपनी ओपीनियन बनायी वह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पेज ८८ पर लिखी है, वह इस प्रकार है :

"The proposal of the Motor Vehicles Taxation Enquiry Committee that carrier taxes of this kind should be abolished has been opposed by the States concerned on the ground that the tax is paid by the passengers and the persons transporting their goods and is not a burden on the operators or carriers. The relevant question is whether in any particular State the combined effect of these allied taxes is such as to hamper the proper development of motor transport. Ultimately the burden of motor vehicles tax and the tax on passengers and goods falls on the users of the motor vehicles and neither tax can be considered in isolation."

अब इसमें जो खास स्पेसिफिक पॉइन्ट प्रेस किया है वह यह है : "Where the rates of the motor vehicle taxes have been kept adequately low, a tax on passengers and goods may be reasonably levied but where the motor vehicle tax is itself very high, the levy of a separate tax on passengers and goods would be unjustifiable. The case of Madras is, for example to be considered to be one in which reduction is obviously called for in either or both the taxes." इस दृष्टि से टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने इस सारे प्रोसीज़र टैक्स पर अपनी ओपीनियन दी है।

अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वह एडीक्वेट है या नहीं, अगर इनएडीक्वेट है तो कितना टैक्स इम्पोज़ कर सकते हैं, इसके बारे में, मैं स्वयं कुछ नहीं कहना चाहता, पर राजस्थान फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी, १९५८, ने जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ। उन्होंने लिखा है पेज २२६ पर "Taxes on vehicles. The present rates of taxation are sufficiently high. No change is recommended."

जिसमें लिखा है "Tax on Passengers by Bus. The net yield of this tax at 1½ pies per anna of bus fares on selected routes is estimated at Rs. 8 lakhs तो मैं जो यह कह रहा था कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हैं बल्कि सिफारिश की गई है, जहां पर मोटर विहिकल टैक्सेशन किसी भी प्रकार से कम हो तो वहां पर रीज़नेबल पैसेन्जर टैक्स लेवी किया जा सकता है। पर

Page No.51

(श्री भैरोंसिंह)

जहां नहीं है वहां ऐसे टैक्स इम्पोज़ नहीं किये जा सकते। टैक्सेज़ सफीसियेन्टली हाई हैं इसके बारे में इसका उदाहरण पेश किया है। इसके बाद में यह कहा है कि आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे राज्य में मोटर ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स लगाया जावे, अच्छे टैक्स नहीं हैं तो यह मानकर चलना चाहिए कि जो अभी पेश कर रहे हैं वे टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने सुझाव रखे हैं, जिस प्रकार के टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बताया है, उसको लेकर जिस प्रकार के सुझाव राजस्थान सरकार के सामने रखे गये हैं और उन्हीं सुझावों को इम्प्लीमेन्ट करने के बाद कितनी आमदनी होती है, क्या आमदनी है इन सारी बातों को लेकर राजस्थान फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उन दोनों चीजों के खिलाफ हमारी सरकार मोटर ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स इम्पोज़ करने की बात कर रही है। इतना ही नहीं, हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि जो टैक्स आज लगाये जा रहे हैं उसका पूरा दोष राज्य सरकार पर नहीं दे सकते। इसका कारण है।

जहां तक मैं समझता हूं लोकसभा में रेलवे का बज़ट पेश किया गया। रेलवे मन्त्री का भाषण हुआ और जिस बात की आशंका प्रकट की गई थी, जिसका संकेत वहां था, वहां इस बात का था कि आज रेलवे का कंम्पीटीशन करने के लिए मोटर ट्रान्सपोर्ट इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग गाड़ी में बैठना अच्छा नहीं समझते और मोटर ट्रान्स्पोर्ट के द्वारा अपने माल को एक दूसरी जगह ले जाना अच्छा समझते हैं। इस सारे दृष्टिकोण को लेकर वह केवल इशारा था। उस समय जितने आदमी थे जो टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को लेकर भविष्यवाणी कर सकते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह लाइन ऐसी है कि अब जितनी राज्य सरकारें हैं वे इस तरह के टैक्स इम्पोज़ करेंगी कि जिससे रेलवे के कम्पीटीशन में इस मोटर ट्रान्सपोर्ट को खतम कर देगी। जिस समय हमारा राजस्थान सरकार का बज़ट पेश हुआ। उस वक्त यही जो आशंका थी, सामने आ गई और दूसरी स्टेटें भी इसी तरह की व्यवस्था कर रही हैं।

तो यह दृष्टिकोण इसका कारण बना। भारत सरकार ने हमारी सरकार पर इस टैक्स को इम्पोज़ करने की कोशिश की है। भारत सरकार ने डाइरेक्शन दिये हैं कि ऐसे टैक्स इम्पोज़ करो।

अब प्रश्न आता है कि भारत सरकार के इस प्रकार के डाइरेक्सन को स्वीकार किया जाय या नहीं। दो बातों को लेकर दिया जा सकता है यह डाइरेक्शन। एक तो उस समय जब कि भारत सरकार के सामने सारी स्थिति यहां की पेश कर दी जावे। फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के उद्धरण दिये जावें। राजस्थान के सारे टेक्सेशन के स्ट्रचर को उसके सामने रखा जावे और यह भी रखा जावे कि पर कैपिटा टैक्स कितना है, इनकम पर-कैपिटा कितनी है, इसकी पूरी जानकारी दी जावे, इसके बाद अगर भारत सरकार आदेश देती है तो फिर दूसरा तरीका निकला जा सकता है कि सदन के सभी माननीय सदस्य मिलकर इसका विरोध करें। भारत सरकार से मनवावें कि वह हमें इस

(श्री भैरोंसिंह)

टैक्स को यहां इम्पोज़ करने के लिये बाध्य न करें।

अब दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान सरकार ने शायद इस प्रकार की पूरी यहां की स्थिति भारत सरकार के सामने नहीं रखी होगी और इस कारण भारत सरकार इस प्रकार का आदेश दे चुकी हो सकती है। माननीय मन्त्री महोदय, इस बात का उत्तर देंगे और इस सम्बन्धी सारी स्थिति सदन के सामने रखेंगे। पर जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी सरकार ने भारत सरकार के सामने पूरी स्थिति और टैक्सेशन का स्ट्रक्चर, पर कैपिटा इन्कम और एक्सपेन्डीचर के आंकड़े नहीं रखे। भारत सरकार मुगालते में रही है और इस कारण हमारी सरकार को बाध्य किया गया है कि वह इस प्रकार का टैक्स इम्पोज़ करे।

अब प्रश्न आता है कि जो हम प्रस्तावित कर लगा रहे हैं वे ज्यादा हैं या कम ? यह कर रक्खा है १। ६। इसका फार्मूला क्या है ? किस बेसिस पर लिया है ? यदि यह बेसिस है कि हमारा ५८ लाख का घाटा है उसकी पूर्ति करनी है और इसलिए इतना टैक्स लागू करना है। टैक्स का इस प्रकार से बंटवारा कर लें कि इतना स्टाम्प ड्यूटी पर, इतना बैटरमेन्ट लेवी पर, इतना इर्रिगेशन चार्जेज़ पर और बाकी जितना बच जावें वह चाहे ३८ लाख हो, ३० लाख हो, कितनी भी हो वह सारा मोटर ट्रान्सपोर्ट पर लागू किया जावेगा। मैं समझता हूं कि यह कोई न्याययुक्त लॉजिक (तर्क) नहीं है कि जिसके आधार पर हम टैक्स इम्पोज कर सकें। यदि आंकड़े पहले से तै कर लिये थे तो यह सिद्धान्त बिल्कुल गलत है और १। ६, के प्रिन्सिपल को और किसी बिना पर स्वीकार किया गया है तो वे बतावें। इसको लेकर, मैं समझता हूं, यदि फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट देखी जावे और इसके पेज २२६ पर देखा जावे तो इसमें लिखा है :

"Tax on passengers by bus. The net yield of this tax at 1½ pies per anna of bus fares on selected routes is estimated at Rs. 8 lakhs."

हमारी फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी कहती है, अपने कुछ सुझाव देती है, ८ लाख रुपयों की आदमनी निर्धारित करती है और राजस्थान सरकार चाहती है कि इस आमदनी को बढ़ाकर ३० लाख कर दिया जावे। फाइनेन्शियल कमेटी ८ लाख काफी समझती है और राजस्थान सरकार ३० लाख करने पर तुली है। अब यह २२ लाख की कैसे आवश्यकता हुई। यह सारा प्रश्न लेकर यदि इस कमेटी का पैरा १८ सदन के सामने रखा जावे तो राजस्थान सरकार की टैक्सेशन की पोज़ीशन और स्ट्रक्चर सामने आजावेगी :

'Taxes on passengers by Motor Vehicles. Several States have been levying taxes on passengers and also on goods carried by road in motor vehicles. In Punjab the rate of tax has recently been raised to 2pies per anna value of the fare. No such tax has been levied in Rajasthan. As the Central Government has now levied a tax on passenger fares by Railway (with a view to distributing the proceeds to the State), the question of levying a similar tax on passenger fares by

(श्री भैरोंसिंह)

buses has to be considered. The maximum rates of bus fares in Rajasthan are as noted below.:-

(i) A class routes (metalledroads) 8 pies per passenger (ii) B class routes (Kankar roads) 11 pies per mile. (iii) C class routes (Kacha) 14 pies per mile.

और आगे लिखा है। अध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है :

"The tax may be levied in the first instance on class A routes mentioned above at the rate of 1½ pies per anna value of the fare. If any municipalities on such routes are collecting a terminal tax on passsengers, they should be asked to discontinue the same. For loss of income from this source, the municipalities may be compensated from the proceeds of the State tax.

अब प्रश्न यह आता है कि जहां हमारी इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि केवल 'ए' क्लास सीट पर टैक्स इम्पोज़ किया जावे और वह भी इस रेट पर नहीं, वहां हमारी सरकार ने सभी क्लासेज़ पर टैक्स इम्पोज़ किया है। ए, बी और सी तीनों सीटों पर किया है। ए क्लॉस का कन्सीडरेशन नहीं, जितना तै किया उसका कन्सीडरेशन नहीं, बी, सी क्लास का कंन्सीडरेशन नहीं, सिक्स पर्सेन्ट तय कर दिया, तीस लाख की आमदनी वसूल की जावेगी। ये तीनों चीजें किस सिद्धान्त के आधार पर हमारी सरकार ने तय की हैं।

१. ३०. म० प०

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, फिर, प्रश्न पैदा होता है कि आज हमारी राजस्थान सरकार के बस ऑपरेटर्स या बस कन्डक्टर्स की, बस के ड्राईवर्स की और साथ ही साथ राजस्थान की जनता की इस प्रकार की स्थिति है या नहीं कि वह इस प्रकार के टैक्स पे कर सकें और यदि इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं है और फिर भी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो आज हमारी ट्रान्सपोर्ट की क्या हालत होगी और इससे पैसेन्जर्स के ऊपर कितना बर्डन आयेगा ? तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमारी मोटर या बसेज़ को किस प्रकार के टैक्ससेज़ देने पड़ते हैं। यदि मोटर इम्पोर्ट होकर आती है, पार्ट्स इम्पोर्ट होकर आते हैं तो भारत सरकार उसकी कस्टम ड्यूटी लेती है और यदि इण्डिया के अन्दर मेनुफैक्चर होती है तो सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी लागू करती है उसके साथ ही साथ में म्युनिसिपेलिटीज़ के बारे में नहीं कह सकता कि वहां किसी प्रकार का कोई टैक्स है या नहीं लेकिन शायद इस प्रकार के कई म्युनिसिपेलिटीज़ टैक्स लाने का विचार कर रही हैं। इसके साथ ही साथ स्टेट भी कई प्रकार के टैक्सेज़ लगाती है जैसे सेल्स टैक्स, मोटर विहिकल्स टैक्स, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर है। यदि इस सारे का पार्सेन्टेज़ लगाया जाये तो समय अधिक लगेगा लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यह सारे टैक्स का तरीका बस ऑपरेटर्स को मार रहा है तो दूसरी ओर बस पैसेंजर्स को भी मार रहा है। तो फिर हमें यह विचार करना पडेगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि चाहे रेलवे को घाटा होता हो और रेलवे

Page No.54

(श्री भैरोंसिंह)

को घाटा होने पर उसकी पूर्ति पैसेंजर्स के ऊपर टैक्स लगाकर की जाये तो इस प्रकार का सिद्धान्त हमारे सामने नहीं रहेगा। यदि इस प्रकार का सिद्धान्त हमारे सामने है तो वह सिद्धान्त बिल्कुल गलत है आज यदि कोई रेलवे में बैठना चाहे, फर्स्ट क्लास के अन्दर तो १६ पाई ली जाती है और बाकी की क्लासेज में ५॥ या ६ पाई ली जाती हैं। अब राजस्थान सरकार की जो कच्ची रोड्स हैं उनके ऊपर .१४ पाई का टैक्स लिया जायेगा और अब १। ६ बढ़ रहा है उसके कारण से २. ३३ पर्सेन्ट बढ़ गया है। इसका मतलब १६, ३३ होगा और यह कच्चे रास्ते पर जाने वाले पैसेंजर्स को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मोटरों में बैठकर जाने वाले आदमी जो गांवों में जायेंगे, ग्रामीण जनता उसमें बैठकर जायेगी, जो कि पिछड़े हुए स्थान हैं, अनडेवेलपड एरियाज़ हैं और ग्रामीण यदि अपने घर से अदालत में जाये तो उसको मोटर ट्रान्सपोर्ट का फर्स्ट क्लास का किराया देना पड़ेगा। एक ओर हमने यह व्यवस्था की है। कि जो ए क्लास रूट्स हैं उनके ऊपर भी ८ पाई फी माइल देना पड़ेगा। इसका अब मतलब यह हुआ कि शहरों में जहां अच्छी अच्छी सड़कें हैं उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा और बाहर के ग्रामीणों को भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स को बढ़ाकर फर्स्ट क्लास का किया जा रहा है इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आज गाड़ियों में चाहे यह कहा जावे कि सवारियां ज़्यादा होती हैं या यह कहा जाये कि, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस वाले मुफ्त में सफर करते हैं लेकिन फिर भी इस बात की कन्वीनियेन्स मानते हैं कि मोटरों में बैठकर गये तो जल्दी घर चले जायेंगे और इसी कारण रेलों में यात्री कम बैठते हैं कि बसेज़ से जल्दी घर चले जायेंगे तो अब हमें चाहिऐ तो यह कि हम किसी प्रकार से भारत सरकार से प्रार्थना करें कि रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाये, इसके द्वारा ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जायें। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरा और मुसाफिरों को ज्यादा फैसेलिटीज़ प्रोवाइड की गई तो बस में कोई भी जाना पसन्द नहीं करेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो गाड़ी में बैठने का प्रश्न गया, रेलवे की इनकम का प्रश्न आया लेकिन खास मुद्दा हमारी सरकार के सम्मुख यह है कि किस प्रकार से हम ३० लाख रुपया प्राप्त करें। अब हमें यह देखना होगा कि अर्बन पोपुलेशन के ऊपर कितना और रूरल पापुलेशन के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाये। टैक्स के दो तरीके डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट होते हैं। सरकार कहेगी कि जो कुछ हमने टैक्सेज़ इम्पोज़ किये हैं उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लेकिन टैक्स इम्पोज़ करने के लिए जो सरकार के सम्मुख फैक्टर है उससे यह स्पष्ट है कि सरकार बाहर रहने वाले ग्रामीणों से ज़्यादा टैक्स लेना चाहती है। मैं चाहूंगा और खास तौर से हमारी राज्य सरकार के लिए चाहूँगा कि केवल यह कह कर कि हम आजकल अरबन इम्प्रूवमेन्ट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि खर्च कर रहे हैं या नहीं यह तो अलग वादविवाद का प्रश्न है लेकिन रूरल पापुलेशन के ऊपर कितना टैक्स इम्पोज़ करते जा रहे हैं, यह विचार करना पड़ेगा। बैटरमेन्ट लेवी का प्रश्न ले लीजिए,

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

स्कूल बनाने का प्रश्न ले लीजिए उनके सामने पाबन्दी नहीं होगी, ५०-६० पर्सेंट कन्ट्रीब्यूट करने की, पर शहरों में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं होगी। तो टैक्सेशन का जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें एक दृष्टिकोण रखा जाता है कि रूरल पोपुलेशन के ऊपर अन्याय किया जाये और उसकी कीमत के ऊपर अर्बन पोपुलेशन को जितना भी बढ़ावा दिया जाये उतना दिया जावे तो सरकार इसको स्पष्ट करे और जनमानस में जो धारणा बन चुकी है आप अपने टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में जितनी कमी कर सकते हैं उतनी करें। उपाध्यक्ष महोदय, अब एक प्रश्न आता है राजस्थान के फाइनेन्स का। राजस्थान सरकार ३० लाख रुपये इस मोटर के टैक्स से वसूल करना चाहती है। मैं मानता हूँ कि हम सब कुछ मान कर चलें। यह मसला एक तरफ छोड़ दें कि लोगों की टैक्स देने की हिम्मत कितनी है और इसको भी बिल्कुल छोड़ दें कि इससे रेलवे को फायदा होता है या घाटा और हमें ३० लाख रुपये लोगों से लेने ही हैं यह सिद्धान्त मानकर चलें तो यह सोचना चाहिए कि दूसरा तरीका हो सकता है या नहीं। मैं यह मानता हूँ कि इसका दूसरा तरीका हो सकता है और वह यह है कि यह टैक्स हम पैसेंजर्स से न लेकर बस ऑपरेटर्स से लें। आज हमारे राजस्थान में इस प्रकार की बसेज़ और ट्रक्स करीब ८४६० है। उन बसेज़ के ऊपर यदि एक रुपये का टैक्स लगा दिया जाये तो राज्य सरकार को इससे ३० लाख रुपये के लगभग आमदनी होगी। आप चाहें तो इसको वर्क आउट करके देख लें। अब यदि ३० लाख रुपये का ही प्रश्न है तो सरकार को इस तरह का परिवर्तन करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार यह सोचे कि मोटर ट्रान्सपोर्ट में बैठने वाले लोगों को डिसकरेज़ करें और लोग मोटरों में न बैठकर रेलों में बैठे और इससे रेलवे की इनकम बढ़े और इस प्रकार से यदि सरकार डबल साइडेड फायदा लेना चाहती है तो सरकार फिर इसको स्पष्ट रूप से कहे। यदि ३० लाख रुपये का ही प्रश्न है तो फी बस के ऊपर एक रुपये का टैक्स लगा दें यदि सरकार इसको मंजूर कर ले कि जितनी भी बसेज़ हैं फी बस के ऊपर एक रुपया लगा दिया जाये तो इससे ३० लाख रुपये की आमदनी हो जायेगी।

श्री सम्पतराम : कितनी बसेज़ हैं ?

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में इस प्रकार की करीब ८४६० बसेज़ और ट्रक्स हैं उन पर फी मोटर एक रुपये का टैक्स लगा दें तो साल भर का जितना भी टैक्स होगा उसको आप वर्क आउट कर लें तो वह ३० लाख रुपये से जरा ही कम आयेगा। लाखों में कम नहीं बल्कि मुश्किल से हजार में ही कम आयेगा। आप वर्क आउट कर लेंगे तो इतनी ही फिगर्स आयेगी। मेरे कहने का दृष्टिकोण यह था कि आमदनी के कारण से सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए हम कुछ व्यवस्था करें तो यह बात समझ में आ सकती है कि फी बस के हिसाब से टैक्स इम्पोज़ कर दें तो वह सारी दिक्कत दूर हो जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम समझते हैं कि सेल्स टैक्स के कारण से हमारे राज्य में किस प्रकार की प्रक्रिया हुई है। किस प्रकार से सेल्स टैक्स के अकाउन्ट्स को मेन्टेन करना पड़ता है, किस प्रकार से इनकम टैक्स के अकाउन्ट्स को मेन्टेन करना पड़ता है। यह बात सही है कि हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य में टैक्स लगाने के पहले पंजाब के अन्दर, बिहार के अन्दर, आसाम के अन्दर, और मद्रास के अन्दर इस प्रकार का टैक्स लगाया हुआ था वहां टैक्स लिया जाता रहा है लेकिन वहां की जनता के कटु अनुभव हैं जो जो समय के ऊपर वहां की लेजस्लेचर के द्वारा रिपोर्ट पेश हुई हैं टैक्स के बारे में और जितने भी हाउस में डिसकशन्स हुए हैं उनसे हमें लेसन लेना चाहिए। वहां यह स्वीकार किया गया कि जिस समय टैक्स ईम्पोज किया गया था तो राज्य सरकार के ऊपर बहुत खर्च का भार आया। आज जिस प्रकार से व्यवस्था की थी कि जितने भी ड्राइवर्स होंगें उनको फर्स्ट ऐड की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो बस ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर कितना खर्च हुआ है। उनको फर्स्ट ट्रेनिंग दी गई है लेकिन क्या आप यह उचित समझते हैं कि जितने भी कन्डक्टर्स, ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स हैं उनको इस प्रकार से हिसाब मेन्टेन करना पड़ेगा। जिस स्टेटमेन्ट के आधार पर वह इनकम टैक्स का चार्ट और दूसरे चार्ट बनायेंगे या हिसाब लगायेंगे, मैं समझता हूं कि इसका वह अकाउन्ट नहीं रख सकते।

तो हमें विद्वान आदमी रखने पड़ेंगे, ड्राईवर्स के रूप में रखने पड़ेंगे, कन्डक्टर्स के रूप में रखने पड़ेंगे। उसका खर्चा बस ऑपरेटर्स पर पड़ेगा और जिस इन्डस्ट्री को हम डवेलप करना चाहते हैं वह ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री अपने आप में समाप्त हो जायगी, और एक दिन वह आयेगा कि बस ऑपरेटर अपने आप कहें कि चाहे परमिट दिया जाय, चाहे किसी रूट को नेशनेलाइज किया जाय हम इस काम को किसी प्रकार से उठाने वाले नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि अगर ट्रान्सपोर्ट को इन्डस्ट्री मानकर चलती है तो किस तरह से वह डवेलप हो सकती है, और कोई टैक्सेशन इस इन्डस्ट्री के डवेलपमेंट में हिन्ड्रेंस पैदा करते हों तो उनको अवायड किया जाय, इस चीज की व्यवस्था करें। यह सुझाव है कि अगर इस इन्डस्ट्री को डवेलप करना चाहते हैं तो राज्य सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। हमारी राज्य सरकार की ट्रान्सपोर्ट के बारे में कोई पॉलिसी नहीं हैं। राज्य सरकार की पॉलिसी को गाइड करने के लिये हमारे यहां एडवाइजरी कौन्सिल बनाना चाहिये जो सारी राजस्थान की ट्रान्सपोर्ट की मशीनरी के वर्किंग को और इन्डस्ट्री के सारे इन्स एन्ड आउट्स को देख कर किस प्रकार से इन्डस्ट्री फ्लोरिश कर सकते हैं इसके बारे में एक एडवाइजरी कौन्सिल सरकार नियुक्त करे। यह कह देना कि एस. टी. ए. में रूल बनाने की एडवाइज़री कमेटी बना रखी है। मैं मानता हूं कि नॉमीनल कमेटीज़ बना रखी हैं। उन कमेटियों से जो काम होना चाहिए वह नहीं हो सकता है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये कमेटियां बिल्कुल नॉमीनोल हैं और इस ढंग से बनाई हैं कि उनके कारण से सरकारी नियमों को उल्लंघन किया जाता है, और उल्लंघन हुआ भी है उसके अनुसार, मैं यहां हाउस में किसी पर आरोप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार की घटना घटी है। उन सारी चीजों को रेग्युलेट करने के लिए और किस प्रकार से इन्डस्ट्री डवेलप कर सकती है इन सारी बातों पर सुझाव देने के लिए हमारी सरकार को एक एडवाइज़री कौन्सिल बना कर व्यवस्था करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब केवल यह देखा

Page No.57

(श्री भैरोंसिंह)

जाय कि जब हमारी सरकार ने जो टैक्स लगाये है वही केवल इस वर्ष में इस इन्डस्ट्री पर नये टैक्स हो तो कुछ समझ में आ सकता है। राज्य सरकार ने ही टैक्स लगाया हो और बाकी किसी कारण से मोटर ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा यदि इस प्रकार का एश्योरेन्स मिलता है और मिले तो मैं मानकर चल सकता हूं कि कुछ सरकार को हम दें। लेकिन हमने देखा है कि सेन्ट्रल बजट जिस समय पेश हुआ, डिज़ल और टायर्स पर जिस समय टैक्स इम्पोज किया गया तो हमें अनुभव हुआ है और अनुभव भी करना पड़ेगा कि जो टैक्स इम्पोज किये जा रहे हैं वह एक भार है। भारत सरकार ने जो डिज़ल और टायर्स पर टैक्स इम्पोज़ किया है वह अपने आप में बड़ा भार है। टायर्स और डीज़ल का खर्चा लिया जाय तो डीजल के कारण रेलों को हराया है। इसलिये आप चाहते हैं कि डीजल पर कीमत बढ़ा कर उसको डिस-केरेज किया जाय। टायर्स पर टैक्स इम्पोज़ करके उसको डिसकेरेज किया जाय या और किसी दूसरी किस्म का टैक्स लगा कर उसको डिस्करेज किया जाय, तो स्पष्ट रूप से कह दें इस प्रकार की इन्डस्ट्री को नहीं चाहते हैं। आप यह नहीं चाहते हैं कि एक इन्डस्ट्री ट्रान्सपोर्ट के नाम की वह किसी प्रकार से डेवलप करे। यही दृष्टिकोण अगर आपका हो कि हर क्षेत्र में हर चीज़ में स्टेट केपिट-लिज्म के रूप में इन्डस्ट्री को स्टेट अपने हाथ में ले ले। यदि इस प्रकार की आपकी भावना हो तो खुले रूप से सदन के सामने रखना चाहिये कि हमारा सीधा और साफ दृष्टिकोण है कि इन्डिविजुअल बेसिस पर किसी प्रकार की कोई इन्डस्ट्री डवेलप नहीं करेगी। अगर चलती है तो उसको खत्म करने के लिये टैक्शसन का भार डालकर उसको डिसकरेज करेंगे और डिसकरेज करने के बाद हर चीज को नेशनेलाइज़ करने वाले हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी यदि नाराज़ होंगे यदि मैं यह कहूं तो और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाये जांय, लेकिन मैं सदन में कहने को तैयार हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि नेशनेलाइजेशन के नाम पर कि बस रूट को नेशनेलाइज़ किया जायगा या नहीं, इस बाते से रिप्रेजेन्टेशन आते हैं, डेपुटेशन आते हैं उनको एश्योरेन्स दिया जाता है कि यह रुट नेशनेलाइज नहीं होगी। एक पार्टी एटमासि-फियर बनाती है और मालिक के पास पहुंचती है और कहती हैं कि यह रूट नैशनेलाइज होने वाला है। जयपुर डेपुटेशन लेकर चलो। डेपुटेशन मिलता है और मिलने वालों से कह दिया जाता है कि चिन्ता किसी प्रकार की नहीं की जाय। उनको परेशान करने के दृष्टिकोण से नेशननेलाइज हुआ नहीं उसके पहले यह चालू कर दिया जाता है। जिस चीज़ का राष्ट्रीय करण करना है, जिस चीज़ की नींव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी नींव में यदि इस प्रकार की भावना हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी इन चीज़ों पर मान्यता देने के लिये, हमारी मान्यता को दृढ़ बनाने के लिए पहले टौंक बस सर्विस का हिसाब देखें, सिरोही बस सर्विस का हिसाब देखें और फिर निर्णय पर पहुंचे कि हमको नेशनेलाइज़ करना चाहिये। आज राजस्थान की करप्ट मशीनरी में नेशनेलाइज़ेशन से सरकार को किसी प्रकार से फायदा नहीं पहुँच सकता

(श्री भैरोंसिंह)

है। अब सब मानते हैं कि हमारे यहां कितना और किस प्रकार का करप्शन है। आज करप्शन का जिक्र किया जाय तो हमारा हर प्रकार से विरोध किया जाता है। टोंक में जो बस सर्विस चलती थी उस घाटे को दिखा कर ड्रामेटिकली घाटा दिखा कर प्राइवेट ओनर को दिया है वह आज इस तरह का प्रमाण है कि जिस प्रमाण के आधार पर नेशनेलाइजेशन के ज़रिये जिस बात को पूरा करना चाहते हैं, वह पूरा नहीं हो सकेगा। मैं आज कहता हूं कि सरकार बहुमत में है और सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है और इस वर्ष में १५ लाख इस पर खर्चा करेगी। १५ लाख इस वर्ष में खर्चा कर दिया तो अगले साल महसूस हो जायगा कि राजस्थान सरकार की मशीनरी किस प्रकार से अयोग्य है कि जिसके आधार पर १५ लाख के ऊपर घाटा रहा। आप पंजाब की नकल करना चाहते हैं। हम दिल्ली की ट्रान्सपोर्ट बस सर्विस का मुकाबला करना चाहते हैं। ये किस ढंग से एस्टेब्लिश हुई है। घाटा होने के बाद भी चल रही हैं। टायर और डीज़ल पर टैक्स इम्पोज़ किया हैं उसके आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दिल्ली ट्रान्सपोर्ट सर्विस के आंकड़े तैयार किये हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनेलाइजेशन, डीजल पर टैक्स, यह सब कहां से आ रहा है। समय बढ़ाने की बात कही है वह इसी इरादे से कही गई है जो रेलेवेन्ट बातें नहीं हैं उनको यहां डिस्कस करें तो कोई लाभ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will speak relevant only to the question itself.

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद है कि ये शब्द माननीय मुख्य मंत्री जी, के मुंह से निकले हैं। यदि और कोई माननीय सदस्य इस बारे में यह बात कहता तो मैं समझ सकता था कि इर्रेलेवेन्ट है। माननीय मुख्य मंत्री, खुद जब सारी बातें बताई जांय तो उनको इर्रेलेवेन्ट कह कर बात को अवायड करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ किसी प्रकार से उचित नहीं है। जब कोई एक टैक्स इम्पोज़ करते हैं तो रेलेवेन्ट टैक्सेशन की जो साइड है उस पर विचार करना पड़ेगा। उस चीज़ को नहीं देखते हैं तो उसके कारण से गलती भी कर सकते हैं। उस चीज़ के कारण से इस प्रकार की गलती कर सकते हैं कि जो जनता को बहुत प्रभावित करे। मुझे बताना चाहिये डीजल के कारण से किस पर इतना प्रभाव पड़ता है। टायर्स पर टैक्स बढ़ता है तो मोटर ट्रान्सपोर्ट पर इतना प्रभाव पड़ता है। दोनों टैक्सेज के साथ साथ पैसेन्जर टैक्स इम्पोज़ किया जाता है तो मोटर इन्डस्ट्री पर निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ने वाला हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखी हैं कि दिल्ली के अन्दर इस टैक्स के बढ़ने के बाद जो इस साल का ट्रान्सपोर्ट का बजट बनाया गया है उसमें ९ लाख का घाटा दिखाया गया है। डीज़ल और टायर्स पर टैक्स बढ़ने के कारण से। दिल्ली के अन्दर इस प्रकार से घाटा रह सकता है तो यह कहना कि प्राइवेट ओनर को बहुत ज्यादा लाभ होता होगा, गलत बात है। यदि सरकारी नियमों को कड़ाई से बनाया जाय जिस तरह से कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सवारियां ज्यादा बैठती हैं, जिस प्रकार की

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था गाड़ी में होनी चाहिए वह नहीं होती है। जिस प्रकार की मशीनरी गाड़ी में चाहिये उस प्रकार की मशीनरी भी नहीं होती है। सरकारी कानूनों को तोड़ने के कारण या ब्लेकमेलिंग के कारण प्राइवेट ओनर्स को फायदा होता होगा, लेकिन टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को सामने रखकर ईमानदारी से गाडी का काम करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है। वेजेडा एक्ट भी उन पर लागू कर दिया गया है। उसके साथ साथ यह भी कहेंगे कि कन्डक्टर की इतनी तन्ख्वाह होनी चाहिए, ड्राइवर की इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, अकाउन्टस् मेन्टेन करने वाले के लिए इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। यह खर्चा बढ़ने वाला है। इसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइवेट ओनर्स ठीक प्रकार की गाड़ी रखकर डवेलप कर सकता है? उनको मजबूर हो कर ऐसे तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे जिनसे कि जनता की सुविधाओं का ख्याल नहीं रहे। इस परेशानी को लेकर मोटर ऑपरेटर्स को काम करना पड़ेगा। जनता उससे परेशान होगी। उस सारी स्थिति को लेकर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का और बिल के द्वारा जो प्रस्तावित कर हैं उसका सिद्धान्ततः विरोध करता हूं, और विरोध करने के साथ २ सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि विधान सभा के अन्दर इस वर्ष में यदि कोई डाइरेक्ट टैक्स गरीब पर, रूरल पोपुलेशन पर, स्पेशली इम्पोज़ किया जारहा है। वह यह टैक्स है जो रूरल साइड से आना वाला होता है। विशेषतौर से रूरल एरिया से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे मिलकर, डटकर इसका विरोध करें और इस बात की चिन्ता नहीं करें कि इधर बैठने वाले हैं या उधर बैठने वाले हैं, चूंकि यह रूरल पोपुलेशन पर ऐसे लोगों के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है जो कि स्वयं अर्बन पोपुलेशन के अन्दर बैठे हैं। इन्कम और एक्सपेन्डीचर के दृष्टिकोण को सामने रखकर रूरल पोपुलेशन की कीमत पर अपना लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री भानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जो यह मोटर पैसेन्जर्स एंड गुडस पर १/६ ऑफ वेल्यू ऑफ फेअर एंड फ्रेटस का जो टैक्स लगाया है, जहां तक टैक्स या राजस्थान के रिसोरसेज़ को बढ़ाने का प्रश्न है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मगर हमको यह देखना होगा कि राजस्थान के अंदर पहली पंच वर्षीय योजना चली और अब दूसरी पंच वर्षीय योजना चल रही है मगर जो करोड़ों रूपये पहली पंच वर्षीय योजना पर गवर्नमेन्ट ने खर्च करा और दूसरी पंच वर्षीय योजना पर गवर्नमेन्ट खर्च कर रही है आखिर उससे ऐसा मालूम होता है कि इसके कारण से राजस्थान की जनता की जो इन्कम बढ़नी चाहिये थी वह आमदनी राजस्थान की जनता की नहीं बढ़ी रही है, और जब जनता की आमदनी नहीं बढ़ती है तो यह भी एक प्रश्न है कि हम जो टैक्सेज लगाते हैं उन टैक्सेज़ को क्या जनता पे कर सकती है? क्या इस भार को वह बेअर कर सकती है? टैक्सेशन का जो सिद्धान्त है हमने उसको माना कि हमें टैक्स एक सिद्धान्त से लगाना है, राजस्थान सरकार की आमदनी या रेवेन्यू रीसीट बढ़ाना है। मगर टैक्सेशन के रिपरकशन्स भी होते हैं। हम को यह भी देखना होगा कि एक तरफ जब हम

Page No.60

(श्री श्रीमानसिंह)

प्लानिंग करते हैं तो दूसरी तरफ जनता का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना चाहिये और प्लानिंग का एकमात्र मतलब ले लें जो कि दे रहे हैं, हमने सिर्फ इस देश में यह मतलब लिया है कि हरएक आदमी टैक्स का विरोध करे, बर्डन को रेजिस्ट करे तो हम यह कहें कि देश के भविष्य का नक्शा या राजस्थान के भविष्य का नक्शा बदलना चाहते हैं, उसके लिये त्याग और बलिदान करिये। मैं समझ नहीं सका कि जो जनता त्याग और बलिदान करती आई है और जिसका भविष्य आप प्लानिंग के ज़रिये बनाना चाहते हैं, जो अगर नहीं बनता है तो आखिर जनता कहां तक त्याग और बलिदान करे। प्लानिंग का मतलब यह होना चाहिये कि जनता का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, आम लोगों की आमदनी बढ़े और जो समाजवाद का ढांचा है उसमें टैक्सेशन के ज़रिये आप इक्वेलिटी स्थापित करें। मगर यदि हम राजस्थान में टैक्सेशन के स्ट्रकचर को देखें तो न तो वह इक्वेलिटी स्थापित करता है बल्कि यह कहा जाय कि आप गरीब जनता से बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस मांगते है। लैंड रेवेन्यू कॉमन आदमी पे करता है, बेटर मेन्ट वेल्यू कॉमन आदमी पे कहता है, आपके डाइरेक्ट टैक्सेशन जितने भीहैं या सेल्स टैक्स हैं उनको गरीब आदमी पे करता है, एक्साइज़ वगैरह भी कॉमन आदमी प करता है, तो ऐसा कौनसा टैक्स है जिसको कॉमन आदमी पे नहीं करता और मालदार आदमी टैक्स पे करता है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से जो आमदनी होती है वह साफ बताती है कि राजस्थान के जो अमीर आदमी हैं उनका प्लानिंग में अपने रिसोरसेज़ और सेविंग्ज में से कांट्रिबूयूशन होना चाहिये, उतना नहीं है। तो प्लानिंग के लिये हमको रिसोर्सेज़ चाहिये और रिसोर्सेज़ हम जनता से ले सकते हैं और जनता के पास पैसा नहीं है इसलिये मैं यह नहीं कहता कि हम प्लानिंग को ढीला करें; लेकिन एक कहावत है कि "Cut your coat according to your cloth" उसी तरह हमको देखना होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है तो आखिर जब तक जनता काबिल बने इसके लिये तब तक जो ३० लाख की आमदनी इस टैक्सेशन से होगी उसके लिये यदि फोरसाइटेडनेस होती, फाइनेन्स मिनिस्टर में, तो बहुत से रिसोर्सेज़ थे तो टेप किये जा सकते थे लेकिन उनको नहीं टेप किया गया। जब तक जागीरदारी प्रथा थी, सेल ऑफ लैंड परमिटेड था, जो अगर इन्कम करना चाहते तो सेल ऑफ लैंड को टैक्स कर देते तो आमदनी का ज़रिया हो सकता था, जो अगर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को प्रोग्रेसिव रेट पर लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज करते तो आमदनी बढ़ सकती थी। जो एसेस पुरानी रियासतों में प्रिवेलेन्ट थी जो अगर ज़ील में बिना सोचे समझे उसको एबॉलिश नहीं करते तो उससे आमदनी बढ़ सकती थी। आज इस समय बजट देखते हैं तो कॉमन आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिये क्या रिलीफ है, सरकार उसके लिये क्या कर रही है, मगर जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया यह डाइरेक्ट टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? जो मोटर में सफर करते हैं उनको और उनके लिये ऑलरेडी जो रेट्स हैं वे इतनी डिस्पेरिटी की है कि पक्की सड़क वालों को कम देना पड़ता है।

(श्री श्रीमानसिंह)

और कच्ची सड़क पर चलने वालों को ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब अगर वन सिक्स्थ और बढ़ाते हैं और यह उनसे लेते हैं जिनके लिये राजस्थान सरकार ने सड़क पक्की बनायी नहीं तो यह कहां तक समाज वाद के ढांचे को आगे बढ़ाता है या इक्वेलिटी रेस्टोर करता है। या यह कहा जाय कि जो बर्डन ऑफ टैक्सेशन है उसको लो करता है, तो ये तीनों क्राइटेरिया रखें तो वे उनको बढ़ाते हैं जो कॉमन मेन पर बार्डन बढ़ता है। कॉमन मेन पर इसका बर्डन ज़्यादा पड़ता है। गुड्स पर लें तो एन्युअली ६ टू ७ पर्सेन्ट प्राइसेज़ बढ़ेगी और इस पर जो ट्रान्स-पोर्टेशन की कीमत है उन पर और ज़्यादा लागू करते हैं तो सिक्स टू सेवन पर्सेन्ट इन्फलेशन की ओर बढ़ते हैं प्लान में और गुड्स के प्राइसेज़ कम से कम १० पर्सेन्ट और बढ़ेंगे। एक तरफ लिविंग प्राइसेज़ बढ़ेंगी और दूसरी तरफ प्लानिंग एक्सपेन्डिचर बढ़ता है और तीसरी तरफ जनता का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं तो कहां तक यह कांप्लीमेन्टरी होता है? प्राइसेज़ बढ़ती है तो स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग कम होता है और स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग कम होता है तो आप जानते हैं कि पैसे का सेविंग नहीं हो सकता। टैक्सेशन उस चीज़ पर होना चाहिये जो सेविंग्ज़ को मोबिलाइज करे। लेकिन जब सेविंग्ज़ है ही नहीं तो मोबेलाइज़ किस को करेंगे? टैक्स किस पर लिया जाता है? सब पर लिया जाय। टायर्स पर आपने टैक्स बढ़ाया, डिजल पर बढ़ाया, मोटर पार्टस पर टैक्स बढ़ाया और अब पैसेन्जर्स पर बढ़ाना चाहते हैं। उनका टोटल लें तो कॉमन मेन पर इसका कितना ज़्यादा बर्डन बढ़ता है, उसका इन्सीडेन्स नहीं वर्क आउट कर सकते।

२. म० प०

मगर इन्सीडेन्स हेवी रहेगा, यह मान कर चलना है और यह देखा जाय की राजस्थान के अन्दर जो हमारा रोड़ डवेलपमेंट है, जो ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री है, उसको डेवलप करना है, उसको फ्लरिश करना है। हम पंजाब की एक्ज़ाम्पल यहां लागू नहीं कर सकते, मद्रास कलकत्ता की एक्ज़ाम्पल राजस्थान के अन्दर लागू नहीं कर सकते। पहले यह देखा जाय कि रोड बॉयलाजी करनी है, राजस्थान को ओपन अप होना है, एक हैड क्वार्टर को दूसरे हैड क्वॉटर से कनेक्ट होना है। अभी कई जगह बस फेसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए इस ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री को फुल्ली डवेलप करें, जब तक डवेलप या फ्लोरिश न कर सकें और उससे पहले टैक्स इम्पोज़ कर देते हैं। तो या तो टैक्सेशन से इस इन्डस्ट्री को इन्स-टिंक्टिव मिले, तो टैक्स जस्टीफाइड होता है। अगर इससे इन्सटिंक्टिव मिलता नहीं है तो हम इस इन्डस्ट्री को बिल्कुल समाप्त कर दें। राजस्थान के अन्दर रेल माइलेज़ राजस्थान के अन्दर रोड माइलेज़ पूरा नहीं है, दोनों चीज़ों इनएडीक्वेट हैं, ट्रेवलिंग फेसेलिटीज़ हैं नहीं तो फिर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह स्मूथली फ्लो करें, उसको रोकना चाहते हैं और जो प्राइस डेस्पेरिटीज़ राजस्थान में हैं, उनको स्मूथली एक लाइन में न लाकर उनको कायम रखना चाहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स स्मूथली भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में डेज़र्ट एरियाज़ हैं, हिल्ली एरियाज़ हैं, जो प्रोडक्शन सेन्टर्स हैं, जो लेस प्रोडक्शन करते हैं, वहां गुड्स भेजना पड़ेगा। अगर ट्रान्सपोर्टेशन कोस्ट को

(श्री श्रीभानसिंह)

और हेवी करते जांय तो आप यह मान कर चलें कि भरतपुर में जो गेहूं १६ रु० मन मिलता है वह जोधपुर में जाकर २० रुपये, २५ रुपये मन मिलेगा क्योंकि ट्रान्सपोर्टेशन की कोस्ट उसके अन्दर इन्वोल्व की जायगी जो डेस्परेटी ऑफ प्राइस रहेगी उसको आप टैक्स इम्पोज़ करके और बढ़ायेंगे, वह घटने की नहीं। इस दृष्टिकोण से देखा जाय कि आखिर इस टैक्सेशन से जितनी आमदनी इनक्रिसेज़ करते हैं, ३० लाख की, क्या राजस्थान सरकार को मिल जायगी। मैं समझता हूं कि इससे करप्शन के लिए और प्रोत्साहन दे रहे हैं क्योंकि अभी तक मेरा अनुभव है कि जो बस सर्विस जयपुर से भरतपुर तक जाती है उसमें जयपुर से भरतपुर तक का टिकट दे सकते हैं, दौसा तक दे सकते हैं लेकिन जो इन्टरमीडियरी गांव हैं, जो यात्री रास्ते में उतरते हैं, उनको टिकट नहीं देंगे। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है कि जो उसे कंट्रोल कर ले। जो इन्टरमीडियरी गांव जयपुर से दौसा तक पड़ेंगे, जो यात्री बीच के गांवों में उतरेंगे उनसे टैक्स तो रियलाइज़ होगा, लेकिन जो टैक्स रियलाइज़ होगा वह राजस्थान गवर्नमेंट को पे नहीं होगा। इस तरह से आप करप्शन और बढ़ायेंगे। आज रेल्वे में क्या होता है ? आप कहेंगे कि चेकिंग इन्सपेक्टर्स रखेंगे। मेरा अनुभव है कि रेल्वे में जो चेकिंग मजिस्ट्रेट चलता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रेल्वे वाले फ्री पेसेन्जर्स को करते हैं, मैंने एक ताज्जुब की बात देखी कि चेकिंग मजिस्ट्रेट के खुद के सर्वेन्ट्स उसके साथ जाते हैं, वे टिकट नहीं खरीदते। जिस रेल्वे के चेकिंग मजिस्ट्रेट को टिकट की चोरी रोकने के लिए कायम किया, उस मशीनरी को कायम करने का नतीजा यह हुआ कि जो फ्री ट्रेवलिंग करते हैं, उनको सबसे पहले चेकिंग मजिस्ट्रेट की इन्फॉर्मेशन मिल गई। आप इस प्रकार जिस इन्स्पेक्टर को अपॉइन्ट करेंगे, जिस मकसद से अपॉइन्ट करेंगे, वह फुलफिल नहीं होने वाला है और करप्शन बदस्तूर बढ़ेगा। इन्स्पेक्टर को आप २५०, ३०० रुपये की तनख्वाह पर रखेंगे लेकिन उसकी मन्थली इन्कम ६००,७०० रुपये होगी और यह इन्स्पेक्टर करप्शन को प्रोत्साहन देने वाले होंगे। अब सवाल यह आता है कि आखिर इन्कम के रिसोर्सेज़ बढ़े कैसे ? उसके लिए दूसरी साइड देखनी है राजस्थान के अन्दर मैं इस वक्त उस इश्यू को री-ओपन नहीं करना चाहता लेकिन राजस्थान की जनता के ऊपर भार आ रहा है, इसलिए मैं उस इश्यू को फिर ओपन करूंगा। आप अजमेर में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को बनाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के २५ लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, वेरीयस बिल्डिंग बनाने के लिए और दूसरी जगह जनता पर ३० लाख रुपये के टैक्स लगा सकते हैं। आप सीधे वर्क आउट कर लीजिये कि ३० लाख रुपये का क्या होगा ? इस टैक्स को लगाने से राजस्थान का इकॉनोमिक डवेलपमेंट करने के लिए, जनता को ऊंचा करने के लिए, राजस्थान के स्टेन्डर्ड को बढ़ाने के लिए, प्लान को सक्सेज करने के लिए सिर्फ पांच लाख रुपया रह जाता है। यह तो यह नान डवेलपमेंट एक्सपेन्डीचर है २५ लाख रुपये का, क्या अजमेर के अन्दर २५ लाख की बिल्डिंग को रोक नहीं सकते ? क्या अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड भेजा, वह तीन साल तक जयपुर में नहीं रह

(श्री श्रीमानसिंह)

सकता था, जब तक कि २५ लाख रुपये के एक्सपेन्डीचर को करने के लिए हमारी सामर्थ्य नहीं होती ? लेकिन यह जो प्लानिंग साइड है, और नान डवेलपमेंट एक्सपेन्डीचर है, हम उसे खर्च नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते और हम जनता से कहें कि हमको प्लानिंग के लिए ३० लाख रुपये की ज़रूरत है, हमें ३० लाख रुपये दीजिये ।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय ।

आज जनता से कहें कि ३० लाख रुपया चाहिए प्लान के लिए। यह प्लानिंग एक्सपेन्डीचर है ? इससे राजस्थान के अन्दर क्या इन्कम जेनरेट होगी, क्या मासेज़ का बेनीफिट करेंगे ? मेरे कहने का मतलब यह है कि एक क्लिअर पिक्चर है, ३० लाख रुपये के टैक्स की और २५ लाख रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स पर खर्चे की । कहां तक इकॉनोमिक बेनीफिट है आपके प्लान में, मैं नहीं समझ सकता । इसलिए मैं चाहूँगा कि एक कर्व करना चाहिए और यह साबित करें कि अजमेर की २५ लाख रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स को रोक सकते हैं...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : अजमेर के लिए क्यों मेहरबानी हो रही है ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप जल्दी घबरा गये ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं नहीं घबरा रहा हूं ।

श्री श्रीमानसिंह : और ३० लाख रुपये टैक्स से ले रहे हैं, उसे माइनर इर्रिगेशन में लगायेंगे, फर्टीलाइज़र्स में लगायेंगे, ट्रान्सपोर्ट या रोड इन्डस्ट्री को डवेलप करने के लिए लगायेंगे, तो माना जाना चाहिए कि ३० लाख रुपया जनता से ले रहे हैं, वह ठीक है । यह एश्योरेन्स होता कि हम एक रोड फन्ड एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि राजस्थान में रोड्स बनेंगी । आप डिसीशन कर लेते हैं तो जनता यह रुपया दे सकती है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अजमेर में इमारतों में जो रुपया लगा रहे हैं, यह अजमेर प्लान से लगाया जा रहा है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप अजमेर प्लान को पढ़ने की कोशिश करते तो पता लगता कि कितना रुपया है और कितना खर्च होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ ! !

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : मैं अजमेर को अलग नहीं समझता, मैं अजमेर को पार्ट ऑफ राजस्थान समझ कर चल रहा हूं ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : यह तो आपके भाषण से मालूम हो रहा है कि कितना अजमेर को राजस्थान का अंग मान कर चल रहे हैं ।

श्री श्रीमानसिंह : As far as I am concerned, I have never requested Ajmer to be merged with Rajasthan.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आपकी भावना का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : So far as I, am concerned, I have more liability than...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : यह कल्पना के आधार पर है।

श्री श्रीभानसिंह : It is a far deficit area which has now come to Rajasthan.

श्री उपाध्यक्ष : There is no response now.

श्री श्रीभानसिंह : मैं टेक्सेशन के लिए कह रहा हूं, बीच में माननीय सदस्य बोलने लगे।

फिर यह देखा जाय कि जब हमने एक फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी अपॉइन्ट की और जैसा माननीय सदस्य ने उसका रैफरेन्स दिया, मैं दुबारा तो रैफरेन्स नहीं देना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर है कि जब सारे पहलुओं से टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने इस प्रश्न को सोचा और सोच कर इस नतीजे पर आया, वह इस नतीजे पर आया कि राजस्थान के अन्दर टैक्स जो लगे तो टैक्स के लिए पहले से हमको ग्राउन्ड प्रिपेअर करने चाहिए पब्लिक के अन्दर। यह नया टैक्स लगाया है तो हमको मान कर चलना चाहिए कि इसका जनता में विरोध होगा क्योंकि यह नया टैक्स है और इससे जो टैक्स पेअर हैं, वे हेबीचुएटेड नहीं हैं, इसकी बस कन्डक्टर, ओनर्स पर रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, वे किराया अलग लिखेंगे और टैक्स अलग लिखेंगे। उसका बर्डन गवर्नमेंट पर आयेगा। जब हम देखते हैं कि टैक्सेशन के लिए राजस्थान की जनता प्रिपेअर्ड नहीं है इकॉनोमिकली प्रिपेअर्ड नहीं है, सोशली प्रिपेअर्ड नहीं है, मोरेली प्रिपेअर्ड नहीं है, इस प्रिन्सिपल को एक्सेप्ट करने के लिए और आप जो कर लगाना चाहते हैं, उसके लिए १/६ रेट निर्धारित कर दें, मैं मानकर चलता हूं १/६ के केलकुलेशन से ३० लाख रुपये की आमदनी आई है। आप कहेंगे कि मेक्ज़ीमम रख कर गवर्नमेंट के लिए एक लेटीट्यूड रख लिया है, इसमें १/८ या १।१० की कमी बेशी होगी। इस रेट की वजह से ३० लाख रुपये का एस्टिमेटशन किया है।जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, जो टैक्सेशन की रेट है, उसे आप हेवेली इम्पोज़ करें तो चाहे टैक्स को जस्टीफाइड करने की कोशिश करें, चाहे वह जस्टीफाइड हो, फिर भी रिजेन्टमेंट होगा। इस रिजेन्टमेंट को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमको इसकी लोअर रेट पर रखना चाहिए और ग्रेजूअली एनूअली कहा जाय कि जनता में इसके लिए ग्राउन्ड प्रिपेअर हों, इसको जनता एक कन्ट्रीब्यूशन समझे टुवार्ड प्लानिंग, टुवार्डस स्टेट बेनीफिट बनिस्पत इसके जो फीलिंग जनता में अभी हो गई है कि यह कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं, यह तो एक्स्ट्रेक्शन है, ज़बरदस्ती प्रेस किया जा रहा है कि टैक्स दो। इस तरह का एटीट्यूड पिपुल का होगा, उसको चेंज करने के लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी रेट्स को रिवाइज किया जाय और लोअर रेट्स पर रखा जाय, जिसे कि आदमी बर्दाश्त कर सकें और कन्ट्रीब्यूट करने वाले

(श्री श्रीभानसिंह)

आदमी हैं वे हेबिच्युएट हो जायं। एकदम इनिशियली लगा तो इसका रोड डवेलपमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और रोड डवेलपमेंट चैक हो जायगा। जो रोड डवेलपमेंट हुआ है वह who lays the golden egg, इसको हम खत्म कर रहे हैं, बनिस्बत धीरे धीरे एक्स्प्लोइट करने के, एट दी वन स्ट्रोक, इसको खत्म करने जा रहे हैं। एक दम से स्ट्रक्चर डवेलप नहीं होता, धीरे धीरे पीपुल कन्ट्रीब्यूट करें तो डवेलप हो सकता है। इसलिये मैंने यह सुझाव दिये हैं कि रोड डवेलपमेंट के लिये रेट्स कम करने चाहिये। यह तो साफ सीधी बात है कि रेल्वे की इनएफीशियेन्सी है उसको हम इससे पूरा करने जा रहे हैं, होना तो यह चाहिये था कि रेल्वे में जो इनएफिशियेन्सी है उसको दूर किया जाय पर हम इस तरह उसको पूरा करने जा रहे हैं और माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है उनको मैं दोहराना नहीं चाहता पर किसी तरह कॉमन मेन के बर्डन को रिड्यूस कर सकें तो उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिये हमें सोचना चाहिये और उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिये हमें कदम उठाने चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास: (बीकानेर सीटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने अपने बजट में जो ५८ लाख रुपया नये टैक्स के रूप में वसूल करने का निर्णय किया और आम जनता में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या नहीं हुई, यह सरकार को मालूम है या नहीं, पर यह पैसेन्जर टैक्स और लोडटैक्स का सवाल है। मैंने कई क्षेत्रों में जाकर लोगों के जनमत को जानने की कोशिश की, इसका आम जनता पर क्या असर हुआ, तो मुझे यह मालूम हुआ कि जनमत इसके बिल्कुल खिलाफ है बल्कि साधारण लोगों को तो इस बात पर आश्चर्य हुआ कि यात्रियों पर इस तरह का टैक्स लगाया जा रहा है। यह सही है या गलत है, इसको अगर सरकार जानना चाहे तो कोई कमेटी बना कर या और दूसरे तरीकों से मालूम कर सकती है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है इसके जनमत बिलकुल खिलाफ है।

आज अगर यह देखा जाय कि आज राजस्थान में यातायात के कितने साधन हैं, यात्रा के लिये क्या व्यवस्था है। राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है, रेल गाड़ियां कितने क्षेत्रों में पहुंची हैं कितने क्षेत्रों में नहीं पहुंची हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर बुनियादी दृष्टिकोण से सोचा जाय तो यात्री कर, बसेज़ कर, लोड कर लगाना कतई अनुचित है। दूसरे क्षेत्रों में एक वर्ग मील में कितने यातायात साधन हैं, कितनी रेलें हैं, उनको देखा जाय तो राजस्थान दूसरे सब क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ है। जबकि दूसरे क्षेत्रों में दूसरे प्रान्तों में कम से कम ६३ प्रतिशत एरिया इस प्रकार का है कि वहां एक वर्ग में यातायात के साधन हैं उनके मुकाबले हमारे यहां ७ या ८ प्रतिशत एरिया ऐसा हैं जहां एक वर्ग मील में यातायात के साधन हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। रेल्वे के साधन हिन्दुस्तान के हर क्षेत्र से राजस्थान में कम हैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऐसी हालत में जब कि दूसरे प्रान्तों में से केवल एक दो प्रान्तों ने ही इस प्रकार का टैक्स लगाया है, उस सूरत में राजस्थान में इस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, यह मैं बिल्कुल अनुचित समझता हूं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या राय है, टैक्सेशन कमेटी की क्या राय है, यह सब आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। आप जो ५८ लाख में से ३० लाख रुपया आम जनता से इस टैक्स के रूप में वसूल करना चाहते हैं, उसके लिए निवेदन करूंगा कि या तो राजस्थान सरकार ने इस बात का हिसाब नहीं लगाया कि राजस्थान में कितनी बसेज़ चलती हैं, औसतन एक गाड़ी का रोज़ाना का कितना माइलेज है, कितने यात्री बसेज़ में बैठते हैं, औसतन एक बस की रोजना की कितनी आमदनी है, इन सब चीज़ों का यदि सरकार हिसाब लगाती है तो यह सवाल इसमें नहीं आता। मैंने जहां तक इसका हिसाब लगाया है तो मुझे आश्चर्य होता है कि राजस्थान सरकार ने किस प्रकार इसमें टैक्स लगाया है इसमें राजस्थान सरकार की क्या पोलिसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी टैक्स लगाते हैं तो एक दो पर्सेंट से ज़्यादा नहीं लगा सकते, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए १६ पर्सेंट टैक्स लगाना बहुत ही अनुचित है। १६ पर्सेंट का यह टैक्स बहुत बड़ा टैक्स है, डेमोक्रेसी में यह नहीं चल सकता कि मन माने ढंग से आप सोच लें और इतना भारी टैक्स लगा दें। यह जनतान्त्रिक तरीका नहीं है। यह दूसरे प्रान्तों में नहीं है। आप जनतन्त्र में विश्वास करते हैं तो जनतन्त्र में यह माना जाता है कि कोई भी टैक्स लगाते हैं तो पहले घोषणा करनी पड़ती है, अपने घोषणापत्र में, विचारों में यह कहते हैं कि हम यह टैक्स लगाना चाहते हैं। अगर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषणा की हो, आम जनता में, कि हम इस प्रकार के टैक्स लगायेंगे। पर ऐसी किसी चीज़ का उल्लेख नही है, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, फिर आप इस तरह का कर लगा देते हैं, तो राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता, जिसके आप नुमायन्दे बन कर आये हैं और आपने अपने बहुमत के आधार पर अपनी सरकार बनाई है, वहां आप उस डेढ़ करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। आज विधान सभा में सोचते हैं और योजना आती है, ३० लाख के टैक्स लगाये जाते हैं और कहा जाता है कि हम इस तरह का टैक्स लगा कर ३० लाख रुपया लेंगे। पर हिसाब लगाकर देखा जाय तो जो यह ३० लाख का टैक्स लगाया गया है, वह ३० लाख का है ही नहीं, यदि ठीक तरह से वसूल होता है तो करीब ३ करोड़ के आस पास यह टैक्स पहुंचेगा। आप कहेंगे कि इतना बड़ा फरक कैसे ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज राजस्थान में कितनी बसेज़ और ट्रक्स चलती हैं और औसतन कितने माइल एक गाड़ी प्रतिदिन चलती है। एक गाड़ी औसतन ३५ मील प्रतिदिन चलती है और ६००० बसेज़ हैं, उन पर कम से कम औसत से माना जाय कि ८ नये पैसे टार की सड़क पर पर-माइल लेते हैं, ग्रेवल्ड रोड पर ११ नये पैसे लेते हैं और दूसरी जो सड़कें होती हैं उन पर, १४ नये पैसे लेते हैं तो १० नये पैसे की औसत, पर माइल की मान लें और ३५ मील एक गाड़ी औसतन प्रतिदिन चले तो ३५० नये पैसे होते हैं। १६ प्रतिशत के हिसाब से पेंसेन्जर्स

(श्री मुरलीधरव्यास)

पर टैक्स लगाते हैं तो कितना होता है, इसका हिसाब लगाइये।
इस तरह से ८ आना एक पैसेन्जर का होता है। इस प्रकार से ८ आना नहीं मान कर औसतन उसको चार आना भी मान लूं तो ६ हजार गाड़ियां हैं जिनमें किसी में ४५ सीटें हैं, किसी में ५० हैं और किसी में ३५ हैं उनको औसतन ४० मान लूं तो उसका हिसाब लगाने से मालूम होगा कि ६ हजार को ४० से गुणा करके देखें तो चार आने के हिसाब से ६ हजार का, ६ हजार की जगह ४ हजार ही मान लेते हैं, चार आने के हिसाब से लगाते हैं तो भी जो चार हज़ार गाड़ियां चलती हैं उसका एक दिन का ४० हज़ार रुपया होता है और इसी हिसाब से एक महीने का १२ लाख रुपया होता है। और १२ लाख से पूरे साल का हिसाब लगावें तो वह करीब १।। करोड़ के आसपास आता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपने पैसेन्ज़र बसेज़ कितनी लगाई हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ६ हज़ार।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह गलत है। बसेज़ ३,२०० हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ३,२०० मान लेते हैं। मैंने चार हज़ार का हिसाब लगाया है, तीन हज़ार मान लेते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वर्षा में बन्द हो जाती हैं।

श्री मुरलीर व्यास : राजस्थान में कितनी वर्षा होती है, और कहां कहां बन्द होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो आरंभ रखिए। कुछ कम करते जाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने १।। करोड़ रुपया कहा, एक करोड़ मानते हैं। इसके अलावा लोडिंग पर भी आय होगी। लोडिंग पर भी जो माल राजस्थान से बाहर जायेगा और आवेगा उस पर भी वसूल करेंगी। इस तरह से यह आय दो तीन करोड़ के आस पास पहुँचेगी। आप ३० लाख की बात करते हैं और तीन करोड़ कर वसूल करेंगे। मैं आप को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो आप ३० लाख की बात करते हैं उससे ज्यादा आय होगी। कोई गबन कर जावे तो अलग बात है मगर फिर भी जहां आप ३० लाख की बात करते हैं वहां पर तीन करोड़ की वसूली होगी। जिस समय इस प्रकार के प्रश्न को विधान सभा में विचार करें और आंकड़े और फिगर्स हमारे पास न हो तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ बड़ा भारी धोखा होगा। इसके अलावा आप यह टैक्स किस से वसूल करेंगे। मैंने आप जो १४ नये पैसे गांव वालों से लेते हैं, उसको १४ नये पैसे नहीं लगाये हैं। मैंने १० नये पैसे के हिसाब लगा कर यह बात कही है। इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि यह टैक्स कौन सी जनता पर लगेगा और गांवों में एक करोड़ की आबादी में १० प्रतिशत या १५ प्रतिशत लोग ट्रेवलिंग करते हैं, उन एक एक आदमी पर सालाना २०)२०) रुपयों का बोझा बढ़ जावेगा। तो, वाकई में जो सरकार आज अपने आप को किसान और मज़दूरों की

(श्री मुरलीधर व्यास)

और गरीबों की सरकार कहना चाहती है, नहीं है और वह टैक्सों की नीति इस प्रकार की अपनाती है कि उन्हीं गरीबों पर बोझा पड़े। तो मैं कह सकता हूँ कि यह बुरी बात है। अगर सरकार आंकड़ों के आधार पर बतादे कि कितनी जनता इस पर आती है तो इस आधार पर हम मानलें कि कितनी प्रजा पर इसका असर पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि कोई टैक्स लगाने से पहले आंकड़े होते हैं कि कितने मील गाड़ियां चलती हैं और उसके बाद टैक्स की बात सोची जाती है। आप यह मानलें कि ज्यादा आ जावे तो अच्छा ही हैं मगर मैं यह कहूंगा कि आवेगा कौन लोगों से। यह उन्ही गरीबों से आवेगा जिनके पास साधन नहीं हैं। राजस्थान में ऐसे स्थान हैं कि जहां पर रेलवे नहीं है और वे गरीब लोग हैं जिनको मौके पर यात्रा करना अनिवार्य हो जाता है। यह तो वही बात हुई कि यदि किसी आदमी को पानी की आवश्यकता हो और आप जानते हैं कि वह पानी के बिना जी नहीं सकता, फिर भी आप कहें कि टैक्स पानी पर लगना है, लगावेंगे यह ज़बरदस्ती का बोझा होता है। जिस समय टैक्स लगाया जाता है उस समय बहुत सोचना पड़ता है कि कहीं हम जिन्दगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते। आज टौंक, देवली, बूंदी, उदयपुर और बीकानेर आदि के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर याता-यात के कोई साधन नहीं हैं और वहां पर लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप मेहनत करके और पैसे खर्च करने रास्ते तैयार किये हैं। जगह जगह कुछ काम करके सड़कें तैयार की हैं और बसें चलाई और अब उस पर आप कहते हैं कि हम टैक्स लेंगे। आपने उनको कोई सुविधा नहीं दी, कोई साधन नही दिये और आपने वहां पर कोई पैसा नहीं लगाया और अब आप उन पर टैक्स लगाते हैं और स्थानों पर आप इस प्रकार का टैक्स लगाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह कोई डेमो-क्रेसी का तरीका नहीं है। मैं यही कहूंगा कि यह तानाशाही का तरीका होगा। आप उन लोगों पर टैक्स लगावेंगे जिसके पास कुछ नहीं है। आखिर आपको उनको साधन भी तो देने चाहिये। आप रेलवे की बात करेंगे। रेलवे ने किस प्रकार से व्यवस्था की है। रेलवे ने इस प्रकार का कटैस निकाला। एक लम्बे रूट पर आदमी जाता है जैसे बीकानेर से आप जावे। उसको बीकानेर से भाप जाने में ६ रूपये लगते हैं अगर उस पर १६ नये पैसे लगते हैं तो उस हिसाब से उस पर एक रूपया बढ़ जावेगा। मगर रेलवे ने जो टैक्स लगाया है वह लम्बे रूट पर इस प्रकार का पर्सेन्टेज़ नहीं था। मैं गवर्नमेंट से निवे-दन करना चाहता हूँ कि आखिर इन टैक्स का मतलब भी होना चाहिये। अगर आपका मतलब टैक्स लगा कर ३० लाख रुपये वसूल करने का ही है तो वह तो २ प्रतिशत टैक्स लगाने से ही पूरा हो सकता है। इसके अलावा ट्रक पर ही लगाने से रुपया वसूल हो सकता है और फिर पैसेन्जर पर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। परन्तु यह सारी बातें सफाई के साथ नहीं कह कर इस प्रकार से कही जाती है कि साधारण आदमी गुमराह हो जाता है। तो यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। राजनीति में हर आदमी को सफाई के साथ कहना, यह राज-नीति होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि किसी प्रकार से ज्यादा आ जावे तो अच्छा होगा। मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग

(श्री मुरलीधर व्यास)

डेप्युटेशन लेकर सरकार के पास गये और कहा कि हम आश्वाशन देते हैं कि यह जो ३० लाख की रकम ....

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will confine about the subject itself. What is happening outside the House should not be referred here.

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरों के पास नहीं सही मैं यह कहुँगा कि मेरे पास आये और उस सुझाव को मैं सदन के सामने रखना चाहता हुँ कि जब इस प्रकार के सुझाव हैं कि अगर आप एक गाड़ी पर पर एक रुपये के हिसाब से ले लेते हैं और इससे आपका ३० लाख रुपया वसूल हो जाता है तो फिर आप इस प्रकार से अलग अलग आदमी रख कर उनके द्वारा यह व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। इससे करप्शन को ज्यादा मौका मिलेगा और आपको, आदमियों का जो खर्चा होगा वह भी बचेगा और विकास के साधन भी रुकगे। अगर आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं जितने आप वसूल करना चाहते हैं तो आप उसको क्यों नहीं मानते हैं आपको जो स्टाफ पर खर्चा करना पड़ता होगा उसकी भी बचत होगी उसका भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो, ऐसी चीज़ों पर सरकार को विचार करना चाहिये या आपको यह कहना चाहिये कि इससे ज्यादा आमदनी होगी। एक करोड़ रुपया आवेगा, तो आपको एक करोड़ रुपयों की बात करनी चाहिये। जब आपको ३० लाख रुपये देने के लिये तैयार होते हैं और दूसरा रास्ता नहीं होता है तो आखिर ऐसे सुझाव भी जनतन्त्र में स्वीकार करने पड़ते हैं, नहीं तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी नहीं रहगी और मनमाने ढंग से विचार करेंगे।

तो, मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ कि टैक्सेशन आप लगावेंगे वह ज्यादा होगा और इसके साथ दो सुझाव हैं उनको मान लेंगे तो उससे इतने पैसे आपके पास आ जावेंगे और तीसरा यह कि दूसरे प्रान्तों से मुकाबला करने का प्रश्न है। आप फेक्ट सामने रखिये कि दूसरे प्रान्तों में कितने यातायात के साधन हैं तो आपको मालूम होगा कि रेलवे आदि यातायात के मामलों में वाकई में हम पिछड़े हुए हैं। ऐसी हालत में कोई अनिवार्य टैक्स नहीं लगावें। अगर आप नये टैक्स नहीं लगा कर पुराने टैक्स पर ही चलावें तो पब्लिक को फायदा होगा। सरकार को फायदा होगा। यह सब कुछ होते हुए भी अगर हम लगाते हैं तो आखिर यह मान लिया जावे कि सरकार की यही मंशा है कि उनकी मंशा जो टार्गेट है उससे ज्यादा वसूल करना है। तो उसको साफ कहियेगा। अगर ऐसा नहीं है, ३० लाख रुपया ही आपको वसूल करना है वह १६ पर्सेन्ट के हिसाब से किस प्रकार केलकुलेट करेंगे, वह समझा दीजिये। यदि नहीं समझा सकते तो दूसरे जो सुझाव हैं उनको स्वीकार करना चाहिये और राजस्थान की वस्तुस्थिति को मद्दे नज़र रखना चाहिये। यदि राजस्थान की तुलना दूसरे प्रान्तों से तो करते हैं लेकिन हमारे साधनों को यदि नहीं देखते हैं तो इससे यातायात को नुकसान होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इसका आम जनता पर, खास तौर पर गरीब तबका है उस पर असर पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से विचार रखता हूं और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में राजस्थान पैसेन्जर्स एन्ड गुड्स टैक्सेशन बिल १९५९ पर वाद विवाद चल रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई दृष्टिकोणों से इसका विरोध किया है। श्रीमान् इसके सम्बन्ध में मुझे भी अपने विचार रखने हैं। जब सरकार किसी भी कर लगाने के प्रश्न को सदन के समक्ष रखती है तो सदन कभी भी कर लगाने की नीति का विरोध ही करता चलता है। परन्तु हमें यह मानना होगा कि जब हमें अपने देश का विकास करना है और राजस्थान को भी सारे देश के साथ ले जाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि विकास कार्यों के लिए समय समय पर कर लगाना होगा और वसूल करना होगा। जब कर लगाने की नीति को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो कर लगाना है और हर तबके के ऊपर, समाज के हर वर्ग के ऊपर उसको लगाना है। परन्तु प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या समाज की वह स्थिति हो गई है. क्या समाज उस अवस्था में पहुंच चुका है कि जो कर लगाने जा रहे हैं तो समाज के हर वर्ग की क्या स्थिति है, कर की जो नीति अपनाई जा रही है उससे उस वर्ग पर जो कि देश का सबसे निम्न वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो गांवों और शहरों में रहता है, जो मोटरों में सफर करने वाले हैं उन पर इसका क्या असर होने वाला है ? जो मध्यम श्रेणी का वर्ग है, उससे निम्न श्रेणी का वर्ग है और उससे भी जो निम्न श्रेणी का वर्ग है जो गांवों में रहने वाले हैं उन पर इस प्रकार की टैक्सेशन की नीति का क्या असर पड़ने वाला है ? आज हम यह स्थिति देखते हैं कि शहरों में मोटर बसेज़ को रेलवे के साथ कम्पीटिशन करना पड़ता है और उनको छः पाई से अधिक नहीं देना पड़ता। जयपुर से अजमेर के रूट को ले लीजिये, अजमेर से ब्यावर, जयपुर से अलवर के रूट को भी ले लीजिये, इन पर टैक्सेशन को देखेंगे तो आपको मालूम होगा, बावजूद इसके कि सरकार ने ज्यादा से ज्यादा किराये की रकम रख रखी है। क्योंकि रेलवे के साथ उनको कम्पीटिशन करना पड़ता है, ६.७ पाई से अधिक पैसा नहीं लेते। इसलिए जो शहर में रहने वाला तबका है, मोटर बसेज़ से सफर करने वाले हैं, उनको पांच छः पाई से फलाइयेगा। आपने बिल में यह रखा हैं कि ज्यादा से ज्यादा किराया लिया जायगा उसका छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जावेगा। शहरों में लोगों की इन्कम को देखना पड़ेगा। लेकिन जो गांवों में रहने वाला तबका है, जहां फेयर वेदर रोड्स हैं, शहरों में तो आमोद प्रमोदे की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं लेकिन गांवों में रहने वाला जो तबका है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, गांवों में आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आज भी मोटर में नहीं बैठे हैं, रेलगाड़ी में नहीं बैठे हैं, परन्तु नितान्त अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ऐसे लोग बैठेंगे, उनके लिए जो मेक्सिमम फेयर की रेट मुकर्रर की है वह १२ पाई १४ पाई है, उन लोगों को छुटा हिस्सा उसका टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जहां शहर वालों को छठा हिस्सा ६ पाई ७ पाई की रेट के हिसाब से देना पड़ेगा वहां गांव वालों को १४ पाई की रेट के हिसाब से छठा हिस्सा देना पड़ेगा। तो टैक्से पे करने के दृष्टिकोण से हम विचार करें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस नीति से गांवों में जो लोग रहते हैं उनको अधिक देना पड़ेगा। क्योंकि

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

वहां मोटरों को रेलवे से कम्पीट नहीं करना पड़ता। अगर विकास कार्यों के लिए टैक्स लगाना चाहते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि समाज के उस तबके की आज यह स्थिति पहुंच गई है ! हम देश में समाजवादी समाज की व्यवस्था, उसकी रचना करना चाहते हैं, क्या वह तबका हट गया है ? क्या गरीब अमीर का सवाल हमारे समाज में हट गया है ! यदि वह हट गया है तो देश के विकास के कार्यों में सब ही तबके के लोगों को समान रूप से टैक्स पे करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देश के प्रत्येक नागरिक को कर के रूप में देना चाहिये। परन्तु हम स्वीकार करते हैं कि हमारे सामने जो आधार है, कल्पना का लक्ष्य है जिसको स्थापित किया है, और यह मानना पड़ेगा कि वह तबका उसी प्रकार से विद्यमान है बावजूद इसके कि सरकार प्रयत्नशील है कि गरीब तबके को उठाया जाय। लेकिन उस गरीब तबके की यह टैक्स कमर तोड़ने में साधन होगा। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो रास्ता आप अपनाना चाहते हैं, आज देश की सरकारें और कांग्रेस सरकारें कटिबद्ध हैं कि हमें समाजवादी समाज की रचना करना, स्थापना करना है, वह हमारे लिए सोपान है, आदर्श को प्राप्त करना है, जिस तबके को हम उठाना चाहते हैं उसी पर इसका इस कदर भार डालते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस तबके पर इसको न लगा कर बस ऑपरेटर्स पर इसको लगा दीजिये। आज बस ऑपरेटर्स को ज्यादा मुनाफा मिलता है। अजमेर राज्य में बसों की जो दरें थी उनसे आज राजस्थान में बसों के किराये की दरें ज्यादा है। इन्क्वायरी कमीशन ने भी इसको स्वीकार किया है कि राजस्थान ने अधिक से अधिक दरें स्वीकार कर रखी हैं, वे ज़्यादा हैं, दूसरी रियासतों के मुकाबले में भी ज्यादा हैं और इसीलिए बस ऑपरेटर्स को यहां अधिक मुनाफा मिलता है। आप तीस लाख रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा कि ४० लाख इकट्ठा कीजिये लेकिन बस ऑपरेटर्स से कीजिये। आंकड़े लें, दिक्कत हो सकती है कि कहीं गलती न हो जाय। श्रीमान् यह चीज़ आज हमको बिल्कुल साफ नज़र आती है कि बसेज़ में कुल कितनी सीट्स हैं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने बीच में इन्टरवीन करते हुए यह बताया था कि राजस्थान में ३२०० बसेज हैं। यदि हम उनकी सीट्स की गिनती को देखने जांय तो यह हम जानते हैं कि उसका एवरेज लें तो कम से कम ३० सीट्स होंगी, कहीं ५०-६० भी हो सकती हैं और कहीं ३०, २५ भी हो सकती हैं, तो ३२०० बसेज में कुल मिला कर एक लाख सीट्स की कैपेसिटी होगी। अब एक सीट पर ३०) रुपया प्रति वर्ष का लगा दीजिये तो आपको ३० लाख रुपया मिल जावेगा। जिस दृष्टिकोण को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपकी वर्तमान नीति से तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कारण यह होगा कि आपको कन्डक्टर हरएक गाड़ी के लिए रखना पड़ेगा और उसी पर विश्वास करना होगा। उसके कारण आपके सामने प्रशासनिक डिफिकल्टी भी आयगी। इसमें कहीं ज्यादा आपका खर्चा होने वाला है इसके अन्दर इतना ज्यादा लीकेज़ होगा जो आप अन्दाज़ा नहीं लगा सकते। आज आप देखिये रेलवे के अन्दर इतने टिकिट एग्जामिनर्स के होते हुए भी वहां पर ठीक प्रकार से चेकिंग नहीं हो पाता, आज भी वहां लीकेज़ होता

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

है। अगर आप कन्डक्टर के भरोसे पर छोड़ते हैं तो जो रोड़ बुकिंग होगा, एक यात्री रास्ते में मिल जाता हैं और वह कहता है मुझे दो मील या दस मील जाना है वह उससे तो पैसा वसूल कर लेगा लेकिन वह उसको अपने पास रख सकता है। आपका इन्स्पेक्टर सडन्ली पहुँच गया तो ठीक है या उसका भी हिस्सा रख दिया जायगा। सिनेमा वगैरह के टिकिट पर जो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के नाम से जो टैक्स लेते हैं वह तो एक प्रकार से फिक्स्ड होता है उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन बसेज़ में क्या होगा कि यात्री जो मील भर चलेगा वह भी बैठेगा दस मील जाने वाला भी बैठेगा उससे तो कन्डक्टर वसूल कर लेगा चाहे वह उसको उसका टिकिट दे या न दे, इन्स्पेक्टर पहुँच गया तो उसने टिकिट लगा दिया नहीं तो नहीं। जैसा कि आज हम देखते हैं उसके अन्दर भी इन्स्पेक्टर का हिस्सा रह सकता है। इससे आखिर सरकार को लॉस होगा और दूसरी तरफ करप्शन को बढावा मिलेगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे। मैं यह नहीं कहता कि आप टैक्स न लगायें, टैक्स जरूर लगायें। आपको जो तीस लाख रुपया वसूल करना है वह ऑपरेटर्स से वसूल कीजिये। आपको मेरा यह सुझाव है कि आप कन्डक्टर पर इतना भरोसा न कीजियेगा। आपको इसके लिए एक एक बस पर इन्स्पेक्टर मुकर्रर करना होगा इस पर भी मुझे शक है कि आजकल जो देश का वातावरण है और नैतिक स्तर है उससे यह अन्दाज लग सकता है कि जितना पैसा हम वसूल करना चाहेंगे, वह नहीं हो सकेगा। सीटिंग केपेसिटी के ऊपर अगर हम लगा देते हैं तो मेरा विश्वास है कि जितना पैसा राज्य सरकार वसूल करना चाहती है उससे भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। यदि यह भी राज्य सरकार न करना चाहे तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जैसा कि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने अपने बजट के भाषण के सिलसिले में कहा था जब कि रेलवे और मोटर ट्रान्सपोर्ट में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, उसको समाप्त कर दिया जायगा और बसेज़ का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। आपने जिस प्रकार इन्टरमिडियरीज़ को खत्म किया है, उनको बॉन्ड्स के रूप में कम्पेन्सेशन देकर, यह इसलिये कि आपके पास इतना पैसा नहीं था इस संबंध में मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इनको भी बॉन्डस दे दिये जाय। इनकी क्षति पूर्ति का पैसा दे दिया जाय अगर आप इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तो आपको आज जो आमदनी हो रही है उससे भी कहीं अधिक आमदनी होने लगेगी जब कि सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि रोड़ ट्रान्सपोर्ट का नेशनेलाइजेशन होगा तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यह सुअवसर है। हम चाहते हैं कि जितने भी समाज में उद्योग धन्धे चल रहे हैं, सबका राष्ट्रीयकरण हो जाय और सारे धन्धों को राज्य सरकार अपने हाथ में ले और अपने दृष्टिकोण से सोचे।

आपको पता होगा कि जब इन्श्योरेन्स के बिज़ीनेस का राष्ट्रीय करण करने का भारत सरकार ने सोचा तो हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी बीमा कम्पनीज़ थी, उनके शेयर होल्डर्स थे, किसी को इस बात का पता नहीं लग सका कि हमारी कम्पनियों का राष्ट्रीय करण हो जायगा। जिन ऑफिसरों को उनका चार्ज लेने के लिये भेजा, उनको जो लिफाफा

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा

दिया गया उससे उनको भी पता नहीं था कि इसमें उनके लिए क्या ऑर्डर्स हैं उनको वे लिफाफा लेकर कमिश्नर के पास जाने का आदेश दिया गया। जब कमिश्नर ने उस लिफाफे को खोला और उसमें इस प्रकार के ऑर्डर्स देखे तो वे भौचक्के रह गये कि फलां फलां कम्पनियों का चार्ज संभाल लें। इसी तरह से मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जितनी सिटिंग कैपसिटी हो अगर आप उस पर भी टैक्स लगाना नहीं चाहते तो बसेज़ के जितने भी रूट्स है उनको नेशनेलाइज़ कर दीजिये। सारे रूट्स को अगर नेशनेलाइज़ कर दिया जाता है तो जितनी आमदनी का अन्दाज सरकार लगाती है उससे कहीं अधिक आमदनी होगी। अगले दो वर्षों के लिए इससे संगठन को भी बल मिलेगा। जहां हमारा लक्ष्य है समाजवादी समाज रचना की जब कि हमें सारे उद्योग धन्धों का समाजीकरण करना है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा यह कदम हमारे उस रास्ते को प्रशस्त करेगा।

एक माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि सरकार के सामने ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिससे हम यह अन्दाज लगा सकें कि इतना खर्च करने के बावजूद हमारे यहां प्रति व्यक्ति की इतनी आमदनी बढी है। मैं उनकी जानकारी के लिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान के जो भारत सरकार द्वारा आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसारप्रथम पंच वर्षीय योजना के काल में १५ प्रतिशत व्यक्तिगत इनकम बढाना चाहते थे, वहां १६ से २५ प्रतिशत तक आमदनी बढी है। हो सकता है, ये आंकड़े राजस्थान सरकार के पास नहीं हों, लेकिन जब कि सारे देश में विकास कार्य चल रहे हैं, वहां हर राज्य सरकार के पास इस प्रकार के आंकड़े होने चाहिये कि प्रति व्यक्ति की कितनी आमदनी बढ रही है।

इसके अतिरिक्त एक माननीय सदस्य ने एक अप्रासंगिक बात भी कह डाली थी। उन्होंने कहा था अजमेर राज्य के लिये जो २५ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं वह वहां पर न दिया जाय, हालांकि यह वाद विवाद अप्रसांगिक था फिर भी मैं आपके द्वारा सदन की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि अजमेर के लिए जो आठ करोड़ रुपया है वह भारत सरकार द्वारा मिला हुआ है और अजमेर सरकार के साधनों को देखते हुए दिया था उसी के अन्दर से यह खर्च हो रहा है। इसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ, किसने किया, इसके इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस पर काफी प्रकाश डाला दिया है जिसको हाउस सद्भावना के साथ समझ चुका है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा इसकी विगत में न जाता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान के बजट में से नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जो अजमेर राज्य के लिए आठ करोड़ रुपया स्वीकार हुआ था उसी हिस्से की बचत में हो रहा है।

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

अगर सरकार यही चाहती है कि किसी प्रकार भी टैक्स लगाया जाय तो मेरा निवेदन है कि या तो सिटिंग केपेसिटी पर लगा दे या रूट्स का राष्ट्रीयकरण कर दे। अगर ये दोनों सुझाव मान्य होते हैं तो सरकार के हित में और कांग्रेस संगठन दोनों के हित में श्रेयकर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य चाहें तो दस मिनिट और हैं एक अन्य माननीय सदस्य को भी बोलने का मौका मिल सकता है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरों को भी अवश्य मिलना चाहिये अन्त में एक बात और कह देना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर कि आपने यह लिखा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि सामान ट्रक द्वारा ले जाया जाता है और जिस रास्ते से वह ट्रक जायगा उसके बीच अगर दूसरी स्टेट आती है तो उस पर भी टैक्स वसूल राज्य सरकार कर सकती है, हालांकि वह हिस्सा राजस्थान का हिस्सा नहीं होगा। इस प्रकार की धारा रखने के लिये पहले विचार करना आवश्यक होगा। इसमें कई कानूनी पेचीदगियां खड़ी हो सकती हैं। यह हिस्सा जो राज्य सरकार के अधीन नहीं उससे यदि गुड्स ट्रैवल करता है तो राज्य सरकार उस पर टैक्स वसूल कर सकती है। इससे कानूनी लिटीगेशन पैदा होंगे, अदालत में जाना होगा। इस प्रकार कदम उठाने से पहले मैं समझता हूँ इस कानून को सिलेक्ट कमेटी में रख देते हैं, इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार हो सकता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्ततया मैं टैक्स लगाये जाने का विरोधी नहीं हूं, बल्कि मैं पक्ष में हूं। जब हमारे सामने कोई प्रोब्लेम आती है तो उसको देखने का हमारा एक दृष्टि बिन्दु होता है। उसको कई पहलुओं से टैकल करते हैं, फिर देखते हैं किसी एक विशेष दृष्टिबिन्दु से अभी हमारे सामने दृष्टिकोण है कि हम अपनी प्लान को सफल बनावें यह हमारा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य प्राप्ति के लिये यह जरूरी है कि हम सारे रिसोर्सेज़ मोबिलाइज़ करें। हमारे देश में सरप्लस रिसोर्सेज़ हैं। चाहे वे अर्बन एरिया में हों, या रूरल एरिया में उन सबको हम मोबिलाइज़ करना चाहते हैं। पर मोबिलाइज़ेशन का ढंग हमारा ऐसा होना चाहिये कि जिससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो, उसके अन्दर बाधा कतई नहीं हो। प्लान की पूर्ति में सहायक हो न कि नुकसान दायक हो।

आज यह जो पैसेन्जर और फ्रेट पर हमने टैक्स लगाया है वह हमारे लक्ष्य की पूर्ति में कहां तक मददगार होता है, इसको हमें सबसे पहले देखना है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश के या किसी राष्ट्र के विकास के लिये सबसे ज्यादा जरूरी है यानि उसकी इकोनोमिक डवेलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसकी मोबिलिटी यानि इन्टरनल कम्युनिकेशन्स की जरूरतें सबसे ज़्यादा विकसित हों, जहां तक आपका ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन वेल डवेलप्ड नहीं होगा वहां तक आपके दूसरे विकास के काम अच्छे ढंग से नहीं चल सकते। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में जो रेलवे ट्रान्सपोर्ट है वह सबसे रिकेटी है,

(श्री पी० के० चौधरी)

सबसे कम है और राजस्थान का एरिया ऐसा है जहां हम रेलवे का एक्सपेंशन भी आसानी से नहीं कर सकते जैसे दूसरे प्रान्त हैं बम्बई है, सौराष्ट्र है, वे थिक्ली पोपुलेटेड एरियाज़ हैं वहां रेलवे का एक्सपेन्शन की गुंजाइश रहती है पर राजस्थान थिनली पोपुलेटेड एरिया है और यहां उतनी रेलवे के डवेलपमेंट की गुंजाइश नहीं है। यहां रोड के डवेलपमेंट की गुंजाइश ही काफी रहती है। अब इस टैक्स के विरोध का कारण भी इसी पृष्टभूमि में मेरा है और वह कारण यह है कि यह जो टैक्स है इसको सिर्फ रिसोर्स मोबिलाइज़ करने के लिये नहीं लगाया गया है, इसके पीछे और ही कोई मकसद है। चाहे वित्तमन्त्री महोदय, इससे इन्कार करते रहें चाहे जगजीवन बाबू इन्कार करते रहें पर इसका मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन का नहीं है, इसके पीछे रेलवे को प्रोटेक्शन देने का ही मकसद है। अब आप कहेंगे कि इसका सुबूत क्या है। जब प्रूफ की बात करेंगे तो सर्कम्सटेंन्शियल एविडेन्स हमारे पास हैं और जैसे कहावत है कि मरडरर कुछ न कुछ बूल अपने पीछे छोड़कर जाता है। उसके सारे बूल के छिपाने के प्रयत्न के बावजूद भी जिन्होंने डिटेक्टिव नॉविल्स पढ़े हैं, वे जानते हैं कि बूल पीछे रह ही जाते हैं। तो यह जो टैक्स है उसमें भी ऐसे कुछ बूल मिलते हैं जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि यह सिर्फ रेलवे के प्रोटेक्शन के लिये किया जा रहा है और इससे राजस्थान का रोड ट्रान्सपोर्ट जो अपनी शैशवावस्था में है, जिसको और भी डवेलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है, उसको प्रोत्साहन देना तो दर किनार रहा, उसमें इस तरह से बाधाएं उपस्थित की जा रही हैं।

अब यह जो टैक्स ५८ लाख के घाटे की पूर्ति के लिये रखा गया है वह तीन-चार आइटमों पर बांटा जाना चाहिये था बराबर बराबर। पर यह न करके फिफ्टी पर्सेन्ट अकेले इसी आइटम पर रखा है। तो इससे भी ज़ाहिर है कि सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। साइकोलोजिक्ली भी इसका बहुत बुरा असर पब्लिक पर पड़ेगा। अगर इसको आप सब आइटमों पर बराबर डिस्ट्रिब्यूट करके भी लगाते तो जनता की तरफ से कोई अधिक विरोध नहीं होता। मैं नहीं मानता कि टैक्स लगाने वाले जनता की साइकोलोजी को स्टडी नहीं करते या इस प्रकार के जनता के विरोध को एन्टीसिपेट नहीं किया। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसका अपोज़ीशन होगा। पर इस एक ही आइटम पर सारे टैक्स अधिक भार को कन्सेन्ट्रेट जो किया है वह इसी बात का द्योतक है कि उनका टार्गेट तो रोड के डवेलहमेन्ट को हेम्पर करना ही था। इसका दूसरा सुबूत सेन्ट्रल टैक्सेशन से भी मिलता है। इस साल रिफाइन्ड डीज़ल आईल पर चार्ज ४० नये पैसे से ८० नये पैसे कर दिया पर गैलन पर। यह शत प्रतिशत बढ़ा दिया। इसी तरह जो एक्साइज़ ड्यूटी लो स्पीड डीज़ल आइल पर ४०) पर टन थी वह ५० रुपया पर टन कर दी। इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, जो मोटर टायर हैं उसकी एड वेलोरम ड्यूटी ३० पर्सेन्ट थी इसको बढ़ाकर ४० पर्सेन्ट कर दिया है। इसमें एक आइटम रह गया। उसको नहीं लिया क्योंकि उनका टार्गेट तो रोड ट्रान्सपोर्ट ही था। उन्होंने साइकिल टायर पर कोई

(श्री पी० के० चौधरी)

टैक्स नहीं बढ़ाया। अगर उनको रिसोर्स ही टैक्ल करने थे तो मोटर टायर की तरह साइकिल टायर पर भी टैक्स बढ़ाते। पर वह नहीं बढ़ाया क्योंकि उनको साइकिल वालों से कुछ लेना देना नहीं था, उससे उनकी रेलवे को कोई हानि नहीं थी, कोई कम्पीटीशन नहीं था। उनका कम्पीटीशन तो रोड ट्रान्सपोर्ट से था और उसीको उनको धक्का पहुंचाना था। दिस इज़ इन्डीकेशन कि उनको रेलवे को प्रोटेक्शन देना था।

दूसरी बात, आज का रोड ट्रान्सपोर्ट ऑलरेडी हैविली टैक्स्ड है। आज का बजट देखेंगे तो इस साल भी मोटर विहिकल टैक्सेशन से ६० लाख रुपयों की आमदनी का प्रोविजन है। इस तरह अब इससे ३० लाख और ले रहे हैं। आज हो क्या रहा है रेलवे का जो गुड्स ट्रफिक है वह सारा फूडग्रेन, आइल, सीड आदि का अधिक है। पर आज वह सारा का सारा रेलवे से नहीं जाता है। लोग मोटर से लेजाना इसलिये ज़्यादा पसन्द करते हैं कि उससे क्विक मोबिलिटी होती है। दूसरी बात पिल्सरेज़ डोर टू डोर सर्विस होती है। रेलवे में एक एक कन्साइनमेन्ट के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वेगन प्रोक्योर करने के लिए देना पड़ता है। और भी कई बातें हैं जिनकी वजह से कन्ज़ूमर्स प्रिफर करता है रोड ट्रान्सपोर्ट को और भी लोड का देखें तो आज रोड ट्रान्सपोर्ट कम्पिटीशन में रेलवे को पीछे छोड़ता जा रहा है। यह देखा गया है कि रोड ट्रान्सपोर्ट हैज बिकम प्रक्टक्ली एब्सोल्यूट।

तो ये सारी बातें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि यह जो टैक्स बढ़ाया गया है वह सिर्फ रिसोर्स मोबिलाइज़ करने के लिये, नहीं, बल्कि रेलवे को प्रोटेक्शन देने के लिए बढ़ाया गया है।

इसलिए मैं समझता हूं कि रोड ट्रान्सपोर्ट को अभी डवेलप होने देना चाहिये, उसको प्रोत्साहन देना चाहिये, नहीं तो हम जो प्लानिंग को डेवलप करने जा रहे हैं उस पर इसका असर पड़ेगा।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : निश्चयानुसार आपका वक्तव्य ३ बजे तक समाप्त होना चाहिये, It is already 3.

श्री पी० के० चौधरी : Within one minute I am completing it, Sir. दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेन्ट दिया है कि यह जो टैक्स इम्पोज़ कर रहे हैं, वह फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की भी सिफारिश थी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी के पेज नम्बर १८५ को आप देख सकते हैं। उनकी जो सिफारिश थी वह सिर्फ पैसेंजर्स फेयर्स के ऊपर एक्सेज़ टैक्स था और फ्रेट का सिफारिश नहीं थी। फ्रेट के ऊपर एक्सेज़ लिया जा रहा है उसको मैं ज़्यादा डिटरेन्ट मानता हूँ वह इकोनोमिक डवेलपमेन्ट के लिए ज़्यादा घातक है। तो यह जो बिल के आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है कि फाईनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों में भी यही था तो वित्त मन्त्री जी ने वहां पर हाफट्रुथ कहा है Half truth is

(श्री पी० के० चौधरी)

more dangerous than a lie even. तो, मैं उसको पॉइन्ट आउट करता हूँ। फ्रंट को जो उन्होंने इन्क्लूड किया है वह गलत किया है। वह टैक्स फ्रंट के ऊपर नहीं होना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : So you will conclude your speech now. So you have concluded now. You will please resume your seat.

श्री पी० के० चौधरी : We never knew that it was to complete by 3 P. M.

श्री उपाध्यक्ष : It was with the consent of the House, I assure you.

Yes, Hon'ble the Minister.

३.० म० प०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसको लेकर दो प्रस्ताव इस सदन में रखे गये। एक तो इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाये और दूसरा यह कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। मैं समझता हूँ कि दोनों ही प्रस्ताव बेमौजू हैं, इस लिहाज़ से कि हमने जिस बजट को इस सदन में स्वीकार किया उससे यह बात साफ ज़ाहिर हो जाती है कि इस सदन ने इस टैक्स के ज़रिये ३० लाख रुपये तक की आमदनी गवर्नमेन्ट को हो, यह बात हमने स्वीकार कर ली है। उसके बाद में यदि आज हम उसको आगे के लिए टालते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि जो कुछ हमने बजट के द्वारा स्वीकार किया वह एक प्रकार से हम अनडू करते हैं। तो वह बातें तो स्वीकार नहीं की जा सकती। अब इस बहस के दौरान में बहुत सी बातें कहीं गई और यह कहा गया कि यह टैक्स सरकार आम जनता के ऊपर लगाकर उस पर वज़न लाद रही है और इसका असर यह होगा कि ट्रान्सपोर्ट की यह इन्डस्ट्री, जो यहां पर डवेलप हो रही है उसको धक्का पहुंचेगा और पूरी जांच पड़ताल किये बिना सरकार यह टैक्स लगा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह टैक्स राजस्थान के अन्दर, कुछ अन्य राज्यों में इस टैक्स को लगा दिया गया, उसके बाद में यहां पर इसकी शुरुआत की गई है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ३ करोड़ रुपये की इस से आमदनी हो जायेगी तो मैं सदन को आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्षजी, यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पंजाब जैसे राज्य के अन्दर कि जहां १।६ के हिसाब से वह चार्ज करते हैं और जहां का ट्रान्सपोर्ट, सड़कें और साथ ही साथ काफी मात्रा में जो राष्ट्रीयकरण हो चुका है उन सब बातों को लक्ष्य में लेकर हम चलें तो कोई भी इस बात को मानेगा कि पंजाब से आज राजस्थान के अन्दर इससे ज़्यादा आमदनी हो सकेगी, यह एक आसान बात नहीं है। उसमें कई दिक्कतें हैं। हमारे कई रूट्स ऐसे हैं कि जो बारिश के दिनों में रुक जाते हैं और इस कारण ८ महीने तक मोटर्स और बसेज़ वगैरह चल पाती हैं, तो इस पीरियड को हमें ख्याल में रखना पड़ेगा। यह बात सही है कि जो लोग टैक्सीज़ से सफर करते हैं और बसेज़ से उनके ऊपर असर पड़ेगा लेकिन आखिर वह कितना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई इतना ज्यादा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं पड़ता कि वह देना उनकी आर्थिक स्थिति के बाहर हो। जो लोग बसेज़ से या दूसरे तरीकों से सफर करते हैं उनकी इतनी केपेसिटी है कि वह जिनके कारण से इन साधनों का उपयोग करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो रोड्स बढ़ती जा रही हैं उनके मेन्टीनेन्स की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। इसी साल बजट के अन्दर माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि जहां पिछली साल हमने ८१ लाख रुपये रखे थे, इस साल के बजट में ही उसको बढ़ाकर के १०५ लाख रुपये कर दिया है। याने २४ लाख रुपया मेन्टीनेन्स के ऊपर सड़कों के सिर्फ इस साल बढ़ गये। ज्यों ज्यों आवागमन बढ़ता है, मेन्टीनेन्स के ऊपर खर्च बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ट्रान्सपोर्ट डवेलप होता चला जाता है, हमें आगे पीछे इस रकम को मेन्टीनेन्स के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जो मोटरों के रजिस्ट्रेशन से आमदनी होती है उस आमदनी को सामने रख लें तब भी हमारे यहां की स्थिति यह होगी कि जो सड़कें बनाई हैं और सिर्फ रजिस्ट्रेशन की टोटल कैपिटल की आमदनी होगी तो भी मेन्टीनेन्स के ऊपर ज्यादा खर्च चले जायेंगे और टोटल कैपीटल का कर्जा चुकाने की बात तो और भी मुश्किल हो जायेगी। इस पहलू को लेकर चलना पड़ेगा कि जो कैपीटल वर्क्स हैं सड़कों के उसके द्वारा ठीक तरह से आमदनी होती हुई चली जाये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर एक तरफ बहुत से माननीय सदस्य खड़े होकर यह कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट इससे खत्म हो जायेगा और दूसरी तरफ साथ साथ यह भी कहते हैं कि एक एक पर्मिट के लिए हजारों रुपये खर्च होते हैं। तो मैं नहीं समझ सकता कि दोनों विरोधाभास कैसे साथ साथ चल सकते हैं, यह तो प्रचार के लिए कहा जाता है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। लेकिन यह निश्चित है कि जो कुछ दूसरे राज्यों में हुआ उससे हमारे यहां के बारे में जानकारी ले सकते हैं और सबक ले सकते हैं। पंजाब में यह टैक्स लागू हुआ। वहां की स्थिति यह है कि पहले उन्होंने कम टैक्स लगाया और बढ़ाते बढ़ाते इस वर्ष वह १।४ हिस्सा वहां टैक्स का लगाने के लिए प्रस्ताव आया है। इससे जाहिर है कि ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री इस टैक्स के लगाने से समाप्त हो गई होती तो पंजाब के अन्दर उस टैक्स को बढ़ाने की नहीं सोच सकते थे। यह तभी सोचा गया कि वहां के आवागमन के साधन बढ़ते हुए चले गये। जो भी पंजाब के अन्दर गये हैं उनकी जानकारी में है कि पंजाब का ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स या गुड्स के ऊपर टैक्स लगाने से सारा का सारा समाप्त हो गया हो, ऐसी बात नहीं है और वहां पर बराबर यह ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री डवेलप होती चली जा रही है। जिस प्रकार से इस बिल में भी कहा गया है कि गुड्स के लिए हम एड हॉक बेसिस के ऊपर लमसम तय करेंगे कि कितना लगना चाहिए जहां तक गुड्स का सवाल है, पंजाब में यह हुआ है कि इस टैक्स के लगाने के बाद और आज भी राजस्थान मे यही स्थिति है कि जब ज्यादा प्रेशर होता है जैसे फसल आई तो किराया ज़्यादा हो जाता है और जब कम चीजें आवागमन के लिए रह जाती हैं तो किराया कम हो जाता है। तो बहुत सा मार्केट एक दूसरे के साथ रेग्युलेट होता है। जैसे कोटा से यहां ट्रक आया तो हो सकता है कि उसका

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किराया ज्यादा हो और वह वापिस कोटा जाता है तो उसका किराया कम हो। उसी प्रकार से एक दूसरी जगह के बीच में एक लेविल पर ज्यादा आता है तो दूसरी जगह कम आता है। तो ठीक तरह से यह कहना कि ट्रान्सपोर्ट का सारा बिज़नेस खत्म हो जायेगा, यह बात नहीं है। बाद में यह मार्केट अपने आप एडजस्ट करेगा। पंजाब के अन्दर लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन बढ़ा है तो वह अपने आप एडजस्ट हुआ है। फिर भी वहां की ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री बराबर बढ़ती चली जा रही है।

पैसेंजर्स टैक्स के ऊपर कुछ बातें कहीं गई कि जहां कम्पिटीशन होता है तो हमें ८ पाई रखा हुआ है लेकिन ६ पाई के ऊपर बसेज़ चलने वाली हैं तो जो कम्पीटीशन मार्केट का है वह भी पार्ट प्ले करेगा। पर यह कहना कि यह टैक्स आम जनता के ऊपर ट्रान्सफर हो जायेगा, ऐसी बात नहीं है। बिलकुल बीच में जो मारजिन है वह भी इसमें आकर गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आयेगा। तो ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री समाप्त हो जायेगी और आगे फैसेलिटीज नहीं मिलेंगी और सारा का सारा पैसेंजर्स और गुड्स रेलवे में ट्रान्सफर होकर चला जायेगा, मैं कहता हूं कि, यह बात यहां पर नहीं होगी। दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष जी, यह है कि यहां पर एक स्थिति है कि रेलवेज के माइलेज़ हमारे यहां पर कई जगह के मुकाबिले में बहुत कम हैं और आज रेलवे फेयर्स से जो राजस्थान को मिलना चाहिए जो कि कई स्टेटस को पर्सेन्टेज मिलता है, अगर हमारा माइलेज ज्यादा होता तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। आज वे सारे के सारे शिफ्ट होते हैं लारीज़ के अन्दर। बसेज़ के अन्दर लोगों को जाना पड़ता है। आज पंजाब के अन्दर रेलवे का जाल बहुत बड़ा है। रेलवे की दृष्टि से वहां रिटर्न ज़्यादा होता है और इस ट्रैफिक के ज़रिये ज़्यादा होता है जब कि हमारे यहां बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि जहां सिवाय बसेज़ और ट्रक्स के रेलवे से आवागमन ही नहीं है। इसलिए कोई यह कहे कि टैक्स के बढ़ने से सारा काम रुक जायगा और इन्डस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, यह बात ठीक नहीं है। यह बात ठीक है कि कोई ऐसा टैक्स नहीं लगे यह आम तौर से लोगों की भावना होती है।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं है कि और वज़न डाला जा सके। पर केपिटा इनकम कितनी इन्क्रीज़ हुई है। यह ठीक है कि स्टेटिसटिक्स सिस्टेमेटिक ढंग से हमारे पास एवेलेबल नहीं है आज। जो भी माननीय सदस्य यहां पर है सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले अरसे के अन्दर राजस्थान के गावों के अन्दर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले बहुत सी चीज़ें जो जागीरीप्रथा होने की वज़ह से कुछ व्यक्तियों के पास चली जाती थी वह आमदनी का एक हिस्सा आम लोगों का बचता है और उसके बचने की वजह से किसानों की हैसियत बढ़ी है, किसानों की माली हालत सुधरी है। दूसरे कस्बों की माली हालत सुधरी है। आज एक मामूली हिस्सा टैक्स का आया है उससे सारी की सारी चीज़ें अपसेट हो जायगी, ऐसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कोई बात नहीं है। ठीक है कि हिसाब रखने के मामलों में कहां जाता है कि दिक्कतें सामने आयेगीं, उनको जितना कम किया जा सकता है उनको कम करने के लिए प्रयत्न करेगें जिससे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आये, लेकिन इसको लक्ष्य में रखते हुइ राजस्थान को जो रिसोर्सेज़ चाहिये हमारी पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए, आज यह आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान को हम आर्थिक दृष्टि से मज़बूत बनायें। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें यह लक्ष्य रखकर चलना पड़ेगा। आज से साल भर बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना की चर्चा में लगेगें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का भविष्य इस बात पर निर्भर करने वाला है कि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से कितना सुदृढ़ है, और जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हर चीज़ ठीक तरह से हो, तीसरी पंचवर्षीय योजना राजस्थान की ऐसी है जिससे कि जो वह अब तक पीछे रह गया है, आगे बढ़कर ठीक रूप से अपने यहां की कमी को पूरा कर सके। उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। साधनों को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुन्जायश हो वैसा प्रयत्न करेगें।

श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गांव वालों पर सारे टैक्स लगाये जाते हैं। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य को आज कल गांवों की बहुत चिन्ता है, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर किस प्रकार से विकास होगा, और गांव वाले कितना वज़न उठा सकते हैं, इसकी चिन्ता हमको भी है। हम भी चाहते है कि उनका विकास ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन इसमें हम ज्यादा भरोसा रखते हैं कि बजाय इसके कि सड़कें नहीं बनें, तालाब नहीं बने, स्कूल नहीं खुलें, मैं तो समझता हूं कि गांव वालों की वे ज्यादा अहित करने वाली चीज़ें हैं बमुकाबले थोड़ा सा टैक्स उनको देना पड़े और हम गांवों के विकास के लिए ज्यादा काम कर सकें। आज सड़कें होगीं तो आज जब कि वह ऊंट पर सामान लाता है इसमें ज्यादा खर्चा पड़ता है और दो रुपये तो साल भर में टैक्स के कहीं निकल जायेगें। गांव वालों के लिए सड़कों की कल्पना हमारे सामने नहीं हो और वे कितना वजन उठा सकते हों, यह गलत बात है। यह राजनैतिक ढंग है कहने मात्र का। इसके सिवाय इस बात को लक्ष्य मे रखकर चलना है कि कितना वज़न कहां पड़ना चाहिए।

यहां, माननीय उपाध्यक्ष, इस बात को कहा गया है कि फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी और दूसरे हवाले भी दिये गये हैं। टैक्स के बारे में कहा गया कि पर सीट टैक्स क्यों नहीं कर दें जिससे कि ३० लाख हम चाहते है वह प्राप्त हो जायगा। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ३० लाख ही मिलता रहे इस बात का हमारा लक्ष्य नहीं हैं। हमारा लक्ष्य निश्चित रूप से यह है कि ज्यों ज्यों विकास होगा, आर्थिक और सामाजिक और दूसरे तरीके का उसका यह असर होने वाला है जो कि आज हुआ है कि पहले गांव वाले जो पैदल चलते थे वे भी समय की कीमत को ज्यादा समझकर बस में बैठकर जाते हैं। ज्यों २ विकास होगा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बसेज़ और ट्रक्स का प्रोग्रेसिवली तो हमारी इन्कम बढ़ती हुई चली जायगी। उसका असर यह होगा कि रिटर्न गवर्नमेंन्ट के ज्यादा होते हुए चले जायें। एक सीट पर फिक्स कर देते हैं तो वह फिक्स्ड इन्कम हो जाती है। पैसेन्जर पर रखते हैं और पैसेन्जर ज्यादा बढ़ते है तो गवर्नमेंट को ज्यादा आमद होती है। अगर पैसेन्जर्स की आर्थिक दृष्टि ठीक नहीं तो गवर्नमेंन्ट की कम इन्कम होगी। वे दोनों चीज़ें कोरिलेटेड हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा रेशनल है। जिस तादाद में पैसेन्जर्स होगें उतना ही यहां पर आये।

परन्तु फिर भी कुछ बातों पर विचार करके मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो १।६ है इसको १।८ पैसेन्जर टैक्स को हम कर देगें। (करतल ध्वनि) दूसरा कच्ची रूट के लिए १।६ के बजाय १।१२ कर दिया जायगा जब कि रेलेवेन्ट सेक्शन पर विचार किया जायगा जिससे कि कच्ची रूट पर ज्यादा वजन नहीं पड़े और उसके साथ साथ मैं निवेदन करदूं कि २ नया पैसा जो मिनिमम है उसके बजाय १ नया पैसा मिनिमम कर दिया जायगा जिससे कि वह वज़न जो कि आम तौर से ज्यादा हो सकता है कम हो जायगा। जिस वक्त रेलेवेन्ट सेक्शन पर विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों पर बहुत सा रिलीफ जो कि आम तौर से वाजिब तौर से मिलना चाहिए उसकी तरफ देखा है, वह मिलेगा और मैं समझता हूँ कि साल भर के अन्दर सारी तस्वीर सही रूप में हमारे सामने आ जायगी और ज्यादा कहूँ उसकी आवश्यकता इस अवसर पर मैं नहीं समझता हूं क्योंकि अलग अलग सेक्शन पर बहस यहां पर होगी और उसके लिए माननीय वित्त मन्त्रीजी उसकी आपको जानकारी भी देते रहेंगे। क्योंकि यह ज़िक्र बीच में आ गया, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि सिरोही बस सर्विस जो कि नेशनेलाइज्ड ट्रान्सपोर्ट है उसके अन्दर घाटा जा रहा है सरकार को। मुझे जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के अनुसार यह बात गलत है। सिरोही ट्रान्सपोर्ट में जो कि नेशनेलाइज्ड है उसमें घाटा नहीं हो कर सरकार को लाभ हो रहा है। उन्हीं बातों को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा नेशनेलाइज्ड हम कर सकें उस बात को करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : टौंक के बारे में कह दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टौंक को बहुत पहले खत्म कर दिया गया। मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ आज जो चल रही हैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ।

दूसरी बात यह कही गई है कि कन्डक्टर्स वगैरह ज्यादा रखने पड़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि कन्डक्टर ज्यादा भी रखने पड़ें, आज भी आपको कन्डक्टर टिकट काटने वाले और हिसाब जानने वाला चाहिए। हिसाब तो अवश्य रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ठीक हिसाब रखने से ठीक रिटर्न प्राप्त होगा और कुछ अन्य भी रिटर्न होंगे, ऐसी आशा करके चलना चाहिए। इसके अन्दर जो दिक्कतें पैदा होती हो कि इन्डस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ता हो ऐसी तो मेरी मान्यता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखे हैं, एक तो यह है कि जनमत के लिए प्रसारित किया जाय और दूसरा यह कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करें, वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे और यहां पर इसके ऊपर जो सेक्शन वाइज़ डिसक्शन करेंगे उसमें जल्दी से जल्दी ठीक निर्णय करें।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मनोहर कोठारी ने प्रस्तुत किया है, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठरी : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूबेदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री सूबेदारसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

३.२० म० प०

(श्री मनोहर कोठारी सभापति, पदासीन)

(विराम)

क्लॉज़ २

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज़ ३ में मेरे संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार हैं। एक संशोधन प्रस्ताव जो १ पैसे का था उसको मान लिया है और दूसरा संशोधन प्रस्ताव मैं पेश करना नहीं चाहता।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): इस क्लॉज़ पर मेरे संशोधन इस प्रकार हैं :

Page No.83

(श्री सोहनलाल)

"In sub-clause (1) the words 'one tenth' be substituted by the words 'one sixth' in the fourth line between the words 'not exceeding' and 'of the value' and the words 'subject to a minimum of two naya paisa in any case' be deleted."

The 2nd is:-

"Add the following second proviso to sub-clause (3):-'Provided further that where passengers are carried or goods transported by a motor-vehicle for a distance upto fifteen milles, no such tax shall be levied."

सभापति महोदय, यह सत्य है कि हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरी कई स्टेट्स में पहले से ऐसी टैक्स मौजूद हैं जैसे आसाम, बिहार, मद्रास और पंजाब में। यह भी निश्चित है कि अपने यहां भी यह टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन जैसा कि फर्स्ट रीडिंग के समय कई लोगों ने आवाज़ लगाई थी कि वन सिक्स्थ की रेट बहुत हेवी है और वित्त मंत्रीजी ने बताया है था कि वे केवल ३० लाख रुपये इससे वसूल करना चाहते हैं और इस बिल के एम्स और ऑब्जेक्ट्स में बताया गया है कि इससे केवल ३० लाख रु० वसूल करना चाहते हैं लेकिन यह जो टैक्स लगाया जा रहा है इसको यदि इसी रूप में लिया जाय तो इससे कम से कम १ करोड़ रुपयों की आमदनी होने वाली है। और हमारे यहां जो लोगों की आर्थिक स्थिति है है उसको देखते हुए १० पर्सेन्ट टैक्स रखा जाय तो ठीक होगा। मुख्य मंत्रीजी ने मान लिया है कि कच्ची सड़क पर १।१२ और पक्की पर १।८ कर रहे हैं ऐसी सूरत में मेरी जो भावना थी, वह पूरी हो जाती है। वैसी हालत में इस क्लॉज को डेफर कर दिया जाय ताकि कल प्रोपर वर्डिंग्ज़ में यह आ जाय।

दूसरा एग्ज़ेम्पशन का क्लाज़ होना चाहिये, वह बिल्कुल नहीं है, जैसा रेल्वे पैसेन्जर बिल है उसमें ओरीजिनल फॉर्म में एग्ज़ेम्पशन नहीं था लेकिन बाद में जब एक्ट के रूप में पार्लियामेन्ट में आया तो उसमें था। तो मेरा यह निवेदन कि कई माननीय सदस्यों ने यह बात रखी थी कि, क्योंकि छोटे डिस्टेन्सेज़ पर किसानों को जाना पड़ता है ऐसी सूरत में उन पर भार पड़ेगा यहां पर १४ पाई पहले से ही है जो बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में छोटे छोटे डिस्टेन्स पर जो किसान सफर करेंगे उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये इसलिये मैंने ये संशोधन रखे हैं।

श्री सभापति: श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ३ में मेरे संशोधन इस प्रकार हैं:

(a) In sub-clause (1), substitute the words 'one tenth' for the words 'one sixth' occuring between the words 'exceeding' and 'of the value' in line four.

(b) In sub-clause (1), substitute the words 'one naya paisa' for the

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

words 'two naya paisa' occuring in line six.

(c) add the following new proviso after the proviso to sub-clause (3):-

'provided further that no tax shall be levied on the passengers travelling for a distance less than 15 miles.'

सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उत्तर देते हुए कहा था कि इससे यात्रियों पर विशेष भार नहीं पड़ेगा और आज भी यहां पर ८ पाई तय किया है, वहां ६ पाई में भी ले जाते हैं और मार्केट में जो कांम्पिटीशन है,इसके कारण आज भी यह कहा जाता है कि उनसे पैसा लिया जाता है फिर भी अधिक एप्लीकेशन्स आती हैं और ६ पाई से भी चलाने को तैयार होते हैं। लेकिन यह टैक्स डाइरेक्ट टैक्स है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने मांग की थी कि मोटर बसेज़ के सीट्स पर यदि टैक्स लगाते हैं तो वह टैक्स मोटर मालिकों को देना पड़ेगा, लेकिन हम जो टैक्स लगाने जा रहे हैं वह यात्री टैक्स है जो प्रत्येक यात्री को देना पड़ेगा। यह डाइरेक्ट टैक्स है, मोटर मालिकों को कुछ नहीं देना पड़ेगा। वे जिस प्रकार से आज रन कर रहे हैं उसी प्रकार से बाद में भी करेंगे। लेकिन इस टैक्स का भार लोगों पर पड़ेगा। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था काम्पिटिशन की भावना है, शिड्यूल रेट से कम पर भी कांपिटिशन चलता रहेगा लेकिन कांपिटिशन की भावना रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ किया है वह कांपीटिशन की भावना से किया है, मोटरों पर जो सुविधा प्राप्त हो रही है विशेषकर उन रूट्स पर जहां रेल चल रही हैं उनसे अधिक सुविधा मिल सकती है, यात्रियों को बसेज़ में सुविधा मिलती है इस कारण से आप चाहते हैं कि किस प्रकार से यह धंधा पीछे हटे। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि और स्टेट्स में रेल्वे का माइलेज अधिक है इसलिये उनको अधिक माइलेज मिलता है और हमारे यहां रेलवे माइलेज़ कम होने से कम माइलेज़ मिलता है, इसका अर्थ यह है कि मोटर रूट का अधिक विकास नहीं करके रेल्वे का विकास करना चाहते हैं क्योंकि रेल्वे से आपको ज्यादा फायदा है। स्टेट बसेज़ अदर्स में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टरवालों को लड़ादें। यह कोई अच्छी भावना नहीं है। मोटरों का उद्योग एक छोटा उद्योग है, कोआॅपरेटिव सोसायटी बना कर परमिट प्राप्त करके छोटे लोग भी मोटर चलाते हैं तो इस तरह से आप दुतरफा आघात करना चाहते हैं। आज जो गुड्स बम्बई से रेल्वे द्वारा जाता है, तो उसमें अधिक शिकायतें होती हैं और करोड़ों रुपये क्लेम्स के रूप में रेल्वे को देने पड़ते है, क्योंकि वहां पर गुड्स में चोरी होती है। सरकार को बहुत सा भाग उस चोरी को कंपेन्सेट करने में देना पड़ता है। लेकिन जो गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये ट्रक्स में आता है उसमें चोरी नहीं होती है, और उससे व्यापारियों को ज्यादा लाभ होता है। लेकिन जब इस पर भी टैक्स बढ़ेगा तो हम जो चाहते हैं वह मकसद हल नहीं होगा, लेकिन स्टेट को सीधा टैक्स मिलेगा। इस कारण से इन्डाइरेक्ट रूप में घाटा पूरा करना चाहते हैं। मैंने यह कहा था कि हमारे केन्द्र से यह प्रणाली ली है, दो साल पहले केन्द्र ने रेल्वे द्वारा यात्रा करने

Page No.85

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वालों पर यात्री कर लगाया था उस समय पार्लियामेन्ट में मांग हुई थी कि कम से कम जो लोग तहसील हैड क्वार्टर पर या डिस्ट्रीक्ट हैड क्वार्टर पर जाते हैं और जिनका रोज़ाना का आवागमन है उनको एग्जेम्प्ट करना चाहिये इसलिए १५ माइल के भीतर आवागमन का साधन था वहां माफ कर दिया। हमारी सरकार ने सेन्टर से यह बिल उधार लिया है, सेन्टर का अनुकरण किया है तो इस बात में भी उसको अनुकरण करना चाहिये। जिस प्रकार केन्द्र ने माफ किया है उसी प्रकार हमें भी माफ करना चाहिये।

दूसरी बात जो रेट है १।१२ और १।८ स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसके बजाय १।१० करें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पंजाब में पहले रेट कम रखी थी, बाद में उनको रेट बढ़ानी पड़ी तो आपने यहां प्रारम्भ में ही इतनी अधिक रेट रखें तो ठीक बात नहीं होगी इसलिए इसको १।१० करदें और १५ माइल तक ट्रेवल करने वालों पर टैक्स नहीं लिया जाय। इतना इसको बढ़ायें कि वास्तव में कितना आगे के लिए देख सकते हैं। इसमें ३० लाख की आमदनी आंकी है वह १।६ से आंकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकेत किया है कि उससे बढ़ेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद भी यह देखना ठीक होगा कि सब लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़ सके, इन्डस्ट्री को नुकसान न हो सके। इन सारी बातों को देखते हुए मैंने संशोधन रखे हैं, एक तो १/१० कर दिया जाय, दूसरे दो नये पैसे की जगह एक नया पैसा कर दिया जाये और तीसरे १५ मील के दायरे में किसी प्रकार का टैक्स न लगायें। इन संशोधनों को स्वीकार किया जाय।

श्री सभापतिः डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, विधेयक की धारा ३ में मेरे तीन संशोधन के प्रस्ताव हैं। पहला संशोधन कि १/६ के स्थान पर १/१० किया जाय, दूसरा यह है कि दो नये पैसे की जगह १ नया पैसा कर दिया जाय। इन दो प्रस्तावों में से एक स्वीकृत हो चुका है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई दे दूं। दूसरा संशोधन प्रस्ताव समझौते के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

इसके साथ ही साथ सदन में इस विधेयक के सम्बन्ध में भावना प्रगट की गई हैं, मैं उनकी ओर अवश्य ही अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, वे लिखे हुए हैं नाट एक्सीडिंग १/६ अब यह १/१० हो जायेगा....

श्री सम्पतरामः १।८

डॉ० चन्द्रकलाः १।८ हो जायेगा। जब कि सदन ने चाहा था कि १/१० हो जाय। हमारी भावना को सरकार ध्यान में रखेगी और नाट एक्सीडिंग का फायदा उठाकर जो उच्चतम सीमा १/८ की है, वहां तक न जाकर जहां कहीं जरूरत मालूम हो, जहां १/८ की इजाज़त मिलती हो, सदन स्वीकृति देता हो, उसके साथ ही हमारी भावना का ख्याल रखा जाय। अभी आप १/१० स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि १/१० हो जाता, वह सरकार के हाथों

(डॉ० चन्द्रकला)

में है और जैसा हम सब जानते हैं कि पंजाब के आधार पर हम इस कर का आरोपण करने जा रहे हैं,वहां का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने पहले कम रखा था, और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि बढ़ा सकते हैं, उसको उसी तरह से बढ़ाया। हमारी सरकार भी इस तरह नाट एक्सीडिंग रखती है, तो खुला मैदान उसके लिए रहता है और वह जनता की भावना का ख्याल रख सकती है। सारी सुविधा, असुविधा और जनता की क्षमता का भी ख्याल रख सकती है और उसके साथ ही साथ जो ३० लाख रुपये का टार्जेट है, उसको पूरा करने की ओर ध्यान रख सकती है।

तीसरा संशोधन प्रस्ताव तो मेरा केवल शब्दों का ही है। इसमें ऐसा है कि ऐसा सामान हो, जिसका बिल्कुल किराया न दिया जाय, या कम किराया दिया जाय, उस पर किस तरह कर लिया जाय, यह इस सम्बन्ध में है। इसमें यह बताया हुआ है कि प्रेसक्राइब्ड आथोरिटी ज़िस तरह चाहे, उस तरह कर लिया जा सकता है। इसमें पहले एक्सप्ले-नेशन ऊपर दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि यह इस तरह लगाया जायगा, जिस तरह सामान पर लगाया जाता। ये शब्द अनावश्यक लिये हैं, इसमें ऐसी इम्पोर्टेन्स की बात नहीं है। मेरे संशोधनों में से पहला स्वीकार हो चुका है, दूसरे को स्वीकार समझना चाहिए और तीसरा अनावश्यक है, इसलिए नहीं मूव किया ऐसा समझ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अपने दो अमेंडमेंट्स और एक प्रोवीज़ो रखा है, उसका मैं विरोध करते हुए यह कहता हूं कि पहले और दूसरे अमेंडमेंट के लिए तो मुख्य मंत्रीजी ने आपके जो संशोधन में १/६ के स्थान पर १/२० करने का जो संशोधन था उसकी बजाय १/८ मान लिया है और दूसरा दो नये पैसे की जगह एक नया पैसा मान लिया है। आपका तीसरा सुझाव यह है कि १५ मील से कम सफ़र करने वाले या १५ मील से कम माल जाय, सामान ले जाने वाले से टैक्स न लिया जाय। सभापति महोदय अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय, अर्थात इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया जाय तो जो सरकार ने ३० लाख रुपये की कमी पूरी करने का जो लक्ष्य रखा है, वह कमी पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि आम तौर पर सवारियां कच्ची सड़कों पर ज्यादा तर ऐसी सफ़र करती हैं जो १५ मील से कम होता है अगर इस अमेंडमेंट के अनुसार टैक्स लगाया जाय तो ऐसी सवारियां बहुत ज्यादा छूट जायगी और और सरकार ने टैक्स लगाने का जो लक्ष्य रखा है वह पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए इस तरह की रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। सब मुसाफिरों के साथ युनीफार्मिटी रखी जाय, चाहे कोई पांच मील सफ़र करे या चाहे १० मील सफ़र करे। टैक्स प्रत्येक हालत में लगाना चाहिए। आपने जो सुझाव दिया है, यह प्रेक्टीकेबल नहीं है। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : यह क्लॉज डेफर किया जाता है and now...

श्री नाथूराम मर्धा : इसका जवाब दे दें।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री, आबकारी तथा कर विभाग) : माननीय चेयरमैन, इसमें मुख्य मंत्रीजी के जवाब देने के बाद मेरे लिए कोई विशेष बात नहीं रह जाती जिसके ऊपर प्रकाश डालूं । ११६ के लिए आलरेडी कह दिया है, जिसके लिए अमेंडमेंट तैयार हो रहा है, वह मूव हो जायगा। दो नये पैसे के लिए इसमें हमने कहा है, इसको मुख्य मंत्रीजी ने साफ कर दिया है। इसको मैं स्वीकार करता हूं, जिसको माननीय सदस्य- ने और श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने मूव किया है। इसके बाद एक अमेंडमेंट आया कि १५ मील का किराया न लिया जाय, आपने कहा है कि १५ मील का किराया न लिया जाय। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माइलेज का ताल्लुक गरीब अमीर से नहीं रखता, टैक्स हमें लेना पड़ेगा यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे राजस्थान में रोड डवेलपमेंट ठीक नहीं है और बस ऑपरेटर्स को हैवी एक्सपेन्सेज़ करने पड़ते हैं रास्ता मेन्टेन करने के लिए। मुख्य मंत्रीजी आलरेडी कह चुके हैं कि कच्चे रास्तों का १।१२ कर देंगे, उसकी रूल्स में व्यवस्था कर देंगे, उसका अमेंडमेंट आ जायगा। लेकिन जो १५ मील का मामला है, उससे मैं सहमत नहीं हूं इससे गरीब या अमीर का ताल्लुक नहीं है, यह पेसेन्जर्स के ऊपर टैक्स है। बेसिकली जो रिलीफ देना था, वह सदन में एलान कर दिया है। अब नया सेक्शन इस बिल में होगा :

"not exceeding 1/8th of the value of fare or freight in the case of cemented, tarred, asphalted, metalled, gravel and Kankar road and not exceeding 1/12th of such value in other cases"...

डा० चन्द्रकला (किशनपोल, बाज़ार, जयपुर) : (ए) (बी) (सी) रोड क्यों न कर दें।

श्री सम्पतराम : मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा है उससे साफ हो गया है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि आप बाकायदा इस अमेंडमेंट को मूव कीजियेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं।

श्री सभापति : फॉर्मली मूव कर दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : वे खुद नहीं समझ पा रहे हैं, अगर मूव नहीं हुआ तो गड़बड़ी हो जायगी।

श्री सम्पतराम : "Not exceeding 1/6th the value of the fare or freight, as may be notified by the State Government from time to time subject to the minimum of two naya paise in any one case" की जगह हो जायगा "not exceeding one eighth of the value of the fare or freight in the case of cemented, tarred, asphalted, metalled, gravel and Kankar road and not exceeding 1/12th of such value in other cases" यह इसकी जगह सब्स्टीट्यूट हो जायगा।

डा० चन्द्रकला : रोड़ का (ए) (बी) (सी) विभाजन है, उसके हिसाब से क्यों न रख दें कि (ए) पर इतना, (बी) पर इतना, (सी) पर इतना।

श्री सम्पतराम : यह कानून की बात है। जिस तरह एडजस्ट होना चाहिए उस तरह हो गया है। अब डॉ० चन्द्रकला ने बाद में....

डॉ० चन्द्रकला : इसको मूव नहीं किया है।

श्री सम्पतराम : आप सुनिये...

डॉ० चन्द्रकला : मूव ही नहीं किया है।

श्री सम्पतराम : मूव नहीं किया है, Thank you मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। जितने अमेंडमेंट्स सदस्यों ने मूव किये हैं, उनको विथ्ड्रा कर लें।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) **:** मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाज़ार, जयपुर) माननीय सभापति महोदय, अभी संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखा। कंकड की सड़क पर १।८ रखा है, ट्रान्स्पोर्ट ऑथोरिटीज़ फेअर्स डिसाइड करती हैं तो कंकर रोड है उसमें १।१२ रखना होगा यह जो अमेंडमेंट रखा है, उसमें दुविधा हो सकती है, (सी). क्लास रोड्स होंगी उन पर भी हायर फ्रेट चार्ज किया जाता होगा....

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेयरमैन महोदय, (ए), (बी), (सी) रूट्स का डिविजन है यह ट्रान्सपोर्ट विभाग द्वारा रूट्स पर अपने रखे हुए नाम हैं, यह कोई लीगल टर्म नहीं है। इसलिये (ए), (बी), (सी), क्लास रूट मेन्शन नहीं किया जा सकता। (ए), (बी) रूट्स में जो रोड्स आती हैं वे ग्रेवल्ड रोड्स हैं, ये आलरेडी (ए), (बी) क्लास रूट्स हैं। (सी), क्लास रूट अदर केसेज़ में होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (सी)कंकर रोड़ का है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कंकड़ रोड (बी) में है।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) **:** माननीय सभापति महोदय, मेरी तीन बातें थीं १।१० का है वह मान लिया है।

दूसरा भाग दो नये पैसे के स्थान पर

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एक नया पैसा का है वह भी मान लिया गया है। पर जो मैंने प्रोविज़ो जोड़ने के लिये कहा था जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि गरीब-अमीर का सवाल नहीं। हमारी संसद में भी यही कन्सीडरेशन आया था कि १५ माइल के एरिया में आते-जाते हैं उन्हें रेल्वे फेअर पर कन्सीडरेशन के समय माफ किया गया था। तो जो संसद ने निर्णय दिया उसी चीज को हम यहां रख रहे हैं। इसलिये मैं इसको प्रेस करूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की प्रार्थना करती हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट क्लॉज़ ३ में उपमन्त्री, श्री सम्पतरामजी, की ओर से मूव किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ३, एज अमेंडेड, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो नये पैसे के स्थान पर एक नये पैसे वाले का क्या हुआ ?

श्री सम्पतराम : एक पैसे वाला तो मैंने मूव किया है।

श्री सभापति : दो नये पैसे के स्थान पर एक नया पैसा रखने का संशोधन रखा है वह स्वीकार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is not before the House.

श्री सभापति : ट्रेज़री बैंचेज़ ने स्वीकार कर लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह दो पैसे की जगह एक नया पैसा रखने का किसका संशोधन स्वीकार किया गया है ?

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया गया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लिया है।

एक माननीय सदस्य : वापिस नहीं लिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : If it is not withdrawn then it should be put to the vote of the House. That is the principle.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि दो नये पैसे की जगह एक नये पैसे का संशोधन स्वीकार किया जाय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir, there is some difficulty which now arises. This House has passed clause 3, as amended. We have already passed clause 3 and I think we cannot go back and take any amendment as such and put it to vote before the House. We have passed clause 3, as amended, and any amendment by the Hon'ble Deputy Minister now is beyond our competence and scope and it cannot be accepted.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : My submission is that the House can suspend the operation of any rule and my submission is that in this case if there is some difficulty, the operation of the rule should be suspended and the amendment should be taken as it is.

श्री सभापति : I have given my veridct on the matter.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But Mr. Chairman, on what particular motion the Chair is giving its observation ? I mean there should be some particular motion before the House that such and such rule should be relaxed or suspended in a particular case and until and unless that is done, the amendment cannot be put before the House.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Sir, under rule 254, any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being.

In view of this I request that I may be given permission to move that the rule may be suspenned. The learned member from Jaipur has not given any specific rule under which he has raised his point of order. He has to specify that in view of a particular rule the amendment cannot be moved in the House after the clause has been passed over. My submission is that if he gives a

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

specific rule, then that rule may be suspended.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Sir, this is a general rule that if any clause has been passed by the House, an amendment to it cannot be moved. It is the general practice. If the Hon'ble Member wants the particular rule, I can just go through the book and quote the particular rule.

I don't think the Hon'ble Member has made any formal motion about relaxation of this rule. So there should be a formal motion for relaxation or suspension of this rule, and only then we can take this amendment. This is the clear cut position in rules and law, Sir.

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में इस रूल को सस्पेन्ड किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But Sir, there should bea formal motion for its suspension from any Hon'ble Member.

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : चेअरमैन महोदय, इस सदन में दो पैसे के बजाय एक पैसा करने की बात माननीय मुख्य मंत्री ने जब जवाब दिया, उस समय सदन के सामने रखी और सदन के सदस्यों की इच्छा थी कि दो पैसों के बजाय एक पैसा कर दिया जाये। माननीय सदस्यों ने एमेंडमेंट मूव किया डॉ० बहादुरसिंह और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपना एमेन्डमेंट मूव किया था और उन्होंने इस बात पर खुशी ज़ाहिर की थी कि संशोधन स्वीकार हो गया। ऐसी सूरत में कोई टैक्निकल डिफिकल्टी रह गई है, कि उस पर पहले वोट ले लिए गये और इस पर वोट नहीं लिये गये। यह इतनी सी बात रह जाती है तो इसको ट्रेज़री बेन्च की तरफ से मोशन मान कर टैक्निकल डिफीकल्टी को दूर किया जाए, और सदन की पॉवर है कि वह इसको रिलेक्स करके इस टैक्निकल एरर को दूर कर सकती है। उसको पहले एक्सेप्ट करके बाद में इसको मान लिया जावे।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : Mr.Chairman, Sir,my respectable submission is that even under rule 131 the Speaker has power to correct patent errors and make such other changes in the Bill as are consequential on the amendments accepted by the house.

So my submission is that the House can accept that amendment of one naya paisa irrespective of the fact that it was not made.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is very strange suggestion that the Hon'ble Member is putting before this House.

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बात इन्होंने कही है वह एप्लाई इस पर नहीं करती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let us be clear on the point. We have passed the clause, as amended. The Hon'ble

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Minister while replying said that he was not accepting any amendmet moved by Hon'ble Member from Sikar or Jaipur where in one naya paisa was substituted for 2 naya paises.

श्री सभापति : He did. इन्होंने दो पैसे के बजाय एक पैसे के एमेन्डमेंट को मंजूर किया और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने भी इस बात को प्रकट किया कि उनका एमेन्डमेंट स्वीकार कर लिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें होती हैं, मगर वे तरीके से होती हैं। आपने यह व्यवस्था दी थी कि जिन जिन संशोधनों को स्वीकार करते हैं उनको मूव करें। आपने चेयर से यह व्यवस्था दी। जो संशोधन क्लॉज़ ३ में रखने चाहिये माननीय मंत्री महोदय ने सदन में रखें और उनको हमने स्वीकार किये। लेकिन जहां तक दो पैसे और एक पैसे का सवाल है उन्होंने इसको सदन में नहीं रखा। यह उनके अधिकार की बात थी किसी को स्वीकार कर सकते हैं। जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या और सीकर से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन रखे। माननीय सभापति, अगर प्रोसीडिंग को उठा कर देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि जो दोनों संशोधन रखे उनको स्वीकार नहीं किया गया। वे संशोधन गिरा दिये गये हैं। जब सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संशोधन हाउस में रखा, तो वह प्रस्ताव गिर गया और जो जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने रखा था उसने अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहा सदन में।

श्री सभापति : Only the proviso of Shri Jagdish Prasad. श्री जगदीश प्रसाद का प्रस्ताव था उसको वोट पर नहीं रखा गया, उसको भाषण में स्वीकार किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, भाषण के समय। मगर सदन के सामने वोट पर नहीं रखा गया। श्री जगदीश प्रसाद के प्रस्ताव को सदन के सामने नहीं रखा गया लेकिन दो पैसे की बजाय एक पैसा रखा जावे, सदन ने इसको स्वीकार नहीं किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि दो पैसे के बजाय एक पैसा किया जाए। जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या के प्रस्ताव को भाषण में स्वीकार किया गया और उन्होंने उसको वापिस ले लिया। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि ट्रेज़री बैंच की तरफ से फोर्मल मोशन हो जाए। that this rule be relaxed and this amendment may again be placed before the House and the clause passed again.

इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कर लिया जावेगा तो कोई टैक्निकल डिफिकल्टी नही रहेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है कि इस रूल को रिलेक्स किया जावे और दो पैसे के बजाय एक नया पैसा संशोधित करने के लिए . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is there any motion?

श्री सभापति : Yes, he has moved it.

(सम्बन्धित मन्त्री महोदय के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री नाथूरामजी ने प्रस्तुत किया है कि दो नये पैसे के बजाय एक नया पैसा हो, उसको फिर से खोला जावे ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि दो नये पैसे के स्थान पर एक नया पैसा संशोधित किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ एज़ एमेन्डेड स्वीकार . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो एमेन्डमेंट स्वीकार किया है वह किसका है ? Whose amendment is this, Sir ?

श्री सभापति : Dr. Bahadur Singh's.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But he has withdrawn. . . .

श्री सभापति : He has not withdrawn.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Sir, I am not against this amendment on principle, that one Naya Paisa shuld be substituted for 2 n.p. The proceedings should be referred to, if he has withdrawn or not.

श्री नाथूराम मिर्धा : दो नये पैसों के स्थान पर एक नया पैसा कर दिया जावे, यह मेरा एमेंडमेंट मान लिया जावे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३, एज़ एमेन्डेड को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३, एज़ अमेन्डेड विधेयक का अंग बना ।

क्लॉजेज़ ४ और ५ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि . . .

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में स्पष्टीकरण करना है ।

श्री सभापति : आपका कोई संशोधन नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : मेरी कुछ शंकाएं हैं ।

श्री सभापति : क्लॉज़ ३ पास हो चुका हैं और ४ और ५ पास . . .

डॉ० चन्द्रकला : हर एक सदस्य को कुछ अधिकार होते हैं . . .

श्री सभापति : जब चेयर पैरों पर हो तो आपको बैठ जाना चाहिये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ४ और ५ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ४ और ५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

Now Clause 6. Dr. Chandra Kala.

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव पेश करूं, उससे पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि कोई भी माननीय सदस्य अपने बोलने के अधिकारों का संरक्षण चाहें तो उसको किस प्रकार मिल सकता है। चेयर तो किसी भी समय लैग पर खड़ी हो सकती है।

श्री सभापति : अगर आपका कोई संशोधन नहीं था, आपको कोई मौका नहीं दिया गया, क्योंकि जब क्लॉज ३ पास हो चुका था।

डॉ० चन्द्रकला : आपको मुगालता हुआ। मैं क्लॉज़ ४ के बारे में स्पष्टीकरण कराना चाहती थी। इसलिए सदन के किसी भी सदस्य को अधिकार है, चाहे उसका कोई संशोधन हो या न हो, अगर कोई शंका हो तो सरकार से उसको स्पष्टीकरण होना चाहिये, क्योंकि हमारी इसमें बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम विधान सभा के सदस्य हैं। इस बात को मैं भी समझती हूं कि जिस समय चेयर लेग पर हो उस समय मुझे बैठना चाहिये। लेकिन अगर कोई बात कहनी हो तो चेयर को किस तरह बताई जा सकती है ?

श्री सभापति : आपने यह नहीं बताया कि क्लॉज़ ४ पर आपको कुछ कहना है। आप बराबर यही कहती रहीं कि स्पष्टीकरण चाहती हूं।

डॉ० चन्द्रकला : आपने जिस समय यह कहा कि कोई संशोधन नहीं है तो आपने यह सब किस बात का जवाब दिया।

श्री सभापति : I have ruled it out. Now we proceed on to clause. 6.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, सदन में महिलाओं में से एक ही सदस्या बोलने में भाग लेती है। माननीय सदस्या को जब मौका नहीं दिया जाता है तो उनको अपने विचार सदन में रखने में रुकावट होती है उनको पूरा मौका मिलना चाहिये।

श्री सभापति : आप क्लॉज़ ६ पर बोलें।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं अभी, माननीय सदस्य ने जो बताया कि मैं महिला होने के नाते विशेषाधिकार चाहती हूं इन शब्दों पर मुझे आपत्ति है। मैं कोई विशेषाधिकार नहीं चाहती। मैं सदन की सदस्या होने के नाते अपने हक चाहती हूँ।

(करतल ध्वनि)

(डॉ० चन्द्रकला)

हर एक माननीय सदस्य को हक है। मुझे किसी भी तरह से विशेषाधिकार नहीं चाहिये। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि वे अपने इन शब्दों को वापस लें और अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। वे अपने शब्दों को वापिस लें।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : He pleaded a cause without a brief.

श्री मुरलीधर व्यास : हमारा भी हक है, दे या न दे।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला, क्लॉज़ ६ पर बोलें।

४ म० प०

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर): सभापति महोदय, विधेयक के खंड ६ के सम्बन्ध में मेरे दो संशोधन प्रस्ताव हैं। यह क्लॉज़ इस तरह से है कि यदि कोई भी ओनर किसी भी ऐसे कारणों से अपना रिटर्न नहीं जमा कराता है या अपना टेक्स १५ दिन के भीतर जमा नहीं कर देता है तो उस पर पेनेल्टी लगेगी। यह ओनर को जो १५ दिन का समय दिया जाता है रिटर्न देने के लिए या टैक्स पे करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह समय कम है। इसमें कोई बाधा नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है, यदि १५ के बजाय एक महीना कर दें। क्योंकि कई ओनर्स को रिटर्न तैयार करने में देर भी लग सकती है। जैसे होली की छुट्टियां आगई, पांच-सात दिन की इस प्रकार छुट्टियां आ सकती हैं इसलिए १५ दिन का जो समय रखा है उसको एक महीना कर दिया जाय तो इससे ओनर्स को थोड़ा समय मिल सकेगा, जिससे कि उनको रिटर्न्स देने है वे समय पर दे सकें और टैक्स भी समय पर दे सकें। इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिऐ, इसमें कानून भी नहीं अड़ता है यदि १५ दिन को ३० दिन कर दें। इसके साथ साथ यह भी है कि १५ दिन के भीतर ओनर टैक्स पे नहीं कर देता है तो टैक्स जो बाकी है वह तो वसूल किया जावेगा और पांच रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पेनेल्टी पे करना पड़ेगा। इसलिए मेरा संशोधन है कि पांच रुपया पेनेल्टी पर डे है उसके बजाय २) पेनेल्टी प्रतिदिन रखी जाय क्योंकि पांच रुपया ज्यादा हैं। सब तो ओनर्स होते नहीं, सब ही तरह के हैं। ऐसे ओनर्स भी हैं जिनके कई गाड़ियां हैं, जिनके हज़ारों लाखों की संपत्ति हो सकती है, और ऐसे ओनर्स भी हो सकते हैं जिनके पास एक ही बस हो। पेनेल्टी होगी सब के साथ एक ही होगी, उसमें कोई भेद भाव नहीं रखा जावेगा। जिनके पास साधन हैं उनको इसके लिए कोई चिन्ता नहीं होगी, जिनके पास कम साधन हैं उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि पांच रुपया के बजाय दो रुपया कर दिया तो अच्छा है। यह नहीं हो सके तो इसकी भाषा ऐसी कर दी जाय कि जिससे हरएक को पे करने में सुविधा हो सकेगी। यदि एक ही तरह का फाइन रखेंगे तो हर एक ओनर्स की स्थिति एकसी नहीं हो सकती है। इसलिए संशोधन प्रस्ताव रखा है, आशा करती हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामचन्द्र (डंग) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस क्लॉज में यह नहीं बताया गया है कि स्टेटमेन्ट कितने पीरियड का मांगा जावेगा, वह डेली स्टेटमेन्ट का होगा, वीकली होगा या मंथली होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंथली होगा ।

श्री रामचन्द्र : यदि यह स्टेटमेन्ट डेली का रखा जाता है तो इस के लिए १५ दिन की अवधि ही काफी होती है क्योंकि इसके लिए अगर लम्बा समय दिया जावेगा तो लोग लापरवाही बरतेंगे । यदि मंथली और वीकली स्टेटमेन्ट मांगा जाता है तो १५ दिन के बजाय एक महीना मिलना चाहिये ताकि वह एक महीने में आसानी से स्टेटमेन्ट पेश कर सकें ।

दूसरा संशोधन पेनेल्टी के लिए २) रखने का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि ५) ज्यादा होते हैं, इसलिए दो रुपया ही रखा जाना चाहिये ।

श्री सम्पतराम (उप-मंत्री, यातायात विभाग) माननीय सभापति महोदय, इसको थोड़ा गौर से पढ़ा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा : "[2] If any owner fails, without reasonable cause...

यह १५ दिन का जो समय दिया है इसमें स्पष्ट कहा है :

" without reasonable cause "

अगर मान लीजिये इस प्रकार का कॉज शो किया था तो १५ दिन की मियाद काफी नहीं होती, ज्यादा हो सकती है लेकिन टैक्स, जहां टैक्स इवेड करने की बात है तो उसके लिए टाइम फैक्टर ज़रूरी है और रहना चाहिये ।

दूसरा जो संशोधन है उसके लिए यह बताना चाहूंगा कि पीनल कोड और अन्य जो कानून हैं उनको आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कानून में व्यवस्था होती है, तो अमाउन्ट जो है वह मेक्सिमम दिया जाता है । मजिस्ट्रेट या जो पेनेल्टी इम्पोज़ करने वाली ऑथोरिटी है वह यह नहीं करता, कि वही की वही पेनेल्टी जो मैक्सिमम प्रोवाइड की हुई है उसको इम्पोज़ कर दे । Not exceeding five rupees for every day during which the default continues- पांच से लगा कर कोई भी अमाउन्ट हो सकता है । इसमें दो रुपये की बात भी आ जाती है । प्रत्येक में पांच रुपये ही लगाया जायगा, यह समझना वाजिब नहीं होगा ।

इसलिए दोनों अमेन्डमेन्ट्स मूव किये गये हैं, मैंने जो स्पष्टीकरण किया है वह साफ है, माननीय सदस्या उनको वापिस लेलेंगी ।

डा० चंद्रकला : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने रखे हैं उनको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

डा० चंद्रकला : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ६ और ७ स्वीकार किये जांय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ व ७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ८, डा० चंद्रकला ।

डॉ० चंद्रकला : (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) सभापति महोदय, विधेयक के क्लॉज़ ८ के सम्बन्ध में, इसमें टैक्स न देने पर क्या सजा मिलनी चाहिये, यह लिखा हुआ है, उसके बारे में मेरा यह संशोधन है। यह क्लॉज़ इस प्रकार है : "If the prescribed authority is satisfied that any owner is liable to pay tax under the provisions of this Act in respect of any period but has wilfully failed to pay the tax......"

अब यहां पर बड़ी मुश्किल यह होगी कि किसी ने जानबूझ कर किया, किसी से अनजाने में हुआ या मजबूर था, तो आखिर में जितना टैक्स उस पर ड्यू है उससे 1½ times the amount of tax है वह रियलाइज़ किया जावेगा by way of penalty.

श्री नाथूराम मिर्धा : Not exceeding..

डॉ० चंद्रकला : एक्सीडिंग का क्या हुआ ? उसका फायदा तो आप लोग उठाते हैं। सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि 'Not exceeding" शब्द जो है वेलीगली, कानूनी दृष्टि से बहुत बचत के हैं। इसमें टैक्स जितना ड्यू हैं उतना या उससे कम लिया जा सकता है। "Not exceeding" लिख दिये जाने से यह होता है। ज्यादा से ज्यादा रखा जाता है जो नहीं लिया जाता। साथ में यह डिस्क्रीशन रखा जाता है कि विलफुली पे नहीं किया। इसमें मुश्किल होगी। किसी ने जानबूझ कर चोरी की, इरादा ठीक नहीं है, फिर इसका निर्णय कैसे होगा ? "not exceeding" रखा है, वन एन्ड हाफ की जगह "50 rupees together with...."

जितना टैक्स है वह ले लिया जाय और ५०) से एक्सीड न किया जाय। ये संशोधन प्रस्ताव रखें हैं। आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री) सभापति महोदय, स्पष्टीकरण करने से पहले माननीय सदस्या खुद सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन इसको पेश करना था इसलिए किया। इसमें है : "not exceeding one and half times the amount of tax,"

वन अन्ड हाफ स्ट्रिक्टली नहीं मानना चाहिये कि असेसिंग ऑथोरिटी उतनी पेनल्टी रखेगा। कितना बड़ा ऑफेन्स करता है और उसके लिए ५०) मेग्ज़िमम रखा गया है, छोटे के लिए कम रख दें और बड़े के लिए

(श्री सम्पतराम)

५०)रख दें यह वाजिब नहीं लगता है। यह तो ऑथोरिटी पर ही निर्भर होना चाहिए। इसलिए जो यह प्रोविज़न रखा है वह ठीक है। माननीय सदस्या मेरे इस उत्तर से संतुष्ट होंगी और अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेंगी।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि डॉ० चन्द्रकला ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपने संशोधन को वापिस लेती हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ६ के अन्दर जहां एग्जेम्पशन का क्लॉज़ है वह इस प्रकार है, "राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा तथा विशिष्ट शर्तों के अधीन यदि कोई हों, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं प्रावधानों के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी, यदि राज्य सरकार की राय में ऐसी छूट सार्वजनिक हित में इष्टकर होगी।"

इस प्रकार से राज्य सरकार यह चाहती है इस कानून के अन्तर्गत उसे यह अधिकार मिले, वह चाहे तो किसी को टक्स से बरी कर सकती है। इससे होता क्या है कि कभी कभी राज्य सरकार, सरकार के अधिकारियों और मंत्री-मंडल पर इस प्रकार के आक्षेप लोग करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की धारा रख कर के अपनी पार्टी के व्यक्तियों और किन्हीं विशेष लोगों को इस प्रकार के टैक्स से एग्जेम्प्ट करती है। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का आक्षेप हमारी पार्टी के लोगों पर हो। जब कि यह टैक्स जनता के हित के लिए लगाया जा रहा है वैसी हालत में इस प्रकार के एग्जेम्पशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी टैक्स हो चाहे वह इन्कम टैक्स हो या और कोई भी टैक्स हो कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं होते चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इस प्रकार की धारा रख कर फिर इस एग्जेम्पशन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं इसका टोटली विरोध करता हूं इस क्लॉज को पूरी तरह से निकाल दिया जाना चाहिये। जिस प्रकार सिनेमा के अन्दर फ्री पास होते हुए भी उस पर एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स लिया जाता है उसी प्रकार आप किसी को बस फ्री दें और वह टैक्स नहीं दे, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है इसलिए

(डॉ० बहादुरसिंह)

इस क्लॉज़ को हटा देना चाहिये इससे आमदनी पर भी बड़ा भारी असर पड़ने वाला है। यह तो सरकार के फायदे की बात है, क्यों न इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाज़ार जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ ९ जो एग्जेम्प्शन्स के बारे में रखी गई है मैं उसका विरोध करता हूं। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि अभी संकेत किया था, विरोधी पक्ष के लोग सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हैं कि वे जिनको चाहें उन सवारियों को, सवारी गाड़ियों के मालिक को इस प्रकार टैक्स से पेनल्टी आदि से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं जब धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही, यह बात सही है कि वे जिस दल के सदस्य हैं उस नाते वे इस ओर केवल संकेत मात्र करके रह गये, वे इस बात को साफ नहीं कह सके। मैं समझता हूं, जब तक कोई बात साफ सदन में नहीं आती तब तक उसका असर और उस पर सही दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान राज्य सरकार की उस विज्ञप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं जो विज्ञप्ति राजस्थान में आने वाले भारत सेवक समाज के ट्रक से आने वाले सामान और उस पर लगने वाले टैक्स को एग्जेम्प्ट करने के बारे में आदेश थे उस ओर लेजाना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत सेवक समाज का ट्रक जो राजस्थान की सीमा में दस फरवरी को प्रवेश करता है, उसको कानून के हिसाब से टैक्स देना चाहिये। उस समय जो कानून था उसके प्रावधान के अन्तर्गत उसको टैक्स देना लाज़िमी था लेकिन उससे टैक्स नहीं लिया गया उस पर किसी प्रकार पेनेल्टी इम्पोज़ नहीं की गई, उसके ओनर को प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिये था वह नहीं किया गया। उसके दस दिन बाद २० फरवरी को राज्य सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली जाती है, कि भारत सेवक समाज का जो ट्रक दस फरवरी को राजस्थान सीमा में आया उसको टैक्स की लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया जाता है। इस प्रकार की जो कार्यवाही ट्रान्सपोर्ट विभाग की ओर से की गई है वह गलत कार्यवाही है। दस तारीख को कोई ओफेन्स कमिट होता है उस ओफेन्स के कमिट होने के बाद आप प्रोसीक्युशन करते नहीं पेनेल्टी लगाते नहीं टैक्स इम्पोज करते नहीं, उसके दस रोज बाद आप टैक्स माफ करने के लिये विज्ञप्ति निकालते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार का व्यवहार दूसरी पार्टियों के इस प्रकार के जल्से होंगे, कोई शादी का मौका होगा या धार्मिक अवसर होगा, राज्य सरकार उसमें माफ करने में हिचकेगी। लेकिन जब भारत सेवक-समाज सर्वोदय, खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं का या युवक कांग्रेस या कांग्रेस द्वारा संचालित इस प्रकार की अनेकानेक जो संस्थायें हैं उनके यदि स्टाल्स होंगे उन पर इस प्रकार के एग्जेम्प्शन्स का असर होगा। इस तरह से इन संस्थाओं के लिये इस प्रकार के क्लाज़ का दुरूपयोग होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अन्य कानूनों में जो हमने इस प्रकार के प्रावधान रखे हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां का म्युनिसिपल कानून ले लीजिये पंचायत कानून ले लीजिये, जहां जहां भी हमने राज्य

Page No.100

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार को इस प्रकार के हक दिये हैं कि कहां किसी प्रकार की परिस्थिति हो सकती है इलेक्शन पोस्टपोन सरकार कर सकती है लेकिन जहां हमने इस प्रकार के अधिकार राज्य सरकार को दिये उसने उन अधिकारों का दुरूपयोग न किया हो कोई भी ऐसा स्थान आप नहीं बता सकते जहां एक दफा इलेक्शन के लिये तारीखें मुकर्रर होती हैं लेकिन उस रोज तो वे चुनाव सम्पन्न हो ही नहीं सकते चुनाव स्थगित कर दिये जाते हैं। देखने में यहाँ तक आता है कि चुनाव स्थगित अगर किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने पर किये जाते हो यह बात नहीं, चुनाव स्थगित करने का सरकार के सामाने एक ही लक्ष्य होता है वे देखते हैं इस समय में हमारी पार्टी के लोग आ नहीं सकेंगे यह समय अनुकूल हमारी पार्टी के लिये नहीं है। परिस्थितियां सत्तारूढ दल के लिये अनुकूल नहीं होती, वातावरण अनुकूल नहीं होता, वहां चुनाव इस प्रकार की धारायें रखने के कारण स्थगित कर दिये जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय को मैं याद दिलाऊ अभी अभी हिन्डौन में होने वाले चुनावों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां सब कुछ तय होगया किन्तु एन वक्त पर वहां के चुनाव भी स्थगित कर दिये गये, जहां हम इस प्रकार के एग्जेम्शन का राइट देते हैं जहां हम चुनाव स्थगित करने, सस्पेन्ड करने का राइट देते है जो एक प्रकार से डिस्क्रिशनरी राइट्स हैं लेकिन जब कभी राज्य सरकार ने देखा, मुझे सभापति महोदय इस सम्बन्ध में बड़ा कटु अनुभव है इस अधिकार का बराबर दुरूपयोग किया जाता रहा है। इसी प्रकार के प्रावधान म्युनिसिपल एक्ट, पंचायत एक्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट और मोटर विहिकल्स एक्ट में विद्यमान है। उन सबका अनुभव हमें यह बतलाता हैं कि इस प्रकार के अधिकार का हमेशा दुरुपयोग होता आया है। इस तरह से यह बात निश्चित तौर से स्पष्ट है कि इस प्रकार के एग्जेम्प्शन के पावर हम इसमें भी रखते हैं तो हमारे सामने वे घटनायें, वे इन्सीडेन्ट्स कम नही होंगे, रेअर नहीं होंगे लाखों रुपये का टैक्स इस प्रकार की इन्स्टिट्युशन्स के नाम पर हज़म होता रहेगा और कहने के लिए यह हो जायगा कि हमने फलां फलां संस्था को इस प्रकार के टैक्स से बरी कर दिया। आज जो भारत सेवक समाज जैसी संस्थायें, जिनमें कैपिटिलिस्टों का होल्ड है जो संस्था पार्टी लेवल पर और पार्टी स्पिरिट पर चलती है उन संस्थाओं की बसों और ट्रकों को इस प्रकार के प्रोविजन के अन्तर्गत एग्जेम्प्ट करेंगे। हो सकता है इस पर माननीय सदस्य यह भी कहें कि यह केवल कांग्रेस के जलसे के लिये ही इस प्रकार की छूट हो यह बात नहीं जनसंघ का जलसा हो सकता है। जहां तक जनसंघ के जलसों का ताल्लुक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर कहीं जनसंघ का इस प्रकार का जलसा हुआ तो उनकी गाड़ियों को इस प्रकार के टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : यह आपने कैसे अनुमान लगा लिया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर का उर्स का मेला लगे और वहां अगर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो तो क्या वहां के यात्रियों को और ट्रक्स या बसेज़ को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस प्रकार के टैक्स से एग्जेम्पट कर सकते हैं। नहीं, इसमें आपको असुविधा हो सकती है....

श्री बृजमोहनलाल (ब्यावर) : मैं तो, आपको, जो असुविधा हो रही है, जो दिक्कतें नज़र आ रही हैं, उसका निराकरण करना चाहता था।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : आपकी शंका का तो निवारण हो गया लेकिन आशंकायें और भी होती हैं जबकि ब्यावर के मोटर स्टैन्ड पर जो बातें होती हैं और उनको सुनते हैं तब। खैर माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस प्रकार के जो डिसक्रिशनरी पॉवर्स होते हैं, जिनमें राजस्थान सरकार को अधिकार दिये जाते हैं, वह स्वच्छन्दता से एग्जेम्प्ट कर सकती है, पेनेल्टी से, फाइन से, प्रोसीक्यूशन से, टैक्स से क्योंकि इसमें शब्द है, "If any" मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भावनाओं के साथ यह कानून रखा गया है, अगर मन में जो शंका मैंने इम्फेसिस की है, वे निर्मूल हुई तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। जिनके आधार पर भविष्य में कभी भी एग्जम्प्शन किसी को देना पड़े। आज के युग में, आज के प्रजातन्त्र के युग में हम चाहते हैं कि कानून की नजरों में सभी बराबर हों, कानून सब पर एक सा लागू हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सामाजिक हो या राजनैतिक हो, किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहा हो सबके साथ कानून एक सा लागू होना चाहिये। पर इस कानून के साथ ऐसे प्रिविलेज, ऐसे स्पेशल कन्सेशन अपने हाथ में लेना डिस्क्रिशनरी पावर अपने हाथ में लेकर आप दान दाता के रूप में बैठना चाहते हैं। आप चाहते हैं लोग आपके पास आवें, आपकी खुशामद करें और फिर आप कहें कि हम खुश हैं तुमसे, हम तुम्हें ऐसे कानून से एग्जम्प्ट कर देते हैं। एक चीज़ और निकलती है इसमें से। जिसको चाहेंगे उसको एग्जम्प्ट करेंगे और अगर उसको सौ रुपये एग्जेम्प्ट हो सकते हैं तो उसूल के आधार पर पचास पचास की बात तै हो जावे और इस तरह से एक नये प्रकार के करप्शन को बढ़ावा आप और देंगे। हमें ऐसी चीज नहीं करनी है जहां राजस्थान में भ्रष्टाचार और बढ़े। यहां तो पहले से ही भ्रष्टाचार का काफी बोल बाला है। राजस्थान पहले ही भ्रष्टाचार के लिए मशहूर है। करप्शन दाई नेम इज़ ट्रान्सपोर्ट। भ्रष्टाचार तेरा नाम् यातायात है। जो विभाग पहले से ही इतना मशहूर है। उसी विभाग को आप फिर इस तरह का हथियार देने जा रहे हो। यातायात के रूप में आज भ्रष्टाचार पनप रहा है, और जोरों से पनप रहा है। पहले पुलिस और दूसरे महकमे अगुआ गिने जाते थे पर आज इस विभाग ने सबसे बाजी मार ली है। पर्सोनिफिकेशन हुआ है इसमें। तो ट्रान्सपोर्ट का महकमा जो पहले से ही भ्रष्टाचार के के लिये इतना मशहूर है ऐसी स्थिति में यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के पावर्स क्यों दे रहे हैं। जिनके बारे में कहा जाता है कितनी हथकन्डे बाजियां काम में लाई जाती हैं पर्मिट के प्राप्त करने में। ३० हजार की बस खरीदते हैं तो रेट से ऊपर से लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के ट्रान्सपोर्ट व्हिकल्स के कैरियर्स राजस्थान में हैं वे सारे ही लोग इसका दुरुपयोग करने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की कोशिश करेंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान की सरकार अपनी पार्टी लेवल पर चलने वाली कोई भी बस के लिये कभी भी टैक्स का या और किसी बात का सवाल आवेगा तो उसे वह एग्जम्प्ट करेंगे और इसके लिए ऐसे हथकन्डे अख्तियार करेंगे और इस तरह के हथकन्डे काम में आने से करप्शन को और ज्यादा बढ़ावा ही मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्लॉज ६ का जहां तक ताल्लुक है इसका विरोध हम यहां करें और अपने विचार प्रकट करके इसको ड्राप करें। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्जेम्पशन का क्लॉज किसी में भी आया हो, चिपक जावेंगे उसके पीछे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सभापति महोदय, यह क्लॉज़ एग्जेम्पशन की बहुत अच्छी लगती है और जहां तक इस क्लॉज़ की भावना का सम्बन्ध है मैं इसका स्वागत कर सकती हूं क्योंकि सरकार को पूरे प्रान्त का इन्तजाम करना होता है, सबकी सुविधा असुविधा को ध्यान में रखना होता है। तो इसके लिये ये सब अधिकार दिये जाने चाहिये। लेकिन जिस तरह की आशा में इन अधिकारों को लेने की कोशिश की गई है उससे मेरा विरोध है और इसलिये मैंने तो यह संशोधन भी दिया था कि इसको यहां से हटा दिया जावे, पर नियम के चक्कर में वह संशोधन रह गया।

इसमें इस क्लॉज़ के अनुसार सरकार चाहे तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से किसी एक व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को या किसी को इस पूरे विधेयक की एक या सब क्लॉजेज़ से मुक्त कर सकती है। पर इसके लिये कारण क्या बताये हैं, "In the Public interest.

यह पब्लिक इन्टरेस्ट बहुत सुन्दर शब्द है क्योंकि जनहित बहुत बड़ा लक्ष्य मानकर हम चलते हैं, लेकिन जब व्यवहार में देखते हैं तो जनहित जो है बहुत बड़ा जन अहित करने लगते हैं। कुछ दिन पहले सदन में मैंने एक सवाल उठाया था यातायात की व्यवस्था के सम्बन्ध में और सच पूछिये तो मुझे उस दिन इस पब्लिक इन्टरेस्ट के सच्चे माने सरकार की भाषा में समझ में आये। एक जगह पर कुछ छात्राएं किसी यात्री पर जा रही थीं। बस थी किराये की। वे जा रही थीं तो उनकी बस के पीछे बी. एण्ड. आर के श्री भटनागर भी जा रहे थे। उनमें एक तानाशाह बादशाह की शासकीय भावना भरी थी। कोई भी बस उनके आगे धूल उड़ाती हुई कैसे चली जावे? उन्होंने साइड मांगी होगी। साइड देने की कोशिश भी की गई, पर वह शाहपुरा के पास की जगह ऐसी है कि सड़क के दोनों तरफ काफी धूल है और अगर गाड़ी थोड़ी भी सड़क से नीचे उतरती तो धूल में फंस जाने का डर था इसलिये कुछ समय तक साइड नहीं दी जा सकी। हम सब जानते हैं कि उधर की सड़क कैसी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कई बार इसका जवाब तो दे चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उन्होंने जो कहा वह लिखा गया है या नहीं सभापति महोदय।

डॉ० चन्द्रकला : तो इतनी बड़ी बस इतनी आसानी से शाहपुरा सरीखी जगह पर साइड नहीं दे सकती थी और इन्जीनियर साहब के पास जीप थी। वे आगे साइड देने पर उतरे और- कुछ पूछा न ताछा, उन्होंने लाइसेन्स उस ड्राइवर से ले लिया, पर्मिट लिया और सभी कागज लिये ड्राइवर से और अपनी जीप को आगे चला दी। इसमें यह नहीं देखा कि सवारियां कौन हैं, उनका क्या होगा जो यात्रा कर रही हैं और फिर उन कागजों को लेकर वे चले गये वहां से चार मील दूर। एक गांव में वे पहुँचे। बस मजबूर होकर पीछा करती करती आगे पहुँची कि किसीभी तरह से इन्जीनियर साहब से कागज़ वापिस लिये जावें। पर थोड़ी दूर पर जाने के बाद वहां एक दूसरी बस आती हुई दिखाई पड़ी और जल्दी में साइड देने लगी तो बस नीचे रेत में फंस गई। अब लोग बस को वहीं छोड़कर पैदल उस गांव में पूछते पूछते गये। वे गांव में ठहरे क्योंकि उनकी ट्राली वहीं रखी थी। वहां लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि इन्जीनियर साहब वहां से भी आगे चले गये हैं।

श्री सभापति : इस कहानी को थोड़ा कम कर दें तो ठीक रहेगा।

डॉ० चन्द्रकला : कम करने से सभापति महोदय, पब्लिक इन्टरेस्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। फिर भी आपकी आज्ञा का पूरा पालन करने की कोशिश करूंगी।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर नगर-पश्चिम): इस कथा का नायक कौन है, बी. एण्ड आर. के साहब?

डॉ० चन्द्रकला : जब वहां पर ये लोग पहुँचे तो मालूम हुआ कि वे वहां से दूसरे गांव जा चुके हैं। वे भटनागर साहब बी. एण्ड आर. के थे और करीब ११ मील दूर जा चुके थे। संयोग से उनकी ट्राली रह गई थी इसलिये लोग इस इन्तजार में बैठे थे कि ट्राली लेने जरूर लौटेंगे। उनके साथ वे लोग भी वहीं बैठ गये। शाम को सात बजे तक वे लौटे। सुबह ११ बजे उन्होंने कागज लिये और फिर लौटकर आये तो मालूम पड़ा कि यह तो संस्था की लड़कियां थीं और सात आठ घंटे उनको हैरान होना पड़ा। फिर अपनी जीप में लाकर उन्होंने पर्मिट वगैरह कागज वहाँ लौटाये, तब लड़कियां आगे बढ़ी। पर इससे हुआ क्या कि वे सात घंटे पहले तो उस जंगल में भूखी प्यासी पड़ी रहीं, और फिर जहां भी आगे उनको प्रोग्राम के हिसाब से पहुँचना था, सात घंटे लेट पहुँचती रहीं, इतनी असुविधा उनको हुई। यह सब तो ठीक था, पर उनको क्या हक था, उन कागजों को छीन लेने का और फिर दस बीस-मील दूर भाग जाने का, और सात-आठ घंटे हैरान करने का। ये सरकारी जीव पब्लिक इन्टरेस्ट का बहुत बड़ा दावा करते हैं। पर व्यवहार में उनके इस तरह के आचरण से समझा जा सकता है, कि उनका पब्लिक इन्टरेस्ट क्या है। उनको अगर यही मालूम हुआ कि गलती हुई है साइड नहीं देने में तो उसका नम्बर, नाम वगैरह नोट करके जा सकते थे और बाद में सारी कार्यवाही कर सकते थे। तो इस बात को यहां सदन में उठाया गया कहा गया जांच की जारही है। पर सभापति महोदय, आश्चर्य के साथ आप सुनेंगे कि इस जांच का सबका नतीजा सामने यह आया कि उस ड्राइवर का लाइसेन्स

(डॉ० चन्द्रकला)

कैंसिल किया गया। तो यह हमारा पब्लिक इन्टरेस्ट है। वह अफसर जिसने अवैधानिक काम किया, अपनी सीमा से आगे बढ़कर किया, अनधिकार चेष्टा की, वह तो साफ बरी, पर गरीब ड्राइवर बेचारा मारा गया।

श्री भैरोंसिंह : उस गाड़ी को इनाम तो नहीं मिला ?

डा० चन्द्रकला : उस गरीब ड्राइवर पर यह चार्ज लगाया गया कि वह ६० मील की स्पीड से जा रहा था, इसलिये उसके कागज छीने गये। पर मैं कहती हूँ दुनियां के किसी वैहिकल एक्ट में यह नहीं कहीं भी लिखा मिलेगा, कि लाइसेन्स छीन कर ११ मील दूर चले जाना चाहिये और सात आठ घंटे तक उनको पीछे धूप में और जंगल में परेशान करना चाहिये। इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस परेशानी पैदा करने की उनको कोई सजा नहीं। पर उस गरीब आदमी ने, बेचारे ने उन साहब को साइड नहीं देने का बड़ा भारी कुसूर कर डाला, इसकी सजा यह कि उसका लाइसेन्स कैंसिल। अगर कहीं किसी को मिला तो वह सब से गरीब आदमी बेचारा मिला।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : लड़कियों के अभिभावकों ने लीगल कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री सभापति : पब्लिक इन्टरेस्ट कुछ कुछ समझ में आ गया है, अतः आप इस कहानी को खत्म करके असली मुद्दे पर आयें।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं यही चाहती हूं कि आपकी समझ में आ गया इसी तरह से सरकार की समझ में आ जाये। जनता बराबर इसकी भुक्त भोगी है...

श्री बहादुरसिंह : ऐसा मालूम होता है, कि पहले आपने भटनागर का नाम बताया और फिर भार्गव बताया, आखिर वह अधिकारी कौन हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों की राशि एक ही है।

डा० चन्द्रकला : इसलिए जहां तक भावनाओं का सम्बन्ध है इस क्लाज़ का, वहां तक मैं इसका समर्थन कर सकती हूँ लेकिन जब इसका व्यवहार इस तरह से करते हैं तो लगता है कि पब्लिक इन्टरेस्ट की बहुत बड़ी टट्टी खड़ी हो जायेगी। और जो सरकार के कृपापात्र होंगे, उनको तो अभयदान मिलेगा ही और जो कृपापात्र नहीं होंगे उनके लिए अभिशाप होगा। इसलिये मैं चाहती हूँ कि कम से कम यह मौका नहीं मिले, और हम पब्लिक इंटरेस्ट के बिना ही रह जायेंगे। इसलिए यह क्लॉज़ यहां से हटा दिया जाये।

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: (किशनगढ़) सभापति महोदय, जो इस क्लॉज को हटाने के बारे में सदन के समस्त माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनका विरोध करता हूं और उसके हटाने के बारे में जो आपने बताया कि एक तो राजस्थान सरकार

Page No.105

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

के ऊपर धब्बा लगता है और दूसरे यह भी बताया कि भारत सेवक समाज को और कहीं सर्वोदय समाज को एग्ज़म्पशन दे दिया जायेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा यहां पर इसलिए रखी गई है कि इसके अन्दर साफ लिखा है कि जनहित की दृष्टि से राज्य सरकार जिन्हें उपयुक्त समझेगी उनको एग्ज़म्प्ट कर देगी। अब कभी इलेक्शन का मौका आ सकता है और सरकारी गाड़ियां जो कि किराये से आती हैं क्या उसके ऊपर भी टैक्स लिया जायेगा। तो राज्य सरकार के सामने ऐसी बातें आ सकती हैं कि जहां एग्ज़म्प्ट करना बहुत आवश्यक होता है। अगर सरकार भारत सेवक समाज और सर्वोदय समाज जैसी जनहित संस्थाओं को छूट नहीं देगी तो क्या उनको देगी कि जो कम्युनल रायट्स कराने जाते हैं, या जो जाति भेद के सिद्धांत पर झगड़े कराने जाते हैं, उनको एग्ज़म्प्ट किया जाता? भारत सेवक समाज को एग्ज़म्प्ट किया गया तो क्या गुनाह कर दिया गया और सर्वोदय समाज को भी एग्ज़म्प्ट किया जाता है तो क्या बुराई है। यह इसलिए कहना कि इन संस्थाओं को एग्ज़म्पशन नहीं दिया जाये, तो मैं पूछता हूँ कि क्या जनसंघ या और ऐसी ही संस्थाओं को एग्ज़म्पशन दिया जाता जो कि आज देश को बर्बाद करने में तुली हैं। (विरोधी दल की ओर से तालियां) मैं कहता हूं कि सरकार कभी डरने वाली नहीं है। ऐसी अवस्था में जो छूट देने का प्रावधान रखा गया है, उसके देखने से मालूम होता है कि धारा में काफी साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जो सार्वजनिक हित के कार्य होंगे उन्हीं को छूट दी जायेगी।

अब मान लीजिये कि सार्वजनिक कार्य के लिए किसी आदमी ने एक स्कूल दो लाख रुपये की लागत से बनाई है, और उसके लिये सामान लाते हैं और उसके लिए एग्ज़म्पशन दे दिया जाता है तो बुराई की क्या बात है? कोई व्यक्ति जनहित की दृष्टि से दो लाख रुपये लगा रहा है, उसको अगर दस बीस रुपये के कर की छूट दे देते हैं तो क्या बुराई करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रावधान रखा गया है वह बिल्कुल ठीक है और यह रहना चाहिए।

श्री सभापति: श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): सभापति महोदय, जो नवां क्लॉज़ है उसका मैं विरोध करता हूं। जैसा कि इस क्लॉज़ को पढ़ने के बाद मालूम होगा कि इस क्लाज़ में रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, इस अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं प्रावधानों के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी, मुझे इस बात पर आपत्ति है। वैसे तो मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य हैं यद्यपि वे जोश में इस बात को बोल गए कि अगर इन संस्थाओं को छूट मिल जायेगी, तो क्या बुराई है, वहां पर इस बात को भूल गए कि राज्य सरकार ने इस जन हित के नाम पर कब कब अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इस सदन के अन्दर बारबार इस प्रकार के आरोपों और इस प्रकार की जो गलतियां की हैं उनको सुझाया गया है, विरोधी दल की ओर से। इधर के ही माननीय सदस्यों ने ही नहीं बल्कि उधर बैठने वाले लोगों ने भी बताया है कि मुझे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

खुशी है कि सबसे बड़ा इस प्रकार का संकेत उधर के ही बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने दिया है। सरकार ने अधिकार का हमेशा दुरुपयोग किया है और करती ही रहेगी। अभी हमारे सामने भारत सेवक समाज का किस्सा आया है। मेरा जो निवेदन है वह यही है कि सारे लोगों की भावना इस प्रकार की है कि आज हमारी सरकार जिस प्रकार से अपवाद लगाकर किस प्रकार के नियमों में वह सार्वजनिक हित में काम में लाना चाहिए वह नहीं लाया जाता है। जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ता ने, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था और उन्होंने बताया था कि दस दिन के बाद जाकर किसी चीज़ को किया जाये, जो कि एक अपराध हो गया है, और उस पर दण्ड दिया जाना चाहिए था और दण्ड दिये जाने के बजाय उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाये तो यह तो ऐसी बात है कि सरकार न तो इस प्रकार का कार्य करके अपने प्रति न्याय करती है और न उसके प्रति न्याय करती है कि जिनके लिए कानून बनाये जाते हैं। जब कि हर प्रकार की चीज़ रखी गई है, टैक्स वसूल करने का भी प्रावधान है, टैक्स लगाने का भी और कर किस प्रकार से लगाये जायेंगे, उन सारी बातों को देखते हुए व्यक्तियों को या व्यक्तियों के वर्ग को मुक्त किया जा सकेगा यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। चाहे जनसंघ का प्रश्न हो या फिर चाहे कांग्रेस का प्रश्न हो, यद्यपि यहां पर यह उपयुक्त अवसर नहीं है कि जिस प्रकार से अभी मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ता ने जनसंघ के ऊपर कुछ आक्षेप किया और वास्तव में इस प्रकार की बात कोई व्यक्ति कह दे और उसके जवाब का अवसर नहीं मिले तो ठीक नहीं है। मैं इस प्रसंग में जानना चाहता हूं लेकिन मैं यही आशा करता हूं कि माननीय सदस्य बोलते समय विषय से बाहर नहीं जायेंगे और अपने ऊपर थोड़ा बहुत संयम रखेंगे। जैसा प्रश्न आया था कि जो संस्थायें जैसे भारत सेवक समाज, सर्वोदय समाज या ऐसी ही दूसरी संस्थायें जो कि कांग्रेस से संचालित है, इसका इतिहास उठाकर देख लिया जाये और उनके लिए जो इस प्रकार की बात कही जाती है कि उनका सम्बन्ध सरकार से नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनमें यही सत्तारूढ़ दल के आदमी रखे जाते हैं, उन्हीं के गुर्गे रखे जाते हैं। जयपुर से बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जिस समय चुनाव वगैरह हुए थे तो वह चुनाव में आ गये थे लेकिन आने के बाद में भी सारे चुनावों को केन्सिल कर दिया और मनोनीत करने की पद्धति को अपनाया। इस प्रकार का जो ढोंग है कि यह संस्थायें सार्वजनिक हित की हैं, यह भुलावा मात्र है। अपने लोगों को और अपने गुर्गों को जो कि आपका प्रचार करते हैं और उनको तनख्वाह देकर इसीलिए रखा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सारे ढोंगों को और ढोंगों को किस प्रकार से इन कानूनों के अपवादों में लाना चाहते हैं, तो इससे जनता को बचायें। जो आपकी संस्थायें चल रही हैं आप उनको सुविधायें देते चले जायें और छूट देते चले जायें यह किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। किसी भी प्रकार के नियम आदि बनाये जाते हैं तो वह किसी बात के सुचारू रूप से चलने के लिए या अनुशासन या व्यवस्था बनाये रखने के लिए

(श्री दयाकृष्ण

बनाये जाते हैं लेकिन जब हम अपवाद लगा देते है तो सुचारुता सारी समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का वर्ग हो उसको छूट दी जायेगी अगर वह सार्वजनिक हित में हैं तो इस प्रावधान का कोई भी नियम हो सारे नियम के तहत किसी भी प्रकार की छूट देने का प्रावधान आपने जो अपने नीचे रख लिया है वह वास्तव में ठीक नहीं है।

अभी विनोबाजी का टूर यहां पर चल रहा था और इस प्रकार की छुट्टियां स्कूलों के अन्दर विनोबाजी की टूर के सम्बन्ध में की गई। बताया गया है कि विनोबा जी की टूर के संबंध में हर स्कूल में सरकार के द्वारा दो दिन की छुट्टियां सेन्क्शन की गई हैं। इस प्रकार की छुट्टियां करने का प्रावधान कहीं नहीं लिखा है। कलेक्टर्स को पॉवर्स हैं कि एक दिन की छुट्टी कर सकता है, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन को इस प्रकार के पॉवर्स हैं। इस प्रकार के पॉवर्स का दुरुपयोग करके विनोबाजी का टूर हो रहा है उनका स्वागत करने के लिए सभी विद्यार्थी लोग पहुंचे इसलिए दो दिन की छुट्टियां की गई हैं।

बड़ोदा के अन्दर किसान सम्मेलन हुआ था। सारे के सारे ऑफिसर्स,यहां तक कि सिटी मजिस्ट्रेट कोटा जिसको कि सिटी से बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं था, वे जुरिस्डिकशन के बाहर जाकर सरकार की गाड़ी के अन्दर जाते हैं। कौन उस पेट्रोल के लिए जिम्मेदार हैं? ए. डी. एम. गये। कलेक्टर गये।....

श्री सभापति: इसका इस बात से ताल्लुक नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय: इसमें वह नहीं है। पर मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स जाते हैं और जाकर सारे स्कूलों की छुट्टी करते हैं....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु.) माननीय सभापति महोदय, सारी रात करेंगे क्या?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): आपके लिए तो सारी ही रात है।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय: इन्सपेक्टर महोदय स्कूलों में जाकर कहते हैं कि किसान सम्मेलन हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से हो रहा है यह बात नहीं है।वहां पर प्रदर्शिनी भेज चुके हैं। प्रदर्शिनी कृषि विकास की की गई सारे अधिकारी गये। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने तीन दिन की छुट्टियां कीं। २०,२१,व २२ तीन दिन की सारे स्कूलों की छुट्टियां की गई। और बड़ौद मिडिल स्कूल के छात्रों ने सारे फील्ड को साफ किया। इस प्रकार का दुरुपयोग हमारी सरकार अपने अधिकारों का जो अपने बनाये हुए कानून हैं उन कानूनों का हमेशा करती रहती है। यदि इस प्रकार की छूट इसमें रखते हैं, उससे सारा अनुशासन बिगड़ जायेगा, सारी व्यवस्था खत्म हो जायगी। सरकार के हाथ में निरंकुश सत्ता दे दें कि जिसको चाहे निहाल कर सकती है और जिसको चाहे खत्म कर सकती है। आज क्या हो रहा है कि अपने कुटुम्ब और रिश्तेदार रख दिये जाते हैं। उनको पर्मिट दी जाती है। सारी बातें

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उनके लिए हैं। इस प्रकार की टैक्सेज़ में छूट भी उनके लिए होगी। जैसा कि आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक विभाग में दूसरे सरकारी कार्यालयों के फोटो खींचे जाते हैं उसके बजाय फोटो खींचने का काम व्यासजी, माननीय गृह मंत्रीजी की लड़की की शादी में होता है। उसकी रील खींची जाती है...

श्री सभापति: इसमें फोटो खींचने की बात नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय: जो फेक्ट्स हैं कि किस के लिए उपयोग में आता है। किसी की लड़की की शादी में रील खींची जाय, सार्वजनिक हित की बात ऐसी ही है। इस प्रकार के नियम रखे हैं मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इस प्रकार के अपवादों को लेकर कल उन लोगों को उन संस्थाओं को छूट दी जायगी, जिनमें गुर्गे काम कर रहे हों।

श्री गिरधारीलाल : (नोखा) : चेयर मेन महोदय, इस बिल के अन्दर क्लाज़ ६ है उसका मैं विरोध करता हूँ। चैयरमेन महोदय, जहां तक हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था है, इस शासनव्यवस्था में जिसको हम जनतन्त्रीय सरकार कहते हैं, इसमें कुछ खामी रहती है, और सबसे बड़ी खामी इसमें यह है कि जिस पार्टी का शासन होता है, जो कुर्सियों पर बैठे हुए होते हैं उनको अपने दल के लिए, कुछ व्यक्तियों को राजी रखने के लिए, अपनी पार्टी के लोगों को राजी रखने के लिए वे किसी व्यक्ति को हर तरह से कभी नहीं चाहते हुए भी संतुष्ट करना पड़ता है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि इस व्यवस्था के अन्दर ऐसा लाजिमी है। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूं कि वह कुर्सियों पर एक दिन भी नहीं बैठ सकते हैं। इसमें सच्चाई है। कभी कभी असत्य काम भी जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं उनको भी करने पड़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज को डिलीट करने के लिए मेरा खयाल यह है कि कुछ हम सदन के अन्दर ऐसे बिल्स पास करते हैं कि जिन बिल्स में सरकार को विशेष पॉवर देते हैं, सरकार के हाथ में देते हैं कि सरकार वक्त बेवक्त उनको अपने काम में ले सकती है। लेकिन वह बिल ऐसे होते हैं, वे कानून ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप यह नहीं कह सकते कि इस कानून से या सरकार के हाथ में इस कानून का अधिकार दे रखा है,इससे आगे जाकर सरकार जनहित के विरुद्ध काम करेगी, सरकार ऐसा काम करेगी जिससे कि राज्य के खज़ाने में कुछ रकम की ज्यादा कमी होगी। आप इस प्रकार के अन्य कानूनों में विशेष पावर्स दे सकते हैं, लेकिन जहां तक टैक्सेज़ का सवाल है, जहां तक करों का सवाल है, करों के मामले में सरकार को इस प्रकार से पावर देना, इस प्रकार से सरकार के हाथ में शक्ति देना कि जिससे सरकार कुछ व्यक्तियों पर टैक्स लगाये और कुछ पर नहीं लगाये, यह उचित नहीं है। आज की शासनव्यवस्था में भ्रष्टाचार है, यह आपको मानना पड़ेगा। हम सब मानते हैं और उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये और प्रयत्न करते भी हैं। मगर मैं सोचता हूं कि यह जो धारा रखी है उससे न केवल राज्य सरकार का जो खजाना है उसमें रकम की कमी होगी, बल्कि यह भी होगा कि सरकारी पक्ष है वह इस ओर के जो संबंधित

(श्री गिरधारीलाल)

व्यक्ति हैं उनको बदनाम करने के लिए प्रचार भी करेंगी, और यह सही बात है। अभी भी क्योंकि इसमें ऐसा होता है और आपको कभी कभी ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम चल नहीं सकता।

दूसरी बात यह है कि इस क्लॉज का मैं विरोध नहीं करता अगर गवर्नमेंट दो शब्द आगे लिख दे। इसमें जनहित और सार्वजनिक हित की बात कही गई है वह इसमें खुलासा कहीं नहीं लिखा है कि सार्वजनिक हित किसे कहते हैं? उस शब्द की व्याख्या है वह आपने नहीं की है। व्याख्या नहीं करने के कारण इस बात का अनुचित प्रयोग कभी कभी कर सकते हैं। इसमें वह पाबन्दी नहीं है और वह नहीं होने के कारण कई अनुचित काम करने पड़ते हैं। सरकार का सबसे ज्यादा फर्ज हो जाता है, अगर सरकार बदनामी से बचना चाहती है अगर सरकार यह चाहती है कि कोई आक्षेप नहीं करे, अगर सरकार यह चाहती है कि जो टैक्स लगाते हं वह हर नागरिक पर एक जैसा लगे न कि कुछ व्यक्तियों को रियायत दे और कुछ पर टैक्स लगाये, तो मैं सोचता हूँ कि क्लॉज़ न रखें। यह क्लॉज उस आदमी के लिए नहीं है जो कि गरीब है और जिसकी एक एक बस चलती हो। उसके लिए यह क्लॉज़ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह क्लॉज़ उसके लिए नहीं है। यह क्लॉज़ पार्टी मैन के लिए हो सकती है जिनसे आपका संबंध है या उन लोगों के लिए हो सकती है, जो बड़ी बड़ी कम्पनियों के मालिक हैं और काफी मात्रा में बसेज़ चलती है, या और जो कि रोकड़ दे सकता है उसके लिए। मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता क्या थी? अगर इस तरह का क्लॉज़ रखते, जिससे जनसाधारण या गरीब जनता को राहत मिलती, तो हम सोचते कि बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार का टैक्स लगे लेकिन कम से कम गरीबों को बचाया जाय। लेकिन आपका इस क्लॉज़ का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो माननीय सभापति महोदय, मैं इस क्लॉज़ के बारे में ज्यादा और कुछ न कह कर कम से कम इतना चाहूंगा कि सरकार को इस तरह के टैक्सेज़ के मामले में भेदभाव की नीति कभी नहीं बरतनी चाहिए। सरकार को स्पष्ट क्लीअर नीति रखनी चाहिये जिससे कि नागरिक यह नहीं समझे कि आज की जनतांत्रिक सरकार ने भेद रखा है। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरीप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) माननीय चैयरमैन महोदय, क्लॉज़ ६ का समर्थन करता हूं। मुझ से पूर्व वक्ता ने, जहां कई नाम इसमें रखे, वहां उसमें हरिजनों का नाम कहीं नहीं आया।

(हंसी)

एक तरफ हमारी सरकार हरिजनों के लिए उदारता बरतती है और कहती है कि हरिजन उद्धार, हरिजन उद्धार, इस प्रकार की घोषणाएं इस सदन में सुनते हैं और यहां पर हरिजन का नाम नहीं आया है। इसलिए मैं···

श्री पुरुषोत्तमदास शर्मा (किशनगढ़): इस बिल को पायलेट ही हरिजन कर रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव: बेचारे ट्रक के लिए चिल्लाते रहते हैं। ट्रक के द्वारा सामान लाया जाता है। जो पब्लिसिटी वान जाती है उस पर भी टैक्स लगेगा तो समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर साहब को परेशानी हो जायगी।

इसलिए क्लॉज़ ६ का मैं समर्थन करता हूं, यह रहना चाहिये। उधर से बोलने वाले सदस्यो ने इसका विरोध किया, जहां सार्वजनिक संस्थाओं के लिये टैक्स माफ किया जाता है तो सार्वजनिक संस्थाओं में १॥ करोड़ लोगों में से सभी के काम आनेवाली है, इसमें कोई राजनैतिक पार्टी का सवाल नहीं है। उधर से बोलनेवाले सदस्यों ने सुरीली भाषा में कहा लेकिन यहां पार्टीबन्दी या जाति पांति की बात नहीं है, एक कुआं बनता है तो उसमें से सभी लोग पानी पीते हैं। इसलिये क्लॉज़ ६ रहनी चाहिये, लेकिन हरिजनों को थोड़ा स्थान मिलना चाहिये।

श्री सम्पतराम (उप-मन्त्री): चैयरमैन महोदय, जहां किसी कानून में थोड़ा लेटिट्यूड होता है, चाहे कैसा ही उद्देश्य क्यों न हो, लेकिन यह स्वाभाविक बात है कि उसका विरोध होता है। इसका मतलब यह है कि शब्दों का टीक तरह से गटन करने के बाद भी कोई राज्य सरकार या जिसे इस्तेमाल करना है, वह इधर उधर न हो जाय जिससे व्यवस्था में फर्क आ जाय इस दृष्टिकोण से जो आलोचना की गई है या दलील दी गई है उसका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन हमारा यह मानकर चलना कि गलत साइड को अख्तियार करेंगे यह ठीक नहीं होगा। इसमें लिखा है: would be expedient in the public interest. इसके लिये व्यवस्था रखना ठीक है। इसके लिये उदाहरण देना वाजिब समझता हूं जैसे इलेक्शन के लिए उदाहरण दिया, उसी तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कई केम्प्स चलते हैं जिनमें लाखों आदमियों की खिदमत करते हैं, इस प्रकार का काम निश्चत तौर से पब्लिक के हित में होता है। इसके अलावा एज्यूकेशन टूर्स हो सकती हैं, विकास या और बहुत से कामों के लिये यह हो सकता है कि हम बहुत से किसानों को और कई ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज़ करके राजस्थान उनको दिखाना चाहें, और उनके लिए किसी विहिकल की व्यवस्था हो तो उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। इसके शब्द साफ हैं। कानून जब बनाते हैं तो स्पष्ट शब्द रखते हैं और शब्दों का अच्छा गठन होता है। पुलिस को या मेजिस्ट्रेटस को पोवर्स देते हैं तो उसके लिये यह अन्दाज लगाना कि गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे यह उचित नहीं है। अगर आप राजनैतिक दृष्टिकोण से आलोचना करें तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन सारे क्लाज़ को देखें तो जनहित के दृष्टिकोण से इसको रखा है। हिन्दुस्तान के जितने स्टेट्स में इस तरह का कानून है उन रूब में इस तरह की व्यवस्था की हुई है। अपने कानून में भी इसकी व्यवस्था इसलिये की है। लोग समझ सकें, कि राज्य सरकार इस तरह से मदद करना चाहती है। मैं समझता हूँ इतने स्पष्टीकरण के बाद विरोध कम होगा और आप इसको ठीक तरह से पास करेंगे।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्लॉज़

(श्री सभापति)

संख्या ६ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉजेज़ १० और ११

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १० और ११ स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १० और ११ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ १२ के सब-क्लॉज़ (१) में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

" In sub clause (i) insert the words 'only after purchasing a valid ticket' between the words 'travel' and 'in' line six. "

यह संशोधन जो मैंने रखा है वह एक विशेष भावना से रखा है । आज हम देखते हैं कि मोटर यातायात में जितनी दिक्कत यात्रियों को अनुभव होती है, वह दिक्कत मोटर मालिकोंके कारण नहीं होती है, लेकिन जितने सरकारी विभागों से मोटर यातायात सम्बन्धित होता है उनके कारण से दिक्कत होती है । कुछ मोटर विभाग के इन्सपेक्टर मेकेनिकल इन्सपेक्टर या पुलिस विभाग के कर्मचारियों का जो सम्बन्ध होता है उनके कारण दिक्कत होती है, अब एक नये विभाग एक्साइज़ एंड टैक्सेशन से मोटर यातायात का सम्बन्ध कर रहे हैं इससे भी हमारी दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी इसलिये मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । क्योंकि इस बिल में कहीं इस प्रकार के शब्द नहीं है कि कोई वेलिड फ्री पास इन लोगों के पास होगा, इसमें यह लिखा है,

"He can travel in the carriage."

ये जो इन्सपेक्टर्स वगैहर होते हैं, वे किसी प्रकार की गाड़ियों को फिटनेस का सर्टिफिकेट दे देते हैं यह सब जानते हैं लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट देने का उनको अधिकार होता है, जो बिल्कुल छकड़ा गाड़ी होती है, जो आज के मोडल की नहीं बल्कि सन् ४५ या ४८ के मोडल की होती है, उनको भी सर्टिफिकेट दे देते हैं....

श्री सभापति : यह गाड़ियां पास करने का प्रश्न नहीं है ।

श्रीजगदीशप्रसाद माथुर : सरकारी अधिकारी किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, उसका उदाहरण दे रहा हूं । जैसे पुलिस विभाग को चैकिंग का अधिकार देते हैं, टिकिट चैकिंग का उसी प्रकार से मोटर का चैकिंग करने का भी अधिकार देते हैं कि ठीक प्रकार से मोटर रखी गई है या नहीं, चैक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

किया नम्बर नोट किया और सम्बन्धित थाने में चालान कर दिया लेकिन पुलिस अधिकारी इस तरह से चैकिंग न करके उसका दुरुपयोग करते हैं। बड़े रूट्स पर ज्यादा गाड़ियां ओवर लोड नहीं मिलती हैं लेकिन छोटे छोटे और कच्चे रूट्स होते हैं उन पर जिन गाड़ियों में थानेदार, हैड कॉन्स्टेबिल या सिपाही बैठे मिलते हैं उनमें ओवर लोड सवारियां मिलती हैं क्योंकि जितने पुलिस सिपाही चलते हैं वे सब फ्री चलते हैं, खाली वे ही फ्री नहीं बैठते बल्कि उनके परिवार के लोग भी फ्री बैठते हैं, इनके दोस्त फ्री बैठते है। जितने थानेदार हैं उनके लिये सीट रिज़र्व होती है। ड्राइवर के पास की जो आगे की सीट पर होती है उस पर चाहे कोई बैठा हुआ हो उसको उठा कर भी थानेदार साहब को फ्री उस सीट पर बिठायेंगे। मैंने यहां तक देखा है कि जहां चालान करना चाहिये अगर मोटर ड्राइवर के राइट साइड में ड्राइवर के पास कोई बैठ जाय तो, वहां उस रोंग साइड में थानेदार और सीपाही खुद बैठते हैं क्योंकि उनको चैकिंग करने का अधिकार है, इसलिए वे उसका दुरुपयोग करते हैं। हमने टैक्सेशन डिपार्टमेंट को और नया काम देना शुरू कर दिया है। एन्टर्टेमेन्ट टैक्स जो है उसके लिये तय किया है कि उसे टैक्सेशन विभाग वाले वसूल करेंगे, म्युनिसिपेलिटी के हाथ से यह काम ले लिया है। इसका कितना दुरुपयोग होता है, उसका अन्दाजा आपको लगाना चाहिये। सारा का सारा डिपार्टमेंट सिनेमा के अन्दर मिलता है। राज्य सरकार ने जिनको एग्जिक्यूटिव अधिकार दिया है वे स्वयं और उनके परिवार के लोग फ्री सिनेमा देखते हैं, इसलिये कि उनको चैकिंग करने का अधिकार है। चैकिंग का अधिकार इसलिये दिया है कि बिना टिकट कोई नहीं बैठे, लेकिन चैकिंग करने वाले सारे के सारे बिना टिकट बैठते हैं। इसलिये जिनको आप अधिकार दे रहे हैं वे इसका दुरूपयोग करेंगे और सारा का सारा डिपार्टमेंट फ्री ट्रैवल करेगा। जितनी चोरी होगी उसका कारण आपका डिपार्टमेंट और अधिकारी होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले फ्री ट्रैवल करेंगे, उनका परिवार फ्री बैठेगा। आज पुलिस के सिपाही बैठते हैं, कल जिनको अधिकार देंगे वे बैठेंगे। जहां पर ये लोग बैठे मिलेंगे वहां मोटरें ओवर लोड होंगी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : That is the opposition watch, and in the Treasury Bench watch the time is up.

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार, ३० मार्च, १९५९ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदनकी कार्यवाही म०प० ५ बजे, सोमवार, दिनांक ३० मार्च के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त–विवरण

(शनिवार, २८ मार्च, ५९)

स्कम्भ   स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

४९८१

खाद्य सलाहकार समिति

हड्डियों के वितरण सम्बन्धी ठेके

वासणा ग्राम में लगान की वसूली

बीकानेर शहर में हड्डियों का ठेका

कल्याण केन्द्रों पर व्यय

राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों में नर्सों की कमी

तहसील लूणकरणसर के काश्तकारों की शिकायत

नगरपालिका चाकसू द्वारा हाई स्कूल के लिये बनाये गये कमरे

धौलपुर नगरपालिका के एक्जीक्यूटिव आफीसर पर नगरपालिका का कर्जा

ग्राम नृजपुरा तहसील दीगोद में कृषि योग्य पड़त भूमि

जैन (गुरुकुल) हाई स्कूल छोटी सादड़ी के रेगर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति

खरीफ, १९५८ के जिन्सवार नक्शे

खड़ाला के पंच की पुलिस द्वारा इमदाद

ग्राम हरिपुरा व गेशोटा में गोचर भूमि

तहसील कोटपुतली की पंचायतों के पंच

चेयरमैन नगरपालिका झालावाड़ को सफर खर्च एवं दैनिक भत्ता

मंडार अस्पताल में वार्डों की कमी

तहसील जसवन्तपुरा के हरिजनों को मुफ्त जमीन का वितरण

तहसील कोटपुतली में बेसिक स्कूल

तहसील बोली में काश्तकारों की बेदखली

जयपुर शहर की हरिजन बस्तियां

सरपंच पंचायत को साथ लेकर गश्त गिरदावरी करने के संबंध में

विधायी कार्य

१. पुरःस्थापित किया गया विधेयक ५०४७

राजस्थान प्रेमिसेज (कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, १९५९, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया गया।

Page No.114

स्कम्भ

२. विचारार्थ लिया गया विधेयक ५०४७

श्री संपतराम, उप-मंत्री, आबकारी तथा कर विभाग, के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाय, श्री मनोहर कोठारी ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय तथा श्री सूबेदारसिंह ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन रखा।

वाद-विवाद के पश्चात् श्री मनोहर कोठारी ने अपना संशोधन वापस ले लिया एवं श्री सूबेदारसिंह का संशोधन अस्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर खंडशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २: स्वीकार किया गया।

खण्ड ३: संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ से ११ स्वीकार किये गये।

स्कम्भ

सोमवार, दिनांक ३० मार्च ५९ की कार्य सूची

१. जन लेखा तथा प्राक्कलन समितियों का निर्वाचन,

२. विचारार्थ लिए गये विधेयक,

(अ) राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, १९५९

(अग्रेतर विचार-विमर्श)

(ब) राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक, ५९

(विचार-विमर्श एवं पारित)

(स) राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, ५९

(विचार-विमर्श एवं पारण)

(द) राजस्थान वित्त (कृषि आय कर) विधेयक, ५९

(विचार विमर्श एवं पारण)

(च) राजस्थान कोर्ट फीज़ एक्ट (एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स संशोधन विधेयक, १९५८.

विचार विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७०२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE FOODGRAIN PRICE PREVAILING IN THE DISTRICTS OF RAJASTHAN AS ON FIRST FEBRUARY, 1959.

Sl. No.	Name of District.	Wheat	Barley	Gram	Jowar	Bajra	Maize
1.	Ajmer	18.00 20.00	14.00 15.50	16.00 18.00	11 00 15.25	12.00 19.00	11.50
2.	Alwar	23.00 26.00	N.A.	18.00 19.00	14.50 16.00	16.00 16,25	14.00 14 25
3.	Bharatpur	19.50 22.50	18.00	16.00	14 00	16.00	N.A.
4.	Bikaner	25.75	N.A.	15.50	14.00 15.50	16.00 17.00	N.A.
5.	Barmer	21.00 22.00	N.A.	21.00 21.50	N.A.	15.75 16.25	N.A.
6.	Banswara	22.50 25.00	20.00 22.00	16.00	14.00	N.A.	12.00

Page No.116

१	२	३	४	५	६	७	८
7.	Bhilwara	16.00 20.50	14.50 15.00	20.00	11.00 12.50	N.A.	1 .00 12.25
8.	Bundi	19.00 21.00	13.00	18.00	10.00	N.A.	14.00
9.	Chittorgarh	17.50 21.50	14.00	17.00 18.00	14.00	N.A.	11.00 12.50
10.	Churu	25.00 28.00	N.A.	17.00	N.A.	16.00 17.75	N.A.
11.	Dungarpur	21.00 21.50	N.A.	17.50	N.A.	N.A.	11.50
12.	Ganganagar	22.00 24.00	N.A.	10.50	N.A.	N.A.	N.A.
13.	Jaipur	17.75/19.75	13.75	16.00	N.A.	13.75	13.00
14.	Jodhpur	21.00 23.00	16.00 16.50	20.00 22.00	14.00 15.50	15.50 17.50	15.00
15.	Jaisalmer	28.00 29.00	N.A.	20.00 21.00	15.00 16.00	17.00 18.00	N.A.

१	२	३	४	५	६	७	८
16.	Jalore	27.00 28.00	14.00 14.25	21.00 22.00	16.00 16.25	14.50 15.50	14.00 15.00
17.	Jhalawar	21.00	N.A.	18.00	13.25	N.A.	N.A.
18.	Jhunjhunu	27.00 28.00	N.A.	22.00	N.A.	15.00	N.A.
19.	Kota	18.25 21.00	14.00	19.25	12.00	16.75	13.00
20.	Nagour	Infonmation not received.					
21.	Pali	20.00 22.00	16.50 17.00	19.50 20.00	13.50 14.50	16.00 17.50	15.00 16.50
22.	Sikar	28.00	15.00 19.50	21.25 24.25	14.75	16.25	N.A.
23.	Sirohi	24.00 26.00	17.50 18.75	19.00 20.00	13.25 14.00	17.50 18.00	13.00 14.00
24.	S. Madhopur	16.62 23.00	14.00 16.50	15.00 16:50	10.50 13-00	13.50 15.00	13.50 16.50
25.	Tonk	17.00 20.00	N.A.	17.00	N.A.	N.A.	N.A.

१	२		३		४	५	
26.	Udaipur	21.00 25.00	14.25 14.75	19.50 20.00	N.A.	N.A.	11.50 12.00

....

N. A. Commodity not available.

LIST OF FAIR PRICE SHOPS FUNCTIONING IN THE VARIOUS DISTRICT OF RAJASTHAN DURING FEBRUARY, 1959

District and place	No. F. P. Ss functioning
1. Ajmer	
Ajmer	51
Beawar	16
Nasirabad	6
Kishangarh	4
	77
2. Alwar	
Alwar	15
3. Bharatpur	
Bharatpur	20
Deeg	3
Hagar	2
Kaman	2
Sikar	1
Kumher	1
Paharai	1
Bayana	3
Weir	1
Bhusawar	1
Nadbai	1
Rubas	1
Ucchain	1
Dholpur	3
Rajakhear	1
Bari	2
Baseri	2
Sirmathuar	1
	48

१ २	३
4. Banswara	
Banswara	1
Kushalgarh	
Begidora	1
Ghantel	
Garhi	1
	5
5. Barmer	
Barmer	6
Balotra	1
Pachpadra City	2
Pachpadra Salt	1
Chehtan	1
Gunga	1
Ramsar	1
Bisala	1
Binjasar	1
Parli	1
Thol	1
Bagawas	1
Gole	1
Siwana	1
	20
6. Bundi	
Bundi	6
Lekheri	1
	7
7. Bhilwara	7

१ २	३
8. Bikaner	
Bikaner	42
Nokha	2
Deshneke	2
Napasar	2
Sri Kolayatji	1
Lunkarnsar	50
9. Churu	
Churu	8
Taranagar	1
Sadulpur	2
Ratangarh	5
Sujangarh	5
Sardarshahar	5
Sri Doongargarh	2
	28
10. Doongarpur	
Doongarpur.	2
11. Chittorgarh	
Chittorgarh	4
Nimbahera	2
Pratapgarh	2
	8
12. Jaipur	
Jaipur	148.
Sambhar	3
Dausa	5
Bandikui	5

१	२	३
	Kotputli	5
	Chomu	1
	Govlndgarh	1
		168
13.	Jodhpur	
	Jodhpur	75
	Luni	1
	Lunawas	1
	Manaklao	1
	Baranada	1
	Saintra	1
	Setrava	1
	Shekhalal	1
	Dechu	1
	Galakor	1
	Bilana	2
	Paiarcity	2
	Osian	2
	Phalod i	4
	Lakawat	2
	Bap	2
	Peclwa	1
	Chilla	1
	Derak	1
	Jamb	1
	[illegible]	1
		1
		104
14.	Jaisalmer (Urban)	1
	(Rural)	1

१ २	३
Mohangarh	1
Pokoar	1
Sanhra	1
Ramgarh	1
Sam	
Eanchmakn	1
Nachne	1
Noli	1
	10
15. Jhunjhunu	
Jhunjhunu	8
Chirawa	2
Pillani	2
	2
Bagar	1
Surajgarh	4
Khetri	1
Hukandgarh	3
Bissaw	2
	25
16. Jhalawar	
Jhalawar	4
Bhawani Mandi	1
Jhalrapatan	1
Gandhar	1
	7
17. Jalore	
Jalore	1

१	२
18. Kotah	
Kotah	23
Ramganjmandi	2
Baran	7
Chhabra	4
	36
19. Nagour	
Nagour	16
Didwana	10
Khunkhuna	1
Badabra	2
Merta City	3
Merta Road	1
Parbatsar	1
Makrana	2
Berawar	1
Kuchaman Rd.	4
Kuchaman City	
Degana	4
Jayal	1
Ladnu	8
	62
20. Pali	5 5
Sojat City	3
Sojat Road	1
Falna	1
Brinpura	1
Sumerpur	1
Rani	1

१	२	३
	Sadri	1
	Marwar-Jn.	1
	Bagri	1
	Chandawal	1
	Raipur	1
	Jaitaran	1
	Ghaneri	1
	Sendra	
		21
21.	Sawai Madhopur	
	Sawai Madhopur	5
	Hindaun	5
	Karoli	5
	Gangapur	5
		20
22.	Sikar	
	Sikar	8
	Neem-ka-thana	3
	Reengus	1
	Fatehpur Sh.	1
	Ramgarh Sh.	1
	Sri Madhopur.	1
		15
23.	Sirohi.	
	Sirohi	1
	Kalandri	1
	Pindwara	1
	Sheoganj	1
	Sarupganj	1
	Abu Road	1

१ २	३
Siwana	1
Mount Abu	1
Jawal	1
Posaliya	1
	10
24. Sri Gangangar	
Sri Gangangar	27
Sri Karanpur	2
Kesrisinghpur	1
Raisinghnagar	3
Padampur	1
Gajsinghpur	1
Anoopgarh	1
Sri Bijainagar	1
Suratgarh	4
Pillibangan	2
Bhadra	3
Nohar	2
Hanumangarh Tn.	4
Hanumangarh Jn.	4
Sadulshahar	2
Sangaria	2
Jatsar	1
Talwara Jhel.	1
	62
25. Tonk	
Tonk	4

१	२	३
26.	Udaipur	
	Udaipur	21
	Nathdwara	1
	Rajasamand	1
	Kankaroli	1
		24

GRAND TOTAL. 836.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर देखिये)

मैं कि वीरेन्द्र पाल शर्मा पुत्र श्री योगेन्द्रपाल शर्मा कौम ब्राह्मण साकिन सासनी जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश हाल एक्जीक्यूटिव आफिसर म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर ज़िला भरतपुर का हूं। जो कि मिन मुकर को मु० १४०० रु० अ'केन चौदहसौ रुपया वास्ते खरीदने मोटर साईकिल आवश्यकता है जिसके लिये मैंने म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर में दरख्वास्त बाबत लेने कर्ज मजकूर दी थी वह अब म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा मंजूर हो गई है और म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर अब मिनमुकर को कर्जा देने के लिये राजी हो गया है। अतः अब मैंने म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर ज़रिये श्री रामेश्वरप्रसाद मोदी चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड से मु० १४०० रु० अ'केन चौदह सौ रुपया नकद कर्ज लेकर एकरार करता हूँ कि मैं म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर को इस रुपये की अदायगी जरिये किश्तबन्दी तैदाद मु० २५ रु० पच्चीस रुपया माहवारी से करता रहूँगा और यह रकम हर माह म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर मेरी तनख्वाह में से काट लिया करें। और यदि मेरा यहां से तबादला हो जावे तो जिस किसी जगह मैं मुलाजमत रहूँ वहां की आथोरिटी मेरी तनख्वाह से मु० २५ रु० माहवार काट कर म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर को अदा करती रहेगी। इसमें मुझे व मेरे वारिशगान को कोई उजर न होगा। बसूरत दीगर मुझ से व मेरी जायदाद मनकूला व गैरमनकूला से इस कर्जे की वसूली हो सकेगी। लिहाजा दस्तावेज हाजा तादी १४०० रु० व हक म्यूनिसिपल बोर्ड धौलपुर व होश हवास दुरूस्त लिख दिया सो सनद रहे वक्त पर काम आवे। दिनांक १५—१०—५८.

अलब्द वीरेन्द्रपाल शर्मा बखत अंग्रेजी एक्जीक्यूटिव
आफिसर म्यूनिसिंपल बोर्ड
धौलपुर।

दिनांक १५—१०—५८

गवाह

पुजारी गोरेलाल शहर बखत हिन्दी

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१६ का उत्तर देखिये)

जिन्सवार सियालू | ग्राम शेररो या नापासर | तहसील बीकानेर | जिला बीकानेर | राजस्थान, वर्ष २०१५

खसरे की पृष्ठ संख्या अथवा भूमि का प्रकार	धान्य एवं दालें																							
	चावल		मक्का		ज्वार		बाजरा		ज्वार मूंग मिश्रित		बाजरा मोठ मिश्रित		मंडवा कांगणी, बरटी कोदरा तथा अन्य नीची श्रेणी के सस्य		मोठ		उर्द		मूंग		चोला		अरहर	
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५
शेरेरा												१२२३				११								
खरावा												३२२				५								
नापासर												७७				१६१८								
खराना												६६				१५४०								

खसरे की पृष्ठ संख्या अथवा भूमि का प्रकार	शिलहन								कन्दा		किराना व मसाले				रंग				तन्तु					
	तिल		मूंगफली		अरण्ड						मिर्चें		मसाले		नील				कपास		सन			
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
१	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९
शेरेरा																								
खरावा																								
नापासर																								
खराना																								

खसरे की पृष्ठ संख्या अथवा भूमि का प्रकार	मादक द्रव्य						चरी						फल तरकारियां तथा कन्द				कुल बोया हुआ क्षेत्रफल		कुल क्षेत्रफल जिसमें जिन्स पकी		विवरण विशेष
	तम्बाकू		अफीम				ग्वार		चरी ज्वार				आलु								
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	
१	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०
शेरेरा								१२२										१७१३		१३५६	
खरावा								३०										३५७			
नापासर								५२										३३५		१७४७	
खराना								४२										१६४८			

तहसीलदार
बीकानेर

जिन्सवार सियालू ग्राम शेररो या नाथासर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर राजस्थान, वर्ष २०१५

खसरे की पृष्ठ संख्या अथवा भूमि का प्रकार	धान्य एवं दालें																								तिलहन										किराना व मसाले				रंग				तन्तु						मादक द्रव्य						चरी						फल तरकारियां तथा कन्द				कुल बोया हुआ क्षेत्रफल		कुल क्षेत्रफल जिसमें जिन्स पकी		विवरण विशेष
	चावल		मक्का		जवार		बाजरा		जवार मूंग मिश्रित		बाजरा मोठ मिश्रित		मंडवा कांगणी चरटी कोदरा तथा अन्य नीची श्रेणी के सस्य		मोठ		उर्द		मूंग		चौला		अरहर		तिल		मूंगफली		अरण्ड				कन्दा		मिर्चें		मसाले		नील				कपास		सन				तम्बाकू		अफीम				ग्वार		चरी ज्वार				आलु								
	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०
मोटोलाई												२७१				७																																								४६										६७६		४२४	
												२०६				३																																								४३												२५२	
लीयेरा												५०१																																												४१										१०२१		५४२	
												४४०																																												३६												४७६	

परिशिष्ट ४

स्थगित प्रश्नों के उत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा ५८–५६ में किया गया खर्च

४२० (२७ ।एफ. एम.) श्री **रामेश्वर दयाल**, (कोटा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

समाज कल्याण विभाग के कार्यों पर सन् १६५८-५६ के वर्ष में कितना २ रुपया खर्च किया गया ? इसकी एक सूची जिलों के अनु- सार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर—

सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(सूची अध्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

५२७ ६८(आर./एम.) श्री पो० के० **चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister-in-Charge of Relif and Rehabilition be pleased to state :

1. What is the total amount of money received by the Government so far from the Central Government for the Relief and Rehabilitation of refugees in the State ?

2. Is it correct that some of the officers of the Government to whom amounts were advanced to be Spent on refugee rehabilitation and maintenance of refugee camps did not yet render accounts for the amounts advanced to them ? If so, the names of such officers together with the amounts for which they did not submit the accounts may be given.

3. Is it correct that the Central Government has refused to reimburse nearly Rs. 50/-lakhs spent on refugee rehabilitation as the State Government could not furnish any account as to how the amount has been spent ? If so, will the Government recover these amounts from the officers responsible, who did not maintain any accounts as to how the amounts have been spent ?

उत्तर

1. The total amount of money received up to 3/58 by the State from the Central Government for the relief and rehabilitation of refugees amounts to Rs. 1,68,46,329.

2. It is correct that some of the Departmental officers of the Government to whom amounts were advanced to be spent on refugee rehabilitation and maintenance of refugee camps have not rendered accounts so for, and in spite of repeated reminders to them satisfactory replies are not forthcoming. Some of these state to have already rendered accounts but due to time lag or insufficient information at their command it has not been possible to verify adjustments in all cases. Besides, the lists of outstanding advances were prepared long after the actual event during or after 1952-53 and these contained a large number of mistakes of omissions and commission. these are being completely overhauled now to arrive at the correct position.

A list of such officers with the amounts outstanding against each is shown in the statement enclosed.

3. It is correct that huge amounts spent on Relief and Rehabilitation of displaced persons were originally disallowed by audit for want of records or sanction of the competent authority.A sum of Rs.36.92 still outstands on this account. These objections pertain to a very old period and the camps to which they related had closed long ago. The then staff incharge of these records have all been disbanded and their whereabouts are not known. In the circumstances it has not been possible to trace out the original record in a number of cases. Efforts are however still being made and whenever any connected record is located it is got examined by the Accountant General and reim- bursement claimed. Due to time lag it is very difficult to establish respon sibility of nonmaintenance of accounts by any particular officer merely in face of its untraceability.

(कृपया परिशिष्ट '४–क' देखिये)

सराड़ा व सलूम्बर तहसीलों में स्थित भाट फार्म

१ ।४५६ (१७८ । आर. एम) : **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर जिले की सराड़ा व सलूम्बर तहसीलों में स्थित 'भाट फार्म' भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा 'मेवाड़ शूगर मिल्स लिमीटेड भूपाल सागर को किन २ शर्तों पर दिया गया था ? शर्तों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ख) क्या मेवाड़ शूगर मिल्स लिमिटेड भूपालसागर ने उक्त शर्तों की पाबंदी की है ?

(ग) उक्त फार्म का रकबा क्या है ?

(घ) गत ३ वर्षों में उक्त फार्म के कुल कितने रकबे में प्रति वर्ष खेती हुई ?

(न) यदि उक्त फार्म का काफी हिस्सा पड़त रहा है तो लैण्ड युटीलाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत सरकार ने पड़त भूमि में काश्त क्यों नहीं करवाई ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) २६७१ बीघा है।

(घ) सम्वत् २०१२ में १२७८।३ संवत् २०१३ में १२४३।।। सम्वत् २०१४ में १२२८।। बीघा रकबे में खेती हुई।

(ङ) लैण्ड युटीलाईजेशन एक्ट के तहत रूल्स सन् ५८ में जारी हुये हैं और इस एक्ट के मातहत अभी तक कोई कार्यवाही पड़त रकबे में काश्त कराने के सिलसिले में नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट '४-ख')

ट्रक ड्राईवर को दिया गया अलाउन्स

४७७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान सरकार ने तारीख २२ दिसम्बर, १९५४ को यह आदेश जारी किया था कि इस विभाग में जो ड्राइवर ट्रक चलाते हैं उनको १५) रु० अलाउन्स के ता० १-४-५० से दिये जावेंगे ? यदि हां, तो, इस आदेश के अन्तर्गत सप्लाईज विभाग के जोधपुर डिविजन में कितने ट्रक ड्राईवर थे और उनमें कितनो को यह अलाउन्स दिया गया है ? जिन ड्राइवरों को यह अलाउन्स नहीं दिया गया है उनको सरकार कब तक यह अलाउन्स देने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

राजस्थान सरकार ने २२-१२-५४ से मोटर गेरेज विभाग के ड्राइवर्स के पे स्केल्स निर्धारित किये थे और यह भी आदेश किये थे कि ट्रेक्टर ड्राइवर्स को २० रु० माहवार व ट्रक ड्राइवर्स के १५ रु० माहवार स्पेशल पे ता० १—४—५० से मिलेगी। यह आज्ञा केवल मोटर गेरेज विभाग के ट्रेक्टर एवं ट्रक ड्राइवर्स के लिए ही लागू थी। अन्य विभाग जैसे खाद्य विभाग, पी० डब्ल्यू० डी०, सिंचाई, फोरेस्ट आदि के ट्रेक्टर व ट्रक ड्राइवरों को स्पेशल पे का लाभ १—३—५४ से (कृषि विभाग के लिए) व १—३—५६ से अन्य विभागों को दिया गया था।

चूंकि अन्य विभागों में स्पेशल पे का लाभ १—३—५६ से दिया गया और चूंकि सप्लाई विभाग के ट्रक ड्राईवर १—३—५६ के बाद नहीं रहे है, अतः उनको स्पेशल पे देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

———

परिशिष्ट '४-क'

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ का उत्तर देखिये)

Statement showing the outstanding advances of Jaipur Division against Government offices and officers.

S.N.	Name of offices and officers.	Amouut advanced for which a/cs. are still awaited.	REMARKS.
1.	Shri Phaturam J. Ramdin Techanical Adviser (R) Jaipur.	25.00	This amount represents advance of T. A. outstandnig against him. His whereabouts are not known. This amount will be adjusted from his one month's dues still pending with the Deptt.
2.	Superintending Engineer (R) Jaipur.	32,189.53	
3.	Shri T. N. Seth Assistant Engineer (R), Jsipur.	34,076.17	Accounts are being overhawled.
4.	Supdt. Home for disabled persons, Sanganer.	28,053.94	
5.	Collector Jhunjhunu.	400.00	
6.	Collector Tonk.	1501.00	

१	२	३	४
7.	Collector Jaipur.	7,434.56	
8.	Collector Sawai Madhopur.	36,800.51	
9.	Ex-Engineer Municipal Div. & Assistant Engineer Malpura.	14,665.81	
10.	Nazim Phulera.	11,523.50	
11.	Shri Mahesh Parsad Ex-Sapply and transport officer, (R) Jaipur.	4,426.44	
12.	Shri M. L. Bhargawa Ex-Cottage Industries.	1,059.48	
13.	Registrar cooperati ve Societies, Jaipur.	12,500.00	
14.	Tehsildar. Jaipur.	98,500.00	
15.	D. C. Jaipur.	102.50	
16.	Naib Tehsildar. Durgapura.	40,004.00	
17.	Commandant, Jaipur State force, Jaipur.	1,484.00	Sanction to write of received form the Raj. Govt. Adjustment is under consideration of the A. G.

१	२	३	४
18.	Tehsildar, Lochamanagar.	1,009.87	
19.	Tehsildar, Sambherlake.	1,467.00	
20.	Tehsildar, Bandikui.	909.00	
21.	Tehsildar, Jhunjhanu.	275.00	
22.	Dy. Commissioner, Alwar.	21,470.00	
23.	Tehsildar Kishangarh.	1,837.00	
24.	Principal Maharaja's College, Jaipur.	1,080.00	He has not rendered to this office the actual payecs receipts so far.
25.	Dy. Accountant General (F. R&S) New Delhi.	15,172.5	This is due to double payment to the D. A. G. (F&S) New Delhi, matter under correspondence.
	I-UDAIPUR.		
1.	Collector Chittorgarh.	Rs. 2,58500	
2.	Shri Hazarilal Mehta, A. D. M. Jodhpur.	Rs. 92.12	

१	२	३	४
3.	Fateh High School.	Rs. 15.00	
4.	Shri Kanyalal, Tehsildar Chhoti Sadri.	Rs. 84-7-0	
5.	Shri Bhavanchand Insurance Supervisor, Udaipur.	Rs. 57-11-0	
6.	Shri Bijay singh, Clerk Industries Deptt. Bundi.	Rs. 117-1-0	
7.	Shri Ramkumar, L. D. C. Collector (R) Chittore.	Rs. 147-2-0	
II--SRI-GANGANAGAR.			
1.	Shri Madan Gopal Dy. Secretary to the Government of Rajasthan, Revenue Deptt., Jaipur.	Rs. 774-4-0	
2.	Shri Vidya Sagar sood, Dy. General Manager, Govt. Sugar Factory Sri-Ganganagar.	Rs. 298-6-0	
3.	Shri Kanwar lal, Head Clerk Directorate of Colonization, Hanumangarh.	Rs. 238-11-6	
4.	Shri Ishar singh, Steno. Directorate of Colonization, Hanumangarh.	Rs. 238-11-6	
5.	Shri Hakim Raj, U. D. C. Revenue Department.	Rs. 179-0-0	

१	२	३	४
6.	Shri Babushah Bhatia, Godam officer, Govt. Sugar factory Ganganagar.	Rs. 320-10-6	
7.	Shri Sawai Singh, Tehsildar in Udaipur Division.	Rs. 417-0-0	
8.	Shri Lal singh, Naib Tehsildar, Padanpur.	Rs. 143-0-0	
9.	Shri Laxami Narain, Clerk, S. D. O. (Rev), Sri Ganganagar.	Rs. 214-6-0	
10.	Shri Pryagchand Naib Tehsildar, Bikaner.	Rs. 50-0-0	
11.	Shri Ramchander, N. T. Padanpur.	Rs. 85-0-0	
12.	Shri Ved Parkash Accountant The cooperative Branch' Sri Ganganagar.	Rs. 63-0-0	
13.	Shri Jainant lal Fireman, Railway work shop, Muradabad.	Rs. 420-1-0	
14.	Shri Jhangir Khan Clerk, Tehsil Anupgarh.	Rs. 95-0-0	
III-ALWAR.			
1,	Shri M. V. Gupta, Asstt, Registrar, Bhilwara.	Rs, 175.37	

१	२	३	४
2.	Superin tendent Police, Alwrr.	Rs. 309.09	
3.	Shri Hem Chandra Collector (R) Alwar.	Rs. 125.25	
IV-BIKANER.			
1.	Shri Parmanand Sharma Director Social Welfare Jaipur.	Rs. 560.00	
2.	Shri Pragchand. Tehsildar, Bikaner.	Rs. 100.00	
3.	Shri Inder Singh, Driver, Bank of Bikaner Ltd., BIKANER.	Rs. 123.25	

परिशिष्ट '४-ख'

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि शरायत शुगर मील मुर्तिबा राजे श्री महकमा खास श्री दरबार मुल्क मेवाड़ ।

(१) शुगर मिल के साथ शुगर के लिए रीफायनरीज भी जारी कर सकते हैं ।

(२) शुगर मिल का कारखाना खोलने की इजाजत मेवाड़ में किसी दूसरे को तारीख हुक्म से बत्तीस साल तक नहीं दी जावेगी ।

(३) इस कारखाने में गन्ने की तरवर के लिए इनको ज़मीन की जरूरत होगी वह एसी ज़मीन में से की जो खालसे की पड़त पड़ी हो कम से कम ५,००० पांचहजार एकड़ और ज्यादा से ज्यादा ३०,००० तीत हज़ार एकड़ जितनी ऐसी जमीन मिल सके जयसमन्द के कुरब व जवार में दी जा सकेगी और बनारसी परसाद जुज वाला को ५,००० पांच हजार एकड़ तारीख हुक्म से दो साल के अन्दर लेनी होगी और बाकी तारीख हुक्म से दस साल के अन्दर ले लेनी चाहिये । जयसमन्द के पास की ज़मीन अगर सांठे की काश्त के काबिल नहीं हुई तो कोई दूसरी ज़मीन मेवाड के किसी दूसरे परगने में अगर होगी दे दी जा सकेगी ।

यह जमीन बापी पर बगैर नजराना दी जावेगी इस शर्त पर की इस ज़मीन का इन्तकास बिला मन्जूरी श्री दरबार न हो सकेगा ।

जमीन का हांसिल ज़मीन ले लेने की तारीख से पांच साल तक कुछ नहीं लिया जायेगा और बाद उसके दस बरस तक के लिए बन्दोबस्त की शरह माफिक आधा हांसील लिया जावेगा । और जमीन लेने की तारीख से चालीस बरस बाद बन्दोबस्त के कायदे के माफिक हांसील फिर मुकर्रिर होगा । और इसी तरह बन्दोबस्त के कायदे के माफीक होता रहेगा । इस चालीस बरस के अरसे में शरह दो रुपये दो आना बीघा से ज्यादा नहीं रखी जावेगी ।

तालाबी आबीयाने की फीस रियासत के कायदे माफिक ली जावेगी अलबत्ता लेने की तारीख से पहले दस साल तक आबीयाने की शरह से पांच रुपया फी सैंकड़ा कम लिया जावेगा ।

आबपासी के लिए एक नहर सरकारी बनाई जावेगी दीगर नहर जो ज़रूरी हो कारखाना वाला बनावेगा । जो ज़मीन चक में ऐसी होगी के जिस पर किसी किस्म की काश्त नहीं हो सकती हो उसका हांसील लगान में बाद कर दिया जावेगा ।

(४) कारखाना बनाने व चलाने के लिये मशीनरी उसके मुतालिक सामान

व इमारत बनाने के सामान पर दाण महसूल बत्तीस साल तक नहीं लिया जावेगा।

(५) कारखाने के तैयार किये हुये माल की कीमत पर दो रुपया सैंकड़ा रॉयल्टी ली जावेगी। अगर पांच साल बाद काम को चालू रखने के लिये यह रॉयल्टी बहुत ज्यादा पाई जावेगी तो इस पर उस वक्त गोर हो सकेगा। अलावा इस रॉयल्टी के कारखाने की बनाई हुई खांड पर कोई दूसरा महसूल नहीं लिया जावेगा।

(६) अलावा शिकार की सड़कों के जयसमन्द की दूसरी सड़कों पर माल लाने ले जाने की इज़ाजत दी जावेगी।

(७) पहरा चौकी का इन्तजाम कारखाने वाले करेंगे। लेकिन हथियार बन्द आदमियों के हथियारों का लाइसेन्स हांसील करना होगा। हथियार बन्द आदमी रियासत के बाशीन्दे होने चाहिये।

(८) हाल के रजिस्ट्रेशन एक्ट की पाबन्दी कारखाने पर लाजीम होगी।

(९)नशे शराब की दुकान कारखाने से दो माईलके फासले तक नहीं रखी जावेगी।

(१०) अलावा मामलात काबिल दस्तअन्दाजी पुलिस सब मामलात काबिल वारन्ट व नाकाबिल जमानत कारखाने के मुलाज़मान पर समन की तामील मार्फत मैनेजर कारखाना होगी। लेकिन मैनेजर का यह फर्ज होगा कि आसामी रुहपोस न हो जावे।

(११) कारखाना अपने काम के लिये व अपने मुलाजमान को लाइट व फेन देने के लिये बिजली का कारखाना खोल सकता है लेकिन ऐसी बिजली दूसरे काम में नहीं लाई जा सकेगी।

(१२) यहां के सीक्के में कारखाने को इमारती काम के लिये रियासत से दो लाख रुपये तक ६ रु० सैकड़ा फी साल ब्याज पर जो छः माही वसूल होगा दिया जावेगा।

(१३) मेवाड में माल कारखाने को यहां के सिक्के में बेचना होगा।

(१४) जागीरदारों से अपने तौर कारखाना ज़मीन काश्त के लिये ले सकता है ऐसी ज़मीन पर आबयाना ऊपर की शरह माफीक लिया जावेगा। मगर पांच पर्सेन्ट की रियायत गन्ने की काश्त पर दी जावेगी।

(१५) तारीख हुक्म से नो माह के अन्दर कारखाने वाले अगर साफ जाहिर नहीं करेंगे के वह कारखाना ऊपर की शरायत के माफिक शुरू करेंगे तो यह कुल शरायत मनसुख समझी जाकर दूसरे को इजाजत दी जा सकेगी और तारीख हुक्म से ऊपर की शरायत के माफीक कारखाने का काम तीन साल तक चलू न करेंगे तो भी यह शरायत मनसुख समझी जाकर इजाजत दूसरे को दी जा सकेगी हुक्म की तारीख से तीन साल

तक कारखाना चालू करने के लिये यह भी जरूरी है के कारखाने चालू करने की मियाद से मुनासिब अरसे पहले काम का आगाज किया जावे ।

(१६) कम्पनी को जरूरी इमारत बनाने व अपने काम के मुतालिक मशीनरी लगाने के जिसमें पहरा चौकी भी शामील है बम्बे व नल लगाने साउडींग व टेली फोन बनाने व अपने मुतालिक सब काम बे रोक टोक करने की इजाजत दी जावेगी जिन का इन्द्राज कम्पनी के मेमोरन्डम में हो इसकी मन्जूरी रियासत से कबल इजरा ली जावेगी ।

(१७) अगर कोई इलाके गैर का बाशीन्दा कारखाने के काम के लिये रखा जाये तो वह ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो मुश्तबा चाल चलन का हो ।

(१८) जयसमन्द्र की सड़क की मरम्मत के लिये सालाना जो खरचा होगा उसका आधा ६००० छः हजार रुपये तक कारखाने को देना होगा ।

———

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण शनिवार, दिनांक २८ मार्च, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
	२	३	४
४९८४	१५	wnich	which
४९८४	अन्तिम से ७	recmmended	recommended
४९८५	५	Scaricity	Scarcity
४९८६	३	Lenghthy	Lengthy
४९९७	१२	repley	reply
५००२	अन्तिम से ५	श्री ब्रद्रीदप्रसाद गुप्ता	श्री ब्रद्रीप्रसाद गुप्ता
५००४	५	प्रशन	प्रश्न
५००६	३	बसम्न्ध	सम्बन्ध
५००८	अन्तिम से ८	this	his
५००९	६	difficiency	eficiency
५०१३	अन्तिम से ८	सरकारी के आदेश से	सरकारी आदेश से
५०२१	अन्तिम से ३	Executicve	Executive
५०२६	अन्तिम से २	निच्शित	निश्चित
५०२८	अन्तिम से ८	श्री वलीमोहम्मद	श्री वलीमोहम्मद
५०३१	अन्तिम से ४–५	चेय मैन ने	चेयरमैन ने
५०३५	१५	वेसिक स्कूलसें	बेसिक स्कूल्स
५०४३	६	स्पप्टी करण	स्पष्टीकरण
५०४६	११	No Ser	No Sir
५०७१	६	Chandn khana	Chandu khana
५०९२	अन्तिमसे १२	नॉमीनोल	नॉमीनल
५११२	४	घोपणा	घोषणा
५११४	१	श्री मुरलीर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
५११६	१२	क्टैस	टैक्स
५१२०	अन्तिम से ४	टैक्से पे	टैक्स पे
५१३०	२१	डेवलहमेन्ट	डवेलपमेन्ट
५०३१	११	ट्रान्सपोट	ट्रान्सपोर्ट
५०३१	अन्तिम से २	प्रक्टकली	प्रेक्टीकली
५१३५	१६	मेन्टीनेम्स	मेन्टीनेन्स

१	२	३	४
५१६१	अन्तिमसे ११	bea	be a
५१६१	अन्तिम	डॉ० बहादुरसिंह	डॉ० बहादुरसिंह
५१६३	६	पेंसे	पैसे
५१७६	३	ध्यक्तियों	व्यक्तियों
५१८६	अन्तिम से ३	आश्चर्च	आश्चर्य
५१६८	११	मोहदय	महोदय
५२०२	अन्तिम से ६	सीपाही	सिपाही
५२१६	३	Govlndgarh	Govindgarh
५२२५	१२	Relif	Relief
५२३०	८	Payecs	Payees
५२३३	१	Alwrr	Alwar
५२३६	अन्तिम से २	जयसमन्द्र	जयसमन्द